राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार,

21 जनवरी, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : चोखी ढाणी कांड की सी. बी. आई. से जांच कराओ।

अनेक माननीय सदस्य : जांच हो, जांच हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये। श्री मोहन लाल जी बारूपाल।

संवैधानिक प्रश्न

राज्यपाल द्वारा अभिभाषण पढ़ा जाना

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि नया वर्ष प्रारम्भ होने के पहले सेशन में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण under Article 176 of the Constiution of India is a mandatory Provision. और ऐसी सूरत में निश्चित तौर पर वे एड्रेस कर रहे हैं, He shall address the House. कल सदन में व्यवधान चल रहा था। महामहिम राज्यपाल महोदय सदन को एड्रेस करने के लिए पधारे थे (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके नेता बोल रहे हैं, बैठ जाओ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आपकी राय की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (गोपालगढ़) : यह आपने अलाउ किया है क्या आज इनको ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : Have they sought permission of the House ?

श्री अध्यक्ष : परमिशन दी है, परमिशन।

श्री विष्णु मोदी : ये हाउस के वैल में नहीं रह सकते।

श्री अध्यक्ष : परमिशन दी है। (व्यवधान) अच्छी बात है। आप लोग बाहर से ले लो। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल और महाधिवक्ता के अलावा कोई भी नहीं आ सकता । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इनको परमिट किया है, कल भी किया था । आप बाहर से ले लो । ऊपर से ले लो ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये टी.वी. वाले कैसे घूम रहे हैं ? इनको बाहर निकालो । इनको बाहर निकाल दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : बाहर से ले लो । (व्यवधान) बैठ जाओ, बैठ जाओ । आप नेता को सुनो तो सही । (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : तो भेजो न, इधर हमारे को करना है तो इधर भेजो ।

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये । मदेरणा साहब कुछ बात कह रहे हैं, आप बैठें । कृपया सभी माननीय सदस्य विराजिये । विराजने की कृपा करें । मदेरणा साहब, आप कोई बात फरमा रहे हैं । बात सुनने दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक संवैधानिक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं Article 174 of the Constitution of India, it reads like this. बीच में मत बोलिये आप । (व्यवधान) ..."The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session." इसी की अनुपालना में राज्यपाल महोदय ने इस सदन को सम्मन किया, आहूत किया । उन्होंने निश्चित की तारीख कि 20 तारीख को 11 बजे सवाई मानसिंह टाउन हाल के अन्दर विधान सभा का सत्र आहूत करता हूं । और उसी के साथ में, आहूत के साथ में आर्टिकल 176 के नीचे जो मेंडेटरी प्रोविजन है, राज्यपाल महोदय ने इस सदन को एड्रेस करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की । आपको सूचित करने के बाद में आपने माननीय सदस्यों को भी सूचित किया कि गवर्नर महोदय का इस सदन में 11 बजे अभिभाषण होगा । 176 में इस बात का प्रावधान है कि कोई भी सेशन प्रारम्भ नहीं हो सकता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बिना "At the commencement of the first session after each general election." जनरल इलेक्शन था नहीं, "to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year"....First session of each year, मीन्स, 1997 जो पहला साल है उसका फर्स्ट सेशन राज्यपाल ने आहूत किया था 20 जनवरी को । 20 जनवरी को जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण देने के लिए सदन में यहां पर पधारे, महती कृपा की, तो सदन में व्यवधान चल रहा था । मैं भी यहां बैठा हुआ था । राज्यपाल महोदय अभिभाषण नहीं दे सके ।

(श्री परसराम मदेरणा)

जब आर्टिकल 176 में मेंडेटरी कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन कम्प्लाई विद नहीं हुआ है तो इस सदन में सब्सीक्वेंट कोई भी बिजनेस नहीं ली जा सकती। सब्सीक्वेंट कोई बिजनेस ली नहीं जा सकती तो उसके बाद जो कार्यवाही, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा की जा रही थी उधर मुंह किये हुए, हमारे लिए सबसे बड़ी वेदना और दुःख की बात यह है कि...

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ ही था मैं।

श्री परसराम मदेरणा : बड़े दुःख की बात यह है, मैं बड़ी पीड़ा के साथ आपको कह रहा हूं। जहां तक शोकाभिव्यक्ति का प्रश्न है, चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने स्टेटमेंट आज अखबारों में दिया है कि सदन की परम्परा रही है कि....

श्री बिष्णु मोदी : भामड़ाजी ने भी दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : कई परम्पराएं टूटी हैं लेकिन यह परम्परा नहीं टूटी। 1952 के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी और विरोधी पक्ष, जो इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं या देश के सार्वजनिक जीवन में जिनका उच्च स्थान रहा है, जिन्होंने देश के प्रति सेवा की है, समाज की सेवा की है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल के दिन आपने एक मिनट में जिस तरह से यह शोकाभिव्यक्ति यहां पर उस व्यवधान के अन्दर करवाने की जो कार्यवाही की, वह विधिवत तो थी नहीं बल्कि यह कार्यवाही उन दिवंगत आत्माओं के प्रति असम्मान है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये। (व्यवधान) बिराज जाइये आप।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, मैं बिराज तो जाऊंगा लेकिन...

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : बिराज जाएं, बिराज जाएं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। जो पीछे से कह रहे हैं, मैं आपको सुनना चाहता हूं इसलिए उनको कह रहा हूं, बिराज जाइये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह डूब मरने की बात है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : चोखी ढाणी में डूब मर जाओ। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी सदन में उत्तेजना उत्पन्न होती है, 13-13 दिन तक लोक सभा नहीं चली। लोक सभा के अध्यक्ष महोदय ने अपने चेम्बर के अन्दर, अपने कक्ष में सभी पोलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाकर इस बात की कोशिश की कि व्यवस्थित रूप से लोक सभा चल सके। लेकिन इस तरह की चीज इस सदन में पिछले सेशन से हो रही है और जिस तरह से आप उस तरफ मुंह करके और सरकार जैसा चाहती है उस तरह की कार्यवाही को सम्पादन करवाने के लिए जो आपकी तरफ से आचरण रहता है, अध्यक्ष जैसे गरिमामय पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति के लिए वह निष्पक्ष नहीं है। आप इस सर्वोच्च सदन

(५)

(श्री परसराम मदेरणा)

को चलाते हैं, अध्यक्ष महोदय। आपके प्रति समय-समय पर हम यहां पर सर्वोच्च आदर प्रकट करते रहे हैं, आपके आसन के प्रति हमेशा सम्मान प्रकट करते रहे हैं। ऐसा व्यवधान आने के बाद में कोई न कोई हल आपको निकालना चाहिए था लेकिन आपने इस तरह से आपाधापी में जो शोकाभिव्यक्ति कार्यवाही शुरू की है, मैंने कुछ नहीं सुना। एक शब्द सुना था, मैं यह कह रहा हूं। उधर भामड़ाजी ने कहा, वह मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने जब प्रतिपक्ष के नेता का माइक्रोफोन उठाया, आप मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, उधर देख रहे थे, अध्यक्ष महोदय। प्रतिपक्ष का नेता बोल रहा था, वहां बैठता है क्या? प्रतिपक्ष का नेता तो इस तरफ है लेकिन आपकी आंखें उधर थीं।

मेरा निवेदन करने का मतलब है, जो भी कार्यवाही हुई, गवर्नर का एड्रेस नहीं हुआ है। गवर्नर का एड्रेस नहीं हुआ है तो कोई बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जा सकता। धन्यवाद का प्रस्ताव तो दूर रहा, इस सदन के अन्दर क्वेश्चन आवर भी बिजनेस है हाउस का, क्वेश्चन आवर भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए यह जो कार्यवाही हुई है, यह कार्यवाही भारत के कांस्टीट्यूशन का खुला उल्लंघन है। इस तरह से अगर हम कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन्स को नहीं मानने वाले हैं- we are law makers. We are basically legislators. We have come here to legislate law. अगर हम ही उस कानून को नहीं मानेंगे, अगर बाड़ खेत को खाएगी तो? अध्यक्ष महोदय, इन कानूनों को हम बनाते हैं, जिनको आकर सचिव महोदय यहां पर जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति मिल गई थी consent or assent whatever word may be, वह बिल एक्ट में परिवर्तित हो गया उनकी असेन्ट मिलते ही। एक्ट में परिवर्तन होते ही आपने जो सूचना देने की बात की, वह कानून हम बनाते हैं, वह कानून पूरे राज्य में लागू होता है। पूरे राज्य में जिस के जिम्मे उस कानून का सम्पादन करने की जिम्मेदारी है उसको सम्पादन करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी स्तर का राज्य का प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई दूसरा प्रेजाइडिंग आफिसर हो। ऐसी सूरत में इस सदन के अन्दर भी कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन्स की अनुपालना नहीं करना, स्पष्ट प्रोवीजन्स का अनुसरण नहीं करना और मनमाने तरीके से इस सदन को चलाना, मैं समझता हूं, संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में यह बहुत ऐसी घटना रहेगी जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। मेरा यह निवेदन है, बहुत विनम्र निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, आपसे। और अब मेरी आंख आप कैच करें कि नहीं करें....

अनेक माननीय सदस्य : अब तो यह स्पष्ट है, यह सरकार भ्रष्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपकी आंख का काला बिन्दु है वह कैच कर रहा हूं, आप कृपया मेरी आंख का काला बिन्दु कैच करने की महती कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं तो....

श्री परसराम मदेरणा : मेरा निवेदन यह है कि आप राज्यपाल महोदय से इस

(श्री परसराम मदेरणा)

सदन की विधिवत कार्यवाही करने के लिए दुबारा अनुरोध करें। इस सदन में आर्टिकल 176 के अन्तर्गत राज्यपाल का अभिभाषण दुबारा यहां पर कराया जाए। जो कॉपी आप यहां पर रख रहे हैं, आर्थेटिकेट किस ने की? कब की आर्थेटिकेट? जब भाषण ही नहीं हुआ तो आर्थेटिकेट कॉपी काहे की? जब आर्थेटिकेट कॉपी हो नहीं और भाषण नहीं हुआ तो सदन चल नहीं सकता। सदन प्रथम सेशन में है वर्ष के, राज्यपाल का अभिभाषण होना, यह कांस्टीट्यूशनल प्रोवीजन है, जो ओब्लीगेटरी नहीं है। यह मेंडेटरी है, यह आवश्यक है और इसकी पूर्ति के अभाव में कोई भी कार्यवाही सदन में हुई है, वह कार्यवाही विधिवत नहीं है, इल्लीगल है, वह हो नहीं सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप राज्यपाल से अनुमोदन करें, विरोधी पार्टी के सभी नेताओं को आपके कक्ष में बुलाकर बातचीत के जरिये इस सदन में व्यवस्था स्थापित करने की कृपा करें।

श्री महेन्द्र मीणा (सिकराय) : संविधान के हत्यारों का....

अनेक माननीय सदस्य : नाश हो।

श्री महेन्द्र मीणा : लोकतंत्र के हत्यारों का....

अनेक माननीय सदस्य : नाश हो।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने जो बात कही है उसका मैं समर्थन करता हूं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत नव वर्ष में प्रथम सत्र तभी प्रारम्भ होता है जब राज्यपाल महोदय उसको संबोधित करें। आप नियमों से अच्छी तरह से परिचित हैं कि सदन की कोई भी कार्यवाही परफेक्ट पीस, पूर्ण शांति में चलाई जानी चाहिए। अगर शांति नहीं होती है तो यह आपका दायित्व है कि शांति स्थापित करें, और इसमें आप जानते हैं कि आपको बहुत व्यापक अधिकार हैं। आप किसी सदस्य को नाम से संबोधित कर सकते हैं, अगर उसकी अवहेलना करता है तो उसको सदन से बहिर्गमन करने के लिए आदेश दे सकते हैं। एक से अधिक माननीय सदस्य यदि नियमों की अवहेलना कर रहे हों तो आपको अधिकार है कि उन सब को आप नाम से संबोधित करें और उनको बहिर्गमन करने के आदेश दें। लेकिन कोई भी सदन का कार्य अव्यवस्था की स्थिति में और वह भी जिसमें संविधान का प्रश्न, क्योंकि अगर विधिवत भाषण नहीं हुआ है राज्यपाल महोदय का, तो 24 तारीख को यह विधान सभा का सत्र हुआ नहीं माना जाएगा। 24 तारीख को छह महीने हो जाएंगे एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में, और स्वतः ही यह विधान सभा भंग हो जाएगी। आपने आपके जो अधिकार हैं उनका कोई प्रयोग नहीं किया। करते क्या हैं, हो-हुल्लड़ हो रहा हो तो, अधिक से अधिक करके, यह पास होना है, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, और बात समाप्त हो गई। आप कहेंगे कि पूर्व में (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने क्या किया है?

(6)

श्री विष्णु मोदी : हमने किया उसको छोड़ दें, हमने क्या किया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पूर्व में बंगाल में ऐसा हुआ था। उसमें अध्यक्ष ने और हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था दे दी कि राज्यपाल वहां आ गये, उनका भाषण हो नहीं सका। तो उन्होंने कहा कि यह भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाए और उन्होंने उसको वैध मान लिया। लेकिन हमारे ऊपर हमारे स्वयं के कानून हैं और हम किस विधि से काम करते हैं, उसमें हम पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस तरह की अगर परम्परा रही तो गवर्नर साहब को यहां लाने की जरूरत ही नहीं है। उधर खड़े कर देंगे, सामने अपने सुरक्षा अधिकारी खड़े हो जाएंगे, वे कह देंगे और बात आई-गई हो गयी, समाप्त हो गयी।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपको अपने जो व्यापक अधिकारी हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्य जो पुराने हैं वे जानते हैं कि एक दफा मुखबंद के प्रयोग का समय शासन ने नियुक्त किया सायंकाल साढ़े चार बजे। विपक्ष की यह आपत्ति थी कि हमको पर्याप्त समय नहीं मिला है चर्चा करने का इसलिए मुखबंद का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए, तो वह एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। उसके बाद में उन्होंने जोर देकर कहा कि दो घंटे और बढ़ाया जाए। मैंने कहा, ये वित्तीय प्रावधान हैं और ये समय सीमा में पारित होने चाहिए इसलिए मेरी मजबूरी है, अब मुखबंद का प्रयोग करेंगे। तो सभी विपक्षी खड़े हो गये और कहने लगे कि हम तो इस बात को मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि बिना शांति हुए मैं कोने में खड़ा होकर तो मांगें पारित करवा नहीं सकता, इसलिए मैं एक एक करके नाम से पुकारूंगा और सुरक्षा कर्मी उनको बाहर ले जाते रहेंगे। और मैंने कहा कि मैं एक-एक को बाहर करवा कर शांति स्थापित करके फिर कार्यवाही चलाऊंगा। मैंने गलती यह की कि हमारी आदरणीया बहन उजलाजी अरोड़ा का नाम मैंने पहले संबोधित किया, तो महिला जो प्रहरी थी वह कद में कुछ छोटी थी और वे भारी थीं, उठ नहीं पा रही थीं। खैर, मैंने तीन-चार-पांच जब यह सिलसिला चालू रखा तो सोचा कि इसका इरादा तो कठोर है और यह सब को बाहर करेगा तो वे बहिर्गमन करके बाहर पधार गये और मैंने विधिवत जितनी भी मांगें बची थीं वे पारित करवायीं। आपको याद होगा फिर मुंह ओढे, पट्टियां बांध कर, काली पट्टियां बांध कर मेरे निवास स्थान के समक्ष तीन दिन तक आपने धरना रखा। तो मेरे कहने का आशय यह है, चाहे कितना ही कठोर कदम आपको उठाना पड़े, लेकिन यहां जो कुछ भी हो वह शांति से होना चाहिए। जनता भी सुनें प्रेस भी सुनें, हम भी सुनें, ऐसी स्थिति हमेशा आपको कायम रखनी चाहिए। आपके पास वे अधिकार हैं। जो व्यक्ति सब को खुश करना चाहता है वह किसी को खुश नहीं कर सकता। और जो इस कुर्सी पर बैठता है उसको तो किसी न किसी अवस्था में कठोर होना पड़ता है, वह ऋषिमुनि की तरह त्यागी

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

होकर या मुनि होकर नहीं बैठ सकता। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि विधिवत राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ नहीं है इसलिए इस संबंध में बैठ कर बात करके व्यवस्था कराएं। अपने पास सिर्फ दो दिन का समय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। ....

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में रखना सबसे पहले....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। अब आप दूसरों का भी पक्ष सुन लें।.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : लेकिन आप कह रहे हैं हाउस ही आर्डर में नहीं रहेगा और हाउस आर्डर में रहता नहीं है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। पाइंट आफ आर्डर।

श्री विष्णु मोदी : राज्यपाल का अभिभाषण हुआ नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। हां, बिराजें आप।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता और....

श्री विष्णु मोदी : फिर आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होगी, संविधान की अनुपालना नहीं हुई है....

श्री अध्यक्ष : उप मुख्य मंत्रीजी बात कह रहे हैं।....(व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : और माननीय श्री विश्नोईजी ने जो सवाल उठाया है....

एक माननीय सदस्य : राज्यपालजी का भाषण नहीं हुआ है।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये आप। आप बिराजें।

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो सवाल उठाया, आपको इस बात का पता है, अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दूसरों की बात भी सुनिये आप। आज असहिष्णु हो जाने से काम नहीं होने वाला है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, इधर देखिये आप। इधर देखिये।

श्री अध्यक्ष : आज असहिष्णु हो जाओगे, रोज सबको साथ रहना है, सब को साथ रहना है। दूसरों की बात भी सुनें। डेमोक्रेटिक सेट-अप में रहे हो...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : दूसरों की बात सुननी चाहिए....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्षजी, एक मुद्दा सदन के सामने आया है उस मुद्दे पर हम अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने आर्टिकल 176 का हवाला दिया है । यह बात सही है कि आर्टिकल 176 के अन्तर्गत....(व्यवधान)....

श्री शिवनाथ सिंह : एक मुद्दा हमारे सामने आया है उस मुद्दे पर हम अपनी बात कहना चाहते हैं ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ....महामहिम राज्यपाल को किसी भी नये वर्ष के प्रथम सत्र में इस सदन को सम्बोधित करने का दायित्व है । महामहिम कल यहां आये, आपके साथ आये । उन्होंने सम्बोधित करना शुरू किया और आपने भाषण की प्रति सदन की मेज पर रख दी ।

मान्यवर, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया इसीलिये माननीय महामहिम राज्यपाल को अपनी प्रति और अपना अभिभाषण पढ़ा हुआ समझने की घोषणा करनी पड़ी । यह परम्परा इस सदन में पहले भी रही है । इस सदन के अन्दर भूतपूर्व राज्यपाल स्व. श्री एम. चेन्ना रेड्डी, उन्होंने भी अपने भाषण को पढ़ा हुआ मानने की घोषणा की है और उसके बाद इस सदन का विधिवत संचालन माना गया है....(व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जो अपनी मर्यादाओं को तोड़ते हैं ...(व्यवधान)....

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय प्रतिपक्ष के नेता को अपने इस व्यवहार के लिए खेद प्रकट करना चाहिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह कोई संसदीय व्यवहार नहीं है । सार्जेन्ट कार्डन करो इनको ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : ....राजस्थान में कोई संवैधानिक संकट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : कोर्डन करो इनको । कोई ऊपर नहीं आए । सार्जेन्ट ।

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

माननीय सदस्य, बिराज जाएं । सभी अपनी सीट पर जाएं । प्रतिपक्ष के नेता ने आज जो एक प्रश्न उठाया है उसे मैं रिजेक्ट करता हूं ।....(व्यवधान)....

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

संविधान की धारा 174, 175 व 176 के तहत दिनांक 28-2-78, 20-2-81, 17-2-83, 26-2-88, 22-2-91 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषणों को पढ़ा हुआ माना गया है । इसी तरह 1965 में "In west Bengal, the Governor failed to deliver his address to the Legislature on February 8, 1965 due to noisy disturbances and made up to the

(9)

(श्री अध्यक्ष)

failure by publication of the Address to the Members of the Legislature by laying the Address on the table of the House. Dismissing the writ of mandamus, the Calcutta High Court observed that procedural failure should not be over-emphasised, beacuse by laying a copy of the Governor's address on the Table, the object of the Address was substantially served and the Members would become aware of the contents of the Address. The Court further observed that unless there grows a constitutional convention, the Governor's Address shall be heard with attention, respect and ceremony due to the constitutional Head of the State There may be occasions when Members of the Legislature may indulge in shouting and unruly behaviour when the Governor comes to Address. If the shouting is loud enough or the behaviour sufficiently unruly, the Governor may not be able to begin or to finish the Address...." यह हाई कोर्ट ने तय किया है। मैं उस आर्डर को और इन्होंने जो प्रश्न उठाया है उसको रिजेक्ट करता हूं।

सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.30 बजे एक घन्टे के लिये स्थगित हुई।)

(12.26)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अनेक माननीय सदस्य : जय हो, जय हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर जिले की सारी जनता आपसे पूछ रही है कि हमारे माननीय सदस्य रेवती प्रसाद कोली को सरकार वालों ने कहां छिपा रखा है.... (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : यहां विधायकों पर प्रहार हो रहा है और आप हाउस की प्रोसिडिंग चला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये और स्थगित कर दीजिए। .... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मीणा विधायक को हाउस में पीटा गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट....(व्यवधान) सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.27 बजे एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

(13.29)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। सदन की कार्यवाही आधा घन्टे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.30 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित हुई।)

(14.00)

(पुन: समवेत होने पर)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। एक सैकण्ड विराजें।

प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य : बोल गिर्राज महाराज की जय।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय आ गये हैं, क्या कर रहे हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज सत्र के प्रारम्भ होते ही मैंने एक संवैधानिक मुद्दा खड़ा किया था। वह कांस्टीट्यूशनल पाइंट रेज करने का मेरा अभिमत यह था और अभिप्राय यह था कि राज्यपाल महोदय को इस सदन के सम्मन करने के बाद अन्डर आर्टिकल 174 आफ द कांस्टीट्यूशन, 176 के अन्तर्गत इस सदन को अभिभाषित करना था। राज्यपाल महोदय व्यवधान और हाउस में अव्यवस्था रहने के फलस्वरूप इस सदन को एड्रेस नहीं कर सके। मगर वे एड्रेस नहीं कर सके तो कोई भी सदन में कार्यवाही, सूची का कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्ट नहीं हो सकता और जब नहीं हो सकता तो, मैंने आपसे बहुत ही विनम्र शब्दों में प्रार्थना की थी कि कृपया महती कृपा करके आप राज्यपाल महोदय से दुबारा निवेदन करें कि वे इस सदन को वैधानिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से एड्रेस करें। मैंने अभी मेरे साथियों से, आपसे वार्तालाप के बाद, इस मुद्दे पर चर्चा की है। विरोधी पार्टियों के नेताओं से भी मैंने परामर्श किया है और सभी की यह सर्वसम्मत राय है कि आप गवर्नर साहब को, महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखकर भेजिये कि आर्टिकल 176 के प्रावधानों की अनुपालना नहीं हो सकी है इसलिए वे सदन को विधिवत एड्रेस करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह सदन किसी भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट नहीं कर सकता।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : This Government is a minority Government. this Government is in the minority.

श्री परसराम मदेरणा : The question about the Government is not before me presently. The question is this. About minority and majority, I have already given a statement सब लोग तो चले गये थे, इस सदन के अन्दर भी प्रेस वालों ने मुझे घेर लिया था,

(श्री परसराम मदेरणा)

I stand to that statement which I made yesterday.

श्री विष्णु मोदी : Please, repeat that.

श्री परसराम मदेरणा : रिपीटिशन में क्या, हम तो कुछ हार्डहियरिंग के हो गये हैं, भीखा भाई और हम, मैंने यह कल निश्चित तौर पर कहा था कि यह सरकार अल्पमत में है। फिर आप क्या दुबारा कहलवाना चाहते हो ?

श्री नाथूसिंह गुर्जर : प्रस्ताव लाओ, प्रस्ताव।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मेरा विनम्र करबद्ध आपसे निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि आप महती कृपा करके राज्यपाल महोदय से अनुरोध करें कि वे इस सदन को दुबारा एड्रेस करें।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय अध्यक्षजी....

श्री अध्यक्ष : हां, आप फरमाएं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मामड़ा साहब खड़े हो जाते हैं, जब-जब पैर पड़े संतन के, तब-तब बंटाढार। आपकी वजह से ही हुआ है सारा संकट।

श्री परसराम मदेरणा : एक मिनट और कर दूं क्योंकि शायद मैं उस वक्त आपको कह नहीं सका...

श्री विष्णु मोदी : आपने ही पैदा किया है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कांकरोली के मंदिर में जाकर पूजा करो आप।

श्री परसराम मदेरणा : अपोजीशन लाबी में गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य उपस्थित थे। मेरी अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बात हुई कांग्रेस दल के कुछ साथियों के साथ। अध्यक्ष महोदय इस बिंदु पर यह कह रहे हैं कि मैंने रूलिंग दे दी है, मैंने उस रूलिंग को सुना नहीं....

श्री विष्णु मोदी : किसी ने ही नहीं सुना।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय ने, और हमने कहा रूलिंग जो है....

एक माननीय सदस्य : प्रेस को दे दी होगी।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, किसी को दे दी है। यह भी एक कांस्टीट्यूशनल पोजीशन खड़ी हो गई है। कांस्टीट्यूशनल नहीं है तो रूल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कन्डक्ट आफ बिजनेस के अन्दर भी यह चीज निश्चित है कि हाउस में व्यवस्था होगी और शांति होगी। विश्नोईजी का कहने का मतलब ही यही था कि एक दफा हाउस एडजोर्न हो, दो दफा हाउस एडजोर्न हो, हाउस में किस प्रकार शांति स्थापित की जाए। उनके काल करने का मतलब ही यह था कि कई तरीके हैं आपके पास हाउस में शांति स्थापित करने के, बिना शांति के सदन की

(श्री परसराम मदेरणा)

कार्यवाही चलाना बहुत गलत संसदीय परम्परा होगी । तेरह-तेरह दिन तक हाउस में जब थोड़ा-बहुत भी व्यवधान रहा, लोक सभा के स्पीकर निरन्तर तेरह दिन तक हाउस को एडजोर्न करते रहे। और उपाध्यक्ष महोदय से भी, अध्यक्ष महोदय से भी मेरा निवेदन है कि सदन में इस प्रकार की जब उत्तेजना पैदा हो जाए तो व्यवस्था स्थापित करने के आपके पास में सभी अधिकार हैं, उन अधिकारों का आप प्रयोग कीजिये । लेकिन अगर कोई कांस्टीट्यूशनल खामी रह गई है...

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : वह अधिकारी भी मर्यादित है । वॉच एण्ड वार्ड के कोई आदमी आकर वह कर सकते हैं, यहां तो आम आदमी को एन्टर कराके अव्यवस्था फैला रखी है इन्होंने ।

एक माननीय सदस्य : यह भी एक मर्यादित होना चाहिए ।

श्री विष्णु मोदी : Without adress, nobody can enter.

श्री परसराम मदेरणा : आप ठहरिये, ठहरिये । यह भी एक मुद्दा है, अध्यक्ष महोदय । जो भी आपके पास में डेपुटेशन पर आते हैं, एक सार्जेन्ट....

श्री राजेन्द्र पारीक : आर. एस. एस. के वर्कर्स को बुला लिया ।

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिये मेरी बात को ।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : आपके नेता बोल रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : आपने एक बुलेटिन के जरिये हमको सूचित किया है कि किसी एडीशनल एस. पी. को आपने, in addition to the present Sergeant-at-Arms, who is part of this Assembly and of this Assembly Secretariat, मार्शल अपाइंट किया हुआ है । इसके अलावा भी आपने किया है । लेकिन जो प्रश्न खड़ा किया है, जिस बात पर, जिस मुद्दे पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वॉच एण्ड वार्ड के ऊपर हमेशा यह लिखा रहता है कि यह वॉच एण्ड वार्ड का है । उसके हाथ पर, उसके लैफ्ट हैण्ड पर लिखा रहता है । आज ये कौन लोग थे जो पट्टी डाले हुए यहां लाइन खड़ी कर रहे थे ? ये वॉच एण्ड वार्ड के थे या कोई दूसरा पैरामिलिट्री फोर्स था या क्या था ?

एक माननीय सदस्य : चोखी ढाणी के लोग थे वे ।

श्री परसराम मदेरणा : और वे हाउस में आये कैसे ? आपने उनको सबको अगर वॉच एण्ड वार्ड में ले लिया है तो उनके ऊपर आपको यह बैज लगाना चाहिए था ताकि सदन के सदस्यों को मालूम हो कि ये वॉच एण्ड वार्ड के लोग हैं । अगर यह मार्शल ने कार्यवाही नहीं की है तो करनी चाहिए । इस सदन में कोई एन्टर नहीं हो सकता । जो इस सदन का सदस्य नहीं है,

(श्री परसराम मदेरणा)

उसमें दो व्यक्ति इस सदन में आ सकते हैं। गवर्नर साहब तो इस असेम्बली के इनसैपरेबल पार्ट हैं और दूसरा जो व्यक्ति इस सदन में नहीं है, वह एडवोकेट जनरल कोई लीगल राय देने के लिए आ सकता है, किसी कांस्टीटयूशनल मुद्दे पर भी अगर एडवोकेट जनरल के बुलाने की आवश्यकता हो। गुलाबचन्दजी कासलीवाल को बुलाया था। मैं उस तरफ बैठा था और करीब एक घण्टे तक उन्होंने अपनी लीगल राय दी थी।

श्री विष्णु मोदी : तिवाड़ी जी भी आये थे।

श्री परसराम मदेरणा : हां, तिवाड़ी जी भी आये थे। उस वक्त भी मैं यहां सदन का सदस्य था। ऐसे मुद्दों के ऊपर जब कांस्टीट्यूशन का मुद्दा आज खड़ा है, मैं प्रो-टेम स्पीकर था उस वक्त भी मुद्दा उठाया था राजबहादुर जी ने। तीन घण्टे तक मैंने बहस करायी थी उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ था। मुद्दे उठाने वाले माननीय सदस्य को यह जानते हुए भी कि वे सुप्रिम कोर्ट के वकील हैं और क्योंकि कांस्टीट्यूशन का मुददा है इसलिए मैंने तीन दफे उनको बोलने का अवसर दिया है, 1980 में जब मैं प्रो-टेम स्पीकर था। आप प्रोसीडिंग देख लीजिये।

यह एक मेरे बोलने के बाद में विरोधी पार्टियों के नेताओं को समय नहीं देना और मेरी पार्टी के भी लोग जो इस सम्बन्ध में कहना चाहते हैं, मेरे अकेले के बोलने के बाद में उनको भी वंचित नहीं देखा जा सकता। क्योंकि वे दूसरे पाइंट आफ व्यू से स्टडी करके आये हैं। ऐसी सूरत में गवर्नर का एड्रेस लाजमी है। और गवर्नर का एड्रेस हुआ नहीं है, आपसे निवेदन है कि आप राज्यपाल का एड्रेस दुबारा कराएं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अनआथोराइज्ड तथा कथित सुरक्षा कर्मियों में से एक मेल परसन ने जिस तरह से इन्दिरा जी के साथ बेइज्जती का व्यवहार किया, जानबूझकर उनके पैर के ऊपर जोर से उसने अपना जूता डाला है। उनके पैर को बहुत बुरी तरह से कुचला है और उनको धक्का मारकर नीचे गिराया है। यह बहुत ही बेहूदगी की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। (व्यवधान)....

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमण्डल के एक सिटिंग मैम्बर पूंजालालजी यहां आकर सरकार के खिलाफ नारे लगाएं, कैबिनेट का सिटिंग मैम्बर अगर यहां आकर सरकार के खिलाफ वैल में उतरकर नारे लगाए तो कौन-सी सरकार है यह ?... (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक बहुत अहम मुद्दा सदन के सामने रखा है। वह मुद्दा संवैधानिक तो है ही, लेकिन उसका असर कितना हो सकता है उस ओर भी हमको ध्यान देना चाहिये। यह सही है, फैक्ट है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन को

(श्री शिवनाथ सिंह)

सम्बोधित नहीं किया। वे खुद भी कहते हैं, मीडिया कहता है, आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, नहीं किया उन्होंने। उस स्थिति में यह सदन कोई बिजनेस ट्रांजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सदन का कार्य शुरू हो ही नहीं सकता।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा, हमने सुना नहीं, लेकिन आपने प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहा है कि मैंने रूलिंग दे दी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस प्रकार का देश में वातावरण है, जिस प्रकार का जुडीशियरी का वातावरण है, जिस प्रकार से जुडीशियरी इन संस्थाओं के प्रति अपना मन रखती है उसके सन्दर्भ में भी हमको विचार करना पड़ेगा। आपने रूलिंग दे दी, सदन ने उसको मान लिया तो भी वह संवैधानिक संकट है, हमारे सिर पर तलवार लटकी हुई है। आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रपति महोदय ने एक आर्डिनेंस निकाला यू. पी. में सरकार का गठन नहीं हो रहा था, विधान सभा का गठन नहीं हो रहा था, पार्लियामेण्ट ने उसको एण्डोर्स किया। उसके बाद जुडशियरी ने यह कहा कि नहीं, पार्लियामेंट ने गलत किया है, राष्ट्रपति ने गलत किया और सब कार्यवाही को गलत ठहराया उस सन्दर्भ में हमको सोचना पड़ेगा। हम सब भी यह कह दें कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा हुआ हो गया....

श्री परसराम मदेरणा : सुप्रीम कोर्ट में अपील पर स्टे हो गया। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, now it is under stay.

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह जो प्रश्न यहां फैसला करते हैं....

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये कलकत्ता हाई कोर्ट का जिक्र जो ये कह रहे हैं कि मैंने रूलिंग में किया, कलकत्ता हाई कोर्ट की रूलिंग कोई फाइनल रूलिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब इसमें क्या रूलिंग देगा? यह इलाहबाद हाई कोर्ट की फुल बैंच की रूलिंग नहीं चलेगी, सुप्रीम कोर्ट की चलेगी।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं क्या चलेगा, क्या नहीं उसके बारे में ... (व्यवधान)....

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, क्या नहीं होगा उसका तो मैं आज नहीं सोचता, लेकिन जुडीशियरी लगातार इन संस्थाओं के प्रति एक भावना रखे हुई है। उस प्रश्न के सन्दर्भ में हमको देखना पड़ेगा। हमारी आज जो यह दसवीं विधान सभा है उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। और वह थोड़ी-सी बात के लिये जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी कहा कि एक संवैधानिक गलती हुई है। उसको दुरुस्त करने के लिये राज्यपाल महोदय को दुबारा यहां बुलाकर उनसे सदन को संबोधित कराया जाए, ताकि यह सब इर्रेगुलरिटी खतम हो

(श्री शिवनाथ सिंह)

जाए। जो कुछ यहां कल और आज से हो रहा है,मैं पूरा सम्मान सदन के प्रति रखता हूं, लेकिन हमें पीडा होती है जिस प्रकार कल की कार्यवाही हुई और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण करवाने की चेष्टा की। नहीं हो पाया। उसके बाद माननीय उप मुख्य मंत्रीजी सदन के नेता के रूप में कल विराजमान थे, जबकि सदन के नेता चले गये थे। जो आपने उनको आजादी दी वह आजादी हम सबके लिये शर्मनाक है। आज हमारे इस सदन के माननीय सदस्य, हमारे इस राज्य के गवर्नर, बहुत बडी हस्तियां हमें छोडकर चली गयीं, हमें उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करना चाहिये। हम करते ... (व्यवधान) ...

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : (व्यवधान)... वो आये। दो बार वो बढ़ा और फिर आप किसान को बिजली नहीं दे रहे हैं। जब किसान को बिजली नहीं तो क्या करें ?

श्री शिवनाथ सिंह : ....हम उनके प्रति बहुत आदर रखते हैं। अपनी भावनाएं यहां व्यक्त करना चाहते थे। आसन ने हमको वह अवसर नहीं दिया और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी ने-रिकार्ड को देख लीजिये, कहा है कि नाम उनके गिना दिये और कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूं। वह इस सदन की तरफ से श्रद्धांजलि है, पार्टी की तरफ से नहीं है। आप और बातों में कह सकते हो, लेकिन ऐसी कौन-सी आफत आ रही थी कि उस श्रद्धांजलि के कार्यक्रम को आप....सदन का वातावरण ठीक होता और सब लोग उसमें शामिल होना चाहते थे। इस प्रकार का वातावरण पैदा करके... (व्यवधान) .. इस प्रकार का वातावरण सदन में हो, सदन शांतिपूर्वक चले, उस वातावरण को आपको पैदा करना चाहिये था।

पूरे सम्मान के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन उसमें असफल रहा। यह जो कार्यवाही आज सदन को स्थगित करने की यह कल भी हो सकती थी। सदन का वातावरण बनता, उन दिवंगत आत्माओं के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते, पूरा सदन करता। वे हमारे दिवंगत नेता हैं, हमारी उनमें बहुत बड़ी श्रद्धा है। बहुतों के तो उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क थे। इसलिये उस मामले में आसन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो वातावरण होना चाहिये थे, जो मौका माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये था। वह नहीं मिला।

माननीय अध्यक्षजी, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। यह सदन है, आप हमारे सबके अधिकारों के संरक्षक हैं और आपकी तरफ से, आसन की तरफ से ऐसा कोई कृत्य नहीं होना चाहिये जिससे हमें ऐसा आभास हो कि हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो रही है। आप अपनी तरफ से करते होंगे, लेकिन उक्त जो आप करते हैं, हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं उस भावना को हमारे अन्दर भी उतरना चाहिये। आज प्रकार जिस से आप कहते हैं रूलिंग दे दी। यह ऐसा मुद्दा था, संवैधानिक मुद्दा था जिस पर सदन

(श्री शिवनाथ सिंह)

के अनेक माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते थे। उधर से भी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते थे। एक संवैधानिक मुद्दा था, आपको हमें सुनने में क्या दिक्कत थी? सदन को एडजोर्न करने के बाद में दो-ढाई घण्टे का जो समय हुआ उससे तो कम समय उस पर लगता। अपनी बात हम कहते और कहने के बाद में आप सोच-समझकर रूलिंग देने का विचार रखते। जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा है, यह ऐसा मुद्दा है जिसको हम यहां इस प्रकार से तय नहीं कर सकते, हमें एडवोकेट जनरल की भी राय इसमें लेनी चाहिये थी। आपने अपनी रूलिंग दे दी तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि उस रूलिंग को तो आप रिथिक कीजिये और इस मुद्दे पर कि संवैधानिक कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है, एडवोकेट जनरल को भी बुलाना चाहिए। क्योंकि 24 तारीख नजदीक आ रही है, 24 तारीख जैसे ही आ जाएगी, इस विधान सभा का भविष्य भी अधर में लटक जाएगा इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। आपको अपनी रूलिंग अमेंड करके, विथड्रा करके महामहिम राज्यपाल महोदय इस सदन को दुबारा सम्बोधित करें, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए वरना यह संवैधानिक संकट बहुत खतरनाक होगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बाई द वे यह श्रद्धांजलि वाला प्रश्न आ गया है, यह प्रोसिडिंग कल के हाउस की है। इसकी एक कापी मेरे पास आती है, इसकी 4-5 कापियां बनती हैं, अध्यक्ष महोदय के पास में भी जाती है। उस वक्त उप मुख्य मंत्रीजी ने नाम पढ़ दिये, नाम पढ़ने के बाद में, आपने लिखा है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता, अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी। फिर आपने सदन को निर्देश दिया कि माननीय सदस्य दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि देंगे, उसके पश्चात् कार्यवाही स्थगित होगी।

मैं निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब कभी भी दिवगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित हुई है, जो प्रस्ताव सदन का नेता रखता है उसका समर्थन सबसे बड़ा प्रतिपक्ष करता है सबसे पहले और सभी पोलिटिकल पार्टीज के नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिलता है और अन्त में आसन सदन के प्रस्ताव की भावनाओं के साथ एक-एक व्यक्ति को उनके पूरे जीवन के बारे में व्याख्या करते हुए स्वयं श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आपने खुद ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, अध्यक्ष महोदय ने नहीं की, सबसे बड़े दुःख की बात यह है।

श्री अध्यक्ष : मैंने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपकी आवाज में सुनाई नहीं दी।

श्री परसराम मदेरणा : देखिये, प्रोसिडिंग्स में....

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा, मैं श्रद्धांजलि

(श्री अध्यक्ष)

भाषण और झूंठी घोषणाओं को....
देता हूं उसके बाद अब दो मिनट का मौन होगा। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : प्रोसिडिंग्स आफ द हाउस में नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चलिये, आपको कहना है जो कहिये आप। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : नो रिकार्ड। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : यह रिकार्ड पर नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रिकार्ड पर तो कुछ भी नहीं आया आज।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके उप मुख्य मंत्री भामड़ा जी ने चिड़ावा के किसान आन्दोलन को.... (व्यवधान) और उस लड़की के छेड़छाड़ का मामला बताया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनना चाह रहे हैं या नहीं ? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोसिडिंग्स के अनुसार भी आपने सदन में श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो कार्यवाही....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : देखिये, इतनी सहिष्णुता तो रखिये कि दूसरों की बात भी सुनें।

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष : बिराजें, हो गया अब। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : सदन में बोलूंगा मैं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने अभी महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं हुआ उसके बारे में जो संवैधानिक सम्मिशन किया है उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। यह सरकार पूर्णतः राजस्थान की जनता का विश्वास खो चुकी है और केवल जनता का ही नहीं खो चुकी है अपनी पार्टी के विधायकों का विश्वास भी खो चुकी है। जो केवल....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आपको इस बारे में कुछ जानना है। बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : जो चोखी ढाणी में बाड़ेबन्दी करके रख रखा है। आज राजस्थान का किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है, बिजली मिल नहीं रही है, राजस्थान अंधेरे में डूबा हुआ है। ऐसी असंवैधानिक सरकार....(व्यवधान)

(18)

श्री जगदीप धनखड़ : सरकार के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज मदेरणा साहब ने 176 के तहत बात की है, उसके तहत कोई बात हो तो बताएं। नये-नये इश्यू हों तो उस पर बात करना है। इर्रेलेवेंट बात करने से कोई मतलब नहीं है। बिराजें आप।

श्री अमराराम (धोद) : कल की कार्यवाही जो विधान के अनुसार होनी चाहिए, जिस तरह से दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी आपने नहीं दी। जब सरकार ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है तो किस बात के लिए अभिभाषण और झूंठी घोषणाओं को....

श्री अध्यक्ष : बिराजें, आप बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : निश्चित रूप से जो दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, वही नियम विरुद्ध नहीं है, यह सत्र भी नियम विरुद्ध है। इसमें जो भी कार्यवाहियां की गयी हैं, असंगत हैं इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय को वापस आपकी ओर से अनुरोध किया जाए कि वे अभिभाषण यहां पढ़ें और संवैधानिक रूप से सदन की कार्यवाही चलें यही मेरा निवेदन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी भी सुनिये।

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी बोल रहे हैं।

श्री अजयसिंह (नोहर) : मैं भी बोलना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : साहब, ये पहली बार बोल रहे हैं। He is speaking for the first time. यह मेडन स्पीच है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, अजय चौटाला साहब बोल रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : तो क्या घनश्याम जी गवर्नमेंट के लिए बुलाये जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पहले हमारी तरफ के लोगों को बोलने दीजिये। जो एकसला-मिनिस्टर हैं वे अपने विचार रखना चाहती हैं इसलिए और दे दो आप समय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं, पूंजालाल जी, आप बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, फिर वही गलती कर रहे हैं, जो मामड़ा जी को खड़ा कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भामड़ा : मैं खड़ा इसलिए हुआ हूं....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आपने कहा, इन्होंने कहा, उसके बाद घनश्यामजी ने जब कहा तो

(श्री अध्यक्ष)

घनश्याम जी....(व्यवधान)... कोई बात तो सुनिये आप (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सरकार की तरफ से आखिर में बोला जाता है।

श्री अध्यक्ष : आप बात तो सुनेंगे या नहीं ? (व्यवधान) ...

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : नहीं, सरकार की तरफ से आखिर में बोला जाएगा.. (व्यवधान)....

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष : मैंने क्या कहा, पूरी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सरकारी पक्ष आखिर में बोला जाएगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ कह रहा हूं, सुनना ही नहीं चाह रहे हो....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सुनेंगे, सरकार की तरफ से आखिर में बोलेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : पहले माननीय सदस्य को बुलवाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे स्वतन्त्रता का अधिकार मिला है तो मैं उसका दुरुपयोग भी नहीं करूंगा, इस डेमोक्रेटिक सैट-अप में माननीय विधायकों को आना चाहिए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सदन की मर्यादा भंग हो गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की कोई मर्यादा रखी ही नहीं है। सारे सदन की मर्यादा भंग कर दी गयी है... (व्यवधान)....सदन की मर्यादा रखी ही कहां ? (व्यवधान) .. माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभिभाषण ही नहीं हुआ। सारी मर्यादाएं बिखेर दी गयीं।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई बात बोला ही नहीं, मैं खड़ा नहीं हुआ, उसके पहले ही खड़े हो गये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा और आपने मेरा नाम लिया।

श्री विष्णु मोदी : आई एम ऑन ए पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता माननीय मदेरणा साहब से निवेदन करूंगा कि वे क्या फरमाना चाह रहे थे, फरमाएं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : आपने समय दिया है, अपोजीशन की तरफ से जनता दल के मैम्बर बोलना चाहते हैं। वह जनता दल जिसका....

श्री अध्यक्ष : मेरी एक बात सुनें अब।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : देखो, आप ऐसा मत करिये। खेतसिहजी, नम्बर सबका आएगा। आपको बोलना आता है, हमको भी बोलना आता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता दल को तो बोलने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह आपकी बात हुई थी कि आप बोलें फिर हम भी बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो आप पहले इन सब पार्टियों को बोलने दीजिये। (व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक : आजादी आप लोगों की छिन गयी। आप लोगों को बोलने का अधिकार मिला होता तो अपने गांवों में होते।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता दल के विधायक को भी बोलने दीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लोगों को चोखी ढाणी के बाड़े में बन्द नहीं किया जाता।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : अध्यक्ष महोदय, चोखी ढाणी के अन्दर बाड़ बन्दी के दौरान अल्कोहल का प्रयोग किया गया है....(व्यवधान).... माननीय अध्यक्ष महोदय, उस अल्कोहल को टैस्ट कराया जाए.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप लोगों की बोलने की आजादी छिन गयी है। जब से आप बाड़बन्दी में बन्द हुए हैं, आपके बोलने का अधिकार छिन गया है। ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : चोखी ढाणी के बाड़ार्थी हैं, बाड़ार्थी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपके कक्ष में निवेदन किया था, ऐसे अहम मुद्दे पर सभी पोलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं-मैं केवल एक पोलिटिकल पार्टी को रिप्रजेंट कर रहा था-उनको बोलने का मौका दिया जाए। आपने कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य को मौका दिया, जो निर्दलीय सदस्य बोलना चाहते थे और नहीं बोल सके थे आपने उनको अवसर दिया। अब जनता दल भी आलरेडी इज रिकाग्नाइज्ड पार्टी।

अनेक माननीय सदस्य : क्या बी. जे. पी. नहीं है ?

श्री परसराम मदेरणा : बी. जे. पी. है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री परसराम मदेरणा : मसूदा से आने वाले माननीय सदस्य को जो भ्रांति हो गई है कि बी. जे. पी. इज ए नेशनल पार्टी B. J. P. is, in combination with other parties, the ruling party here. It is the main Opposition party in the Lok Sabha. अभी अपोजिशन में हम हैं, बी. जे. पी. नहीं बैठी है। इसलिए अपोजिशन के अन्दर नेशनल रिकाग्नाइज्ड पार्टी है जनता दल। जनता दल पार्टी के लीडर को बोलने की इजाजत देनी चाहिये, मेरा यह निवेदन

(श्री परसराम मदेरणा)

है । उसके बाद में the party in power... (interruptions)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंजूर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करता हूं, हाउस की यह-परम्परा रही है कि एक माननीय सदस्य उधर से बोलते है, एक माननीय सदस्य इधर से बोलते हैं, एक बीच के बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : यह वाद-विवाद नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा....(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी : अभी तो अभिभाषण हुआ या नहीं हुआ, यह मामला चल रहा है। आपने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण करवाया नहीं....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सचेतक महोदय, बैठ जाइये (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बी. जे. पी. का मामला हो नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बैठ जाइये। आपके बोलने का कोई औचित्य नहीं है। कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य को बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्यों के अधिकारों की रक्षा के लिये (व्यवधान) अपनी बात कहने के लिये विधान सभा में आते हैं। जब तक विधान सभा प्रारम्भ नहीं होगी, जब तक कोई सदस्य अपनी बात नहीं कहेगा, जनता की समस्याएं यहां नहीं उठेंगी तो मैं समझता हूं कि आप का, हमारा यहां पर बैठना बेकार हो जाएगा। (व्यवधान) जिन परम्पराओं का आपने निर्माण किया है उन परम्पराओं को बनाये रखने की आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में यह मुद्दा तय हुआ है कि विपक्ष के एम. एल. ए. को पूरा मौका दिया जाएगा, उसके बाद सत्ता पक्ष अपनी बात कह सकेगा। आप विपक्ष को बोलने का मौका दीजिये। आप क्यों घबरा रहे है ? क्यों इसमें परेशान हो रहे हैं ? विपक्ष के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका दीजिये उसके बाद आप बोलने के लिये स्वतन्त्र है। अध्यक्ष महोदय, के चैम्बर में यह बात तय हुई है, उसको आप ही लागू करना नहीं चाहते। आप जबरदस्ती बोले जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको बैठाइये और विपक्ष को बोलने का पहले मौका दीजिये। इनको बैठाइये (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप फिर वही बात कर रहे हैं जो आपने मामड़ा जी खड़े हुए थे तब की थी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : महावीर जी, बैठिये। बड़े शर्म की बात है, महावीर जी, कि आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके विचार चोखी ढाणी में ही रखिये। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अभी आपको समय मिलेगा लंग पावर यूज करने का

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह सब जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : मानीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे लोगों ने जो बात कही (व्यवधान) लेकिन जब आपने नाम पुकार लिया है तो सबसे पहले जिसका आपने नाम पुकारा है वह बोलेगा। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : महामहिम राज्यपाल के साथ जो संविधान के हमारे अंग है, जिस प्रकार का अपमान किया है दूसरा कोई कर नहीं सकता।

श्री अमराराम (धोद) : संविधान की दुहाई देते हो, संविधान की बेइज्जती तो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने की है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने परम्पराएं तोड़ी है, सारी की सारी परम्पराएं तोड़ दी।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो एक ही निवेदन है आपको, जब चेयर से आपने नाम पुकार लिया है तो उनको ही बोलने का अधिकार है। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट के लिये....

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई बात पूरी बोली ही नहीं उसके पहले दस माननीय सदस्य खड़े हो गये। मैंने क्या कहा था कि जिस पाइंट पर आप खड़े होकर इस तरह से जोर-जोर से हल्ला कर रहे हैं? क्या बोला था मैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं? किस बात के विधायक हैं आप। मैंने क्या बोला था जिस पर आप खड़े हो गये? मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी आपने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : श्री तिवाड़ी को बुलवाने के लिये कहा था। आप श्री घनश्याम तिवाड़ी को नहीं बुलवा सकते थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस तरह से नहीं चलता है, इस तरीके से नहीं चलेगा। आप पूरी बात सुनें मेरी। मैं यह कहने के लिये खड़ा हुआ कि आप सबको बुला रहा हूं। मैंने इतना ही कहा कि माननीय घनश्याम जी ने भी हाथ खड़ा किया है मैं उनको बाद में बुलाऊंगा। यह कहने वाला ही था कि आप पूरी बात सुनना भी नहीं चाहते। मैं उनको कहने वाला था, आप पूरी बात भी सुनना नहीं चाहते। इसका मतलब यह है कि आपकी मानसिकता आज काम करने की नहीं है। आधे घंटे के लिये हाउस एडजोर्न कर रहा हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 14.36 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित हुई।)

(15.08)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, अगर चौटालाजी....

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहले जनता दल के माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष : पहले पूरी बात तो सुनो। यह क्या आदत पड़ गयी आपको ?

श्री शैलेन्द्र जोशी : सुनने के लिए मना कौन कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनो वे क्या कह रहे हैं ।... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : साहब, आप शांति धारण कीजिए, शांति से बरताव कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : आप शांति रखिये ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप शांति से वातावरण....

श्री अध्यक्ष : मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आप शांति रखिये ।....(व्यवधान).... डिस्टर्बेन्स क्रीएट मत करिये आप । बैठ जाइये आप ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश की पालना करते हुए....

श्री नारायण सिंह : पहले ये बोलेंगे ।

श्री रामनारायण डूडी : पहले चौटाला जी बोलेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही कर रहा हूं मैं ,....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : आप सुनो तो सही ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यही कह रहा हूं ।....(व्यवधान) ...

एक माननीय सदस्य : हमारी बात को; आने दो इनको ।....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इनके लिए कह रहा हूं मैं ।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात तो सुनो ।.... (व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : और चाहे विधायक को बोलने दें....(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र मीणा : अध्यक्ष महोदय, बाहर कांग्रेस की रैली खड़ी है ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आसन से व्यवस्था की जाए ।

श्री महेन्द्र मीणा : पुलिस उनके ऊपर डण्डे बरसा रही है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : वे कोई वक्तव्य दे रहे हैं आपने पहले ही जान लिया....

श्री महेन्द्र मीणा : पुलिस बर्बरता से पेश आ रही है उनके साथ ।

श्री अध्यक्ष : शादी नहीं की उसके पहले ही कैसे जान लिया कि बच्चा होगा कि बच्ची होगी ?

श्री महेन्द्र मीणा : बाहर किसानों की रैली आयी है पूरे राजस्थान से, उनके ऊपर पुलिस....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : शादी तो करो पहले। बोले ही नहीं उसके पहले ही....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान से 25 हजार किसान आये हैं।....(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र मीणा : पूरे राजस्थान से किसान आये हैं।....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के 25 हजार किसान बिजली के साथ भ्रष्टाचार एवं महंगाई के विरोध में अपनी बात कहने आये हैं।....(व्यवधान)....

श्री महेन्द्र मीणा : अपनी बात कहने आये हैं।... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण डूडी : पहले प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को बुलाएं।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : पहले सुनो तो सही।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 25 हजार किसान राजस्थान विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बात कहने आये हैं।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : सुनिये।....(व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : बिजली के बारे में बताने आये हैं, महंगाई के बारे में बता रहे हैं, बी. जे. पी. के भ्रष्टाचार, शासन के बारे में अपनी बात कहने आ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : वे क्या कह रहे हैं, उनकी बात ही नहीं सुनोगे ?....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : आपने कहा था पहले इनको बोलने के लिए....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : वे बोल रहे हैं कोई बात, आप पूरी सुन लें क्या कह रहे हैं वे।....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बात सुन लीजिए आप।....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मण सिंह : पहले इनको बोलने दें।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा होता हूं तो आपको पसंद नहीं, ये खड़े होते हैं तो पसंद नहीं, तो फिर क्या करें ?... (व्यवधान)....

श्री शैलेन्द्र जोशी : 25 हजार लोग जो कह रहे हैं उनकी बात आपको सुनना पसंद नहीं।... (व्यवधान) .. अध्यक्ष महोदय, 25 हजार लोग बाहर आकर क्या कह रहे हैं, उनकी बात पसंद नहीं आपको।

श्री अध्यक्ष : इतना इनटालरेंस, इतना असहिष्णु बनने की आवश्यकता नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, आपका निर्देश मानते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि पहले चौटालाजी बोल लें और फिर मेरी बात सुन लें।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : यह शर्त क्यों लगाई आपने ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए लगाई कि आपने मुझे पुकार लिया था।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : देखिये, अब यदि आप सुनना ही चाह रहे हैं तो मैं चौटालाजी को जरूर अनुमति दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सुन लीजिए आप। धन्यवाद तो बहुत अच्छी बात है, आप पूरी सुन लें। बात-बात में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। यहां सब जने बोलना जानते हैं। आप यह मत समझो कि मैं नहीं बोलना जानता हूं या दूसरे नहीं बोलना जानते हैं, सब जानते हैं।....(व्यवधान)....They are very intelligent. मैं यह कह रहा हूं इसके पश्चात् आपको घनश्यामजी की भी बात सुननी पड़ेगी।

एक माननीय सदस्य : यह कोई जरूरी थोड़े ही है।... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : और घनश्यामजी की बात के पश्चात आपको विष्णुजी की बात भी सुननी पड़ेगी। इसके लिए तैयार हैं क्या आप ?....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : विष्णुजी की नहीं सुनेंगे।....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने हाथ खड़ा किया है। जिसने हाथ खड़ा किया है, पहले घनश्यामजी ने हाथ खड़ा किया था, उसके बाद चौटालाजी ने हाथ खड़ा किया इसलिए आपके पश्चात् घनश्याम जी बोलेंगे। बोलिए आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : यह आपका अधिकार है कि आप कब बुलवाएं, लेकिन बोलने वाले से आप कम से कम यह आशा भी रखें कि वह दिल से बोले। बोलें तो दिल से बोलें, हां।

श्री अध्यक्ष : आप बिराज जाएं। हां, फरमाएं चौटाला जी।

श्री अजय सिंह(नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय ने कहा और उसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने कहा, शिवनाथ सिंहजी ने कहा....(व्यवधान) वह भी बता दूंगा और सारी आपकी भी बता दूंगा। आप ध्यान से सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें। बोलने दें। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह : जिस तरीके से हाउस में कल गवर्नर महोदय अपना अभिभाषण नहीं पढ़ पाये उससे संवैधानिक संकट खड़ा हो गया, प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जिस तरह से फरमाया कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण पढ़ लिया गया माना गया और उसके बाद जिस तरह हाउस की परम्परा रही है कि श्रद्धांजलि में पहले सत्ता पक्ष के नेता, फिर प्रतिपक्ष के नेता और दूसरे दलों के माननीय नेतागण श्रद्धांजलि देते हैं तब उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय बारी-बारी से विस्तार से सारी बात हाउस में रखते हैं, वे सारी चीजें कल यहां पर नहीं हुईं। इसकी जो डिमाण्ड प्रतिपक्ष के नेता महोदय कर रहे हैं, मैं अपनी भावना उनके साथ जोड़ता हूं और आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप गवर्नर महोदय को दुबारा से यहां पर बुलवाकर अभिभाषण पढ़वाएं। यह सरकार, जो कि आज अल्पमत में आ चुकी है, अपनी ही

(श्री अजय सिंह)

पार्टी के सदस्यों का विश्वास खो चुकी है, गवर्नर महोदय को ऐसी पार्टी की सरकार का अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से ये सारे लोग कर रहे हैं, कल भी इन्हीं लोगों ने बाधा डाली और आज भी ये लोग फिर बार-बार से इसी तरीके से उत्तेजना पैदा करके माहौल को खराब करना चाहते हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि आप इस सारे मामले को ठीक से चलाएं। जिस तरीके का इन लोगों का व्यवहार है, इन लोगों को और सरकार को, जो कि पूरी तौर पर अपनी ही पार्टी के सदस्यों का विश्वास खो चुकी है, हाउस में इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार को एक मिनट भी नहीं बने रहना चाहिए। धन्यवाद।

श्री गोपीचन्द (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। बैठिये नो, गोपीचन्द जी, बैठिये। बैठिये आप। (व्यवधान) गोपीचन्द जी, बैठिये आप।

श्री गोपीचन्द: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, पहले से हो गयी बात।

श्री गोपीचन्द: यह कहना चाहता हूं (व्यवधान) मुझे कहने दें। ये सब लोग तो थोड़ी ढाणी में अपनी बात कह लेते हैं, मुझे तो यहां सदन में कह लेने दीजिए अपनी बात। (व्यवधान) इसलिए माननीय.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I will not allow you. पहले घनश्याम जी बोलेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़: इनको अपनी बात कह लेने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, खेतसिंह जी। (व्यवधान) जो सचेतक की भूमिका है, वह नहीं निभा रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़: साहब, उनको पार्टी से सस्पैण्ड कर दिया, उनको अधिकार है, बोलने का। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको जो कहना है वह सब सुन लिया मैंने। (व्यवधान)

श्री गोपीचन्द: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे दो विधायकों का अपहरण करके माननीय राजवी जी ने अपने घर में बन्द कर रखा है, उनको हाउस में तो लाओ। असत्य रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। अपहरण....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए। गोपीचन्द जी का अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान), गोपीचन्द जी, विराज जाएं।

श्री गोपीचन्द: ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। गोपीचन्द जी, विराज जाएं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : विराजिये। आप विराज जाएं। विराजिये। श्री घनश्याम जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री जुबेर खान : ×××

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : ×××

श्री गोपीचन्द : ×××

श्री हरिसिंह (महुआ) : ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : ×××

श्रीमती बीना काक : ×××

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री अध्यक्ष : घनश्याम जी। बोलिये आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पहले ही कह दिया था कि अजय जी बोलेंगे उसके बाद घनश्याम जी बोलेंगे। (व्यवधान) श्री गोपीचन्द जी। श्री गोपीचन्द जी विराज जाएं।

श्री गोपीचन्द : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी, विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराज जाएं। (व्यवधान) श्री घनश्याम जी, बोलिये। श्री गोपीचन्द जी, बैठिये आप। गोपीचन्द जी बैठ जाएं। (व्यवधान) गोपीचन्द जी, बैठिये आप। गोपीचन्द जी।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री अध्यक्ष : I have not allowed you. Sit down, Sit down. बैठ जाइये please Sit down, बैठिये आप।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ×××

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री मोतीलाल : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : ×××

श्री अध्यक्ष : केवल घनश्याम जी का अंकित होगा और किसी का अंकित नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल बैरवा : ×××

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : ×××

श्री बृजेन्द्र सिंह सुपा : ×××

श्री गोपीचन्द : ×××

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष : आप नीचे से बात करें । बाहर जाइये । नीचे से बात करें । प्लीज, सार्जेण्ट । सार्जेण्ट, नीचे उतारें । हम आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ×××

श्री गोपीचन्द : ×××

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री अध्यक्ष : भंवरलालजी को बाहर निकालो । इनको बाहर निकालो । सार्जेण्ट, भंवरलालजी को बाहर निकालो । (व्यवधान) सार्जेण्ट, भंवरलालजी को बाहर निकालो । बाहर निकालो इनको ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति महोदय/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रावि

सचिव, राजस्थान विधान सभा : अध्यक्ष महोदय मैं उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :—

(क) राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

भारतीय भागीदारी (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1995

(ख) राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 1995
2. राजस्थान निवारक निरोध (निरसन) विधेयक, 1996
3. राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1996

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(सचिव, राज. विधान सभा)

4. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : अधिसूचनाएं। श्री हरिशंकर भामड़ा, उप मुख्य मंत्री वित्त विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

वित्त विभाग

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचनाएं संख्या एफ. 4(69) एफ. डी./कर अनु./95-1/-71, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ. 4 (69) एफ. डी./कर अनु./95-32, दिनांक 15-3-1996 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी. /कर. अनु./95-1/-71, दिनांक 23 जुलाई, 1996, जिसके द्वारा कतिपय कृषि उपकरणों के क्रय या विक्रय में कर की छूट दी गई है;

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./कर. अनु./95-1/-73, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा सूत की रस्सी और नेफ्था के क्रय या विक्रय पर कर में छूट दी गयी है;

(4) अधिसूचना संख्या एफ.4(69) एफ. डी./कर. अनु./95-1/-74, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा कतिपय शर्तों के साथ एक हार्स पावर तक के वाटर पम्पों के क्रय और विक्रय पर कर में छूट दी गयी है;

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./कर. अनु./95-1/-75, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा ग्रे क्लाथ के विक्रय या क्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गयी है;

(6) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./कर. अनु./95-1/-76, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा शल्य चिकित्सकीय सूती पट्टी के क्रय या विक्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गयी है;

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./कर. अनु/95-1/-77, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./कर. अनु./95-37 दिनांक 15-3-1996 का विखण्डित किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

एफ. डी /कर. अनु./95-1/-78, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा गोबर के कण्डे के विक्रय पर कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गई हैं;

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./कर. अनु./95-1/-79, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा सभी प्रकार के बियरिंग के विक्रय पर कर में छूट दी गई है;

(10) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./कर. अनु /95-1/-80, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा ग्रेनाइट के विक्रय पर कर में छूट दी गई है ;

(11) अधिसूचना संख्या एफ 4 (69) एफ. डी./कर अनु. /95-1/ 81, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा राज्य में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त रूई के, नई सूती धागा विनिर्माण इकाई को विक्रय या उसके द्वारा क्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गयी है ;

(12) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी./ कर अनु./95-1/-82, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा विद्यमान 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख ग्वार गोंद विनिर्माण इकाई को ग्वार के विक्रय और उसके द्वारा क्रय को कतिपय शर्तों के साथ कर में छूट दी गयी है ;

(13) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी. / कर अनु./95-1/-83 दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ. 4 (35) एफ. डी. / ग्रुप / 87–38, दिनांक 6 जुलाई, 1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(14) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी. / कर अनु. /95-1/-84 दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ. 4 (35) एफ. डी. ग्रुप-4/87-39, दिनांक 6-7-1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;

(15) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी. / कर अनु./95-1/-85 दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ. 4 (66) एफ, डी, / ग्रुप-4/82-40, दिनांक 6-7-1989 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ; एवं

(16) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (69) एफ. डी. / कर अनु./95-1/-86, दिनांक 23 जुलाई, 1996 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या-एफ. 4 (66) एफ. डी. / ग्रुप-4/82-41

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

दिनांक 6-7-89 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी, राजस्व मंत्री राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) । अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (2) राज/उप/84, दिनांक 20 अगस्त, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान उप निवेशन अधिनियम की धारा 13 (क) (1-क) के अधीन भूमि के अन्तरणों को नियमित करने हेतु पार्थना पत्र प्रस्तुत करने की अवधि 31-12-1996 तक बढ़ाई गई है;

(2) अधिसूचना संख्या प. 13 (7) राज/उप/89, दिनांक 16-10-96, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा. न. प. व भाखड़ा परियोजना क्षेत्र की मण्डियों में भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम, 1973 की शर्त 2 (9) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुरानी मण्डी घडसाना में 29.08 बीघा रकबा भूमि सम्मिलित की गयी है ;

(3) अधिसूचना संख्या प. 3 (37) राज/उप/88, दिनांक 7-11-19-96 जिसके द्वारा नोहर साहूवा को उपनिवेशन तहसील घोषित किया गया है ;

(4) अधिसूचना संख्या प. 3. (37) राज/उप/88, दिनांक 7-11-19-96 जिसके द्वारा तहसील कोलायत में सहायक उपनिवेशन आयुक्त को सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(5) अधिसूचना संख्या प. 3 (37) राज/उप/88, दिनांक 7-11-19-96 जिसके द्वारा तहसील कोलायत में पहले से सर्वेक्षित क्षेत्रों में अभिलेखों का सामान्य/आंशिक पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है ;

(6) अधिसूचना संख्या प. 3 (37) राज/उप/88, दिनांक 7-11-19-96 जिसके द्वारा तहसील कोलायत में सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया है ; एवं

(7) अधिसूचना संख्या प. 3 (100) राज/उप/94, दिनांक 8-1-1997 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में भू-आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

(1) अधिसूचना संख्या एफ.6 (राज/6/82/17, दिनांक 20-8-96 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किये गये हैं;

(32)

(श्री गंगाराम चौधरी)

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 6/(13) राज/6/91/18, दिनांक 20.8 96 जिसके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भवनों के संनिर्माण के लिए अनधिकृत सरकारी कृषि भूमियों के आवंटन के लिए पूर्व अधिकथित शर्तों में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या प.6 (63) राज -4 /75 राज-6/19, दिनांक 20.8.96 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमाओं और होटलों के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन और नियमितिकरण) नियम, 1978 में संशोधन किये गये हैं;

(4) अधिसूचना संख्या प.6 (13) राज-6/91-24, दिनांक 8.10.96 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन एवं संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं;

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 6 (6) राज-6/92/31, दिनांक 4.11.96 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषित प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 में संशोधन किये गये हैं;

(6) अधिसूचना संख्या प.6 (12) राज 6/91/32, दिनांक 6.11.1996 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गये है;

(7) अधिसूचना संख्या प.6 (2) राज 6/91/36, दिनांक 6.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (औद्योगिक क्षेत्र आवंटन) नियम, 1959 में सशोधन किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या प.5 (3) राज- 6/96/37, दिनांक 13.12.96 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 में संशोधित किया गया है; एवं

(9) अधिसूचना संख्या प.6 (25) राज/6/92/2, दिनांक 4.1.1997 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (लवण क्षेत्रों का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मन्त्री खनिज एवं विधि विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं खनिज एवं विधि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(i) खनिज विभाग

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 14 (4) खान/ग्रुप-2/86/पार्ट-6, दिनांक

(श्री कैलाश मेघवाल)

26 अगस्त, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान 'गौण खनिज रियायत नियम, 1986 में संशोधन किया गया है ; एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 7(17) खान/ग्रुप-2/95-5, दिनांक 25 सितम्बर, 1996 जिसके द्वारा राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 1986 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ।

(ii) विधि विभाग

अधिसूचना संख्या एफ. 8 (1) विधिक-2/95, दिनांक 5.8.96 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 विनिर्मित किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार, परिवहन राज्य मन्त्री परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

परिवहन विभाग

श्री रोहिताश्व (राज्य मन्त्री, परिवहन) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या प. 6(96) परि/मु/कर मुक्त/93- II, दिनांक 17.9.96 जिसके द्वारा श्री सत्संग महासभा ट्रस्ट की बसों को कर छूट दी गयी है ; एवं

(2) अधिसूचना संख्या प. 6 (125) परि/कर/87, दिनांक 2.11.96 एवं प. 6(125) परि/कर/87-II दिनांक 6.11.96, जिसके द्वारा शैक्षणिक भ्रमण की अवधि में कर की छूट दी गयी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह चौधरी, कृषि राज्य मन्त्री कृषि विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

कृषि विभाग

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (राज्य मंत्री, कृषि) : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज़ पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या प. 17(69) कृषि-2/89, दिनांक 22.7.96 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996 विनिर्मित किये गये हैं ;

(2) अधिसूचना संख्या प. 8 (8) कृषि-2/92 पार्ट-II दिनांक 22.8.96 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996 विनिर्मित किये गये हैं ; एवं

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 9 (37) कृषि/ग्रुप-2/94, दिनांक 19.11.96 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 में संशोधन किये गये हैं ।

(34)

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा श्रम एवं नियोजन राज्य मन्त्री श्रम एवं नियोजन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्रम एवं नियोजन विभाग

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मन्त्री, श्रम एवं नियोजन) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम एवं नियोजन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (4) श्रम/95, दिनांक 6-7-96, जिसके द्वारा राजस्थान बायलर अपरेशन इंजीनियर्स रुल्स, 1967 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 12 (9) एन एण्ड ई/83, दिनांक 5-7-95 एवं एफ. 4 (8) श्रम/95 दिनांक 11-9-96 जिसके द्वारा राजस्थान फैक्ट्रीज नियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं; एवं

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (3) श्रम/95, दिनांक 7-8-1996 जिसके द्वारा राजस्थान बायलर्स अटेण्डेंट नियम, 1954 में संशोधन किये गये हैं।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर भामड़ा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री हरिशंकर भामड़ा (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(अ) दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1995-96;

(ब) राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का नवां एवं दसवां प्रतिवेदन वर्ष, 1992-93 एवं 1993-94; एवं

(स) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, जयपुर का 27वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण, 1995-96

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान लोक सेवा आयोग का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रेल, 1994 से 31 मार्च, 1995) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, गृह मंत्री प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) टोंक नगर में दिनांक 7 दिसम्बर,

(श्री कैलाश मेघवाल)

1992 को हुए दंगों का प्रशासनिक जांच प्रतिवेदन मय राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन; एवं

(2) पुलिस थाना मकराना पर दिनांक 27 जनवरी, 1996 को हुई पुलिस फायरिंग का प्रशासनिक जांच प्रतिवेदन मय राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 19वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जैन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति का निम्न प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

मंगलवार, दिनांक 21 जनवरी, 1997	:	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद।
बुधवार, दिनांक 22 जनवरी, 1997	:	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी, 1997	:	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी, 1997	:	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर।
शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 1997	:	बैठक नहीं होगी।
रविवार, दिनांक 26 जनवरी, 1997	:	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 27 जनवरी, 1997	:	अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 1996-97 (प्रथम संकलन) पर विचार एवं पारण और तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर सदन अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

कार्य सलाहकार समिति के 19वें प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

श्री गंगाराम चौधरी।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए :—

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्या-4), भूमि राजस्व न्यायालयों और राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियों और कर्तव्यों नक्शों और भूमि अभिलेखों की तैयारी और उनके रखे जाने, राजस्व और लगान के परिनिर्धारण, राजस्व के संग्रहण तथा तद्नुषंगी विषयों, से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिये विधेयक।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्या-4) पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय बढ़ाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करता हूं कि निम्नांकित विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए :—

राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्या-8) कृषि भूमियों की अभिधृतियों से सम्बन्धित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए विधेयक।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 1996 (1996 का विधेयक संख्या-8) पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997

श्री हरिशंकर भाभड़ा जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर मैटल्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 1997, को पुरःस्थापित करता हूं।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिये 12 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं :-

क्र.सं.	पार्टी का नाम	आवंटित समय
1.	भारतीय जनता पार्टी	6.00 घंटे
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	4.30 घंटे
3.	जनता दल	0.20 घंटे
4.	सी.पी.एम.	0.05 घंटे
5.	निर्दलीय	1.05 घंटे
	कुल	12.00 घंटे

श्री घनश्याम तिवाड़ी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

श्री अध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 22 जनवरी, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 15.25 बजे बुधवार, 22 जनवरी, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

(सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित/अतारांकित प्रश्नोत्तर)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

1. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) एवं श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान शिक्षा सत्र में कौन-कौन से सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने-कितने शिक्षकों के पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है उपरोक्त विद्यालयों में से कुछ ऐसे भी विद्यालय है जिनमें जो विषय स्वीकृत हैं एवं उस विषय के छात्र भी भर्ती किये हुये हैं, परन्तु उक्त विषय के एक भी अध्यापक नहीं हैं ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में ?

(3) उपरोक्त अव्यवस्था के लिये कौन जिम्मेदार है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्तमान में रासीमावि में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार है :—

व्याख्याता	—	1666
वरिष्ठ अध्यापक	—	85
अध्यापक	—	09

उक्त रिक्त पदों का जिलेवार एवं विद्यालयवार विवरण सदन के पटल पर परिशिष्ट-1 में रख दिया गया है।

(2) जी, हां। विद्यालयवार विषय अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 1 में सम्मिलित है।

(3) विषय व्याख्याता के पद रिक्त रहने का एक मुख्य कारण व्याख्याता के पद पर पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक द्वारा पदोन्नति पर कार्यग्रहण नहीं करना रहा है; हालांकि विभाग ने प्रायः सभी विषयों की डी. पी. सी. वर्ष 1996-97 तक आयोजित कर ली है और पदोन्नति आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी गई है और नवनियुक्त वरिष्ठ अध्यापक कार्यग्रहण करने की प्रक्रिया में है।

व्याख्याताओं के पद रिक्त रहने से अध्ययनरत छात्रों के शिक्षण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने दिया जाय इस दृष्टि से राज्य सरकार ने कई व्यवस्थाये की है जिनमें से मुख्य निम्न हैं :—

(अ) संस्था प्रधानों को अधिकृत किया गया है कि वे व्याख्याताओं के रिक्त पदों

(शिक्षा मंत्री)

के विरुद्ध दैनिक मानदेय के आधार पर सेवा निवृत व्याख्याताओं को नियोजित कर लें। इस प्रकार नियोजित किये गये सेवा निवृत व्याख्याताओं को दैनिक मानदेय रु. 100/— से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति दिन और अधिकतम आयु 61 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।

(ब) ऐसे अध्यापकों से जो सम्बन्धित विषय के व्याख्याता पद की योग्यता रखते हों को 40/- रुपये प्रति कालांश (अधिकतम 125/- रुपये प्रतिदिन) के मानदेय पर सीनियर माध्यमिक कक्षाओं को पढाने की व्यवस्था की गई है।

(स) निमट के विद्यालय में डाइट और अन्य संस्थाओं में कार्यरत व्याख्याताओं को व्याख्याता के रिक्ती वाले विद्यालयों में अस्थाई तौर पर प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था की गई है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अधिशासी अभियन्ता, बून्दी के अधीन मशीनों का रख रखाव

2. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग में नहर व ड्रेनों की सफाई के लिये अलग अलग मशीनें हैं ? यदि हां, तो बून्दी जिला अधिशासी अभियन्ता के अधीन कितनी-कितनी मशीनें हैं ?

(2) क्या यह सही है कि मशीनों का कार्य जिसमें मशीनों का वितरण, खराब मशीनों को ठीक करवाना, मशीनों में तेल वगैरा की व्यवस्था एक ही अधिकारी के अधीन है ? यदि नहीं, तो किस किस अधिकारी के अधीन यह व्यवस्था है ?

(3) क्या यह सही है कि बून्दी जिले में अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय खोलने के बाद भी नहर व ड्रेनेज की सम्पूर्ण सफाई हेतु मशीनों के उपयोग के अधिकार कोटा कमिश्नर कार्यालय के पास ही है ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक मशीन के कार्य के लिए कोटा ही सम्पर्क करना पड़ता है ? यदि नहीं, तो बून्दी कार्यालय खोलने के बाद कितनी मशीनों द्वारा ड्रेनों व नहरों की सफाई की गई ? ग्रामवार की गई सफाई का किलोमीटर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग के पास उपलब्ध मशीनों से ही नहर व ड्रेन सफाई का कार्य लिया जाता है। पृथक से कोई अलग-अलग मशीनें नहीं है। बूंदी जिला अधिशासी अभियन्ता के क्षेत्र में नहरों व ड्रेनों की सफाई हेतु माह दिसम्बर, 96 तक कुल 15 मशीनें कार्यरत थी जिसमें से 5 मशीनें अधिशासी अभियन्ता के अधीन हैं।

(2) जी, हां। समस्त मशीनें अधिशासी

(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास)

अभियन्ता, फील्ड मशीनरी खण्ड, सी.ए.डी. कोटा के अधीन है।

(3) जी, हां। वर्ष के प्रारम्भ में आयुक्त क्षेत्रीय विकास, कोटा क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं मशीनों की उपलब्धता को देखते हुए आयुक्त द्वारा मशीनें आवंटित की जाती हैं। यदि आवंटित कार्य के अतिरिक्त कार्य किया जाना हो तो अतिरिक्त मशीनों की स्वीकृति कोटा आयुक्त, सी. ए. डी. से ही प्राप्त करते है। मशीनों के रख-रखाव आदि के अधिकार अधिशासी अभियन्ता, फील्ड मशीनरी खण्ड, सी. ए. डी. कोटा के पास है। नहरों की सफाई का कार्य सिंचाई शाखा के द्वारा तथा ड्रेनों की सफाई का कार्य भूमि विकास शाखा के द्वारा करवाया जा रहा है। बूंदी में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने के उपरान्त 45.70 कि. मी. नहरों की सफाई व मरम्मत का कार्य तथा 90.225 कि. मी. ड्रेनों की सफाई का कार्य करवाया गया है। जहां जहां नहरों की सफाई व ड्रेन की सफाई करवाई गई है, ग्रामवार सूची संलग्न परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट "क"

नहरों की सूची जहां सफाई एवं मरम्मत का कार्य किया गया है।

क्रमांक	कार्य का नाम	कुल लम्बाई कि.मी. में	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1.	खटकड़ राजवाह में मिट्टी का कार्य	3 कि. मी	अजेता एवं देलून्दा
2.	बैड कटिंग गुवाड़ी माइनर	1 कि. मी.	भैरूपुरा, ओंकारपुरा व गुवाड़ी
3.	दौलाड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी पर बेक रिपेयरिंग का कार्य (चैन 47 से 290 तक टुकड़ों में)	4.50 कि.मी.	दौलाड़ा, किशनपुरा एवं बागदा

1	2	3	4
4.	दयालपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी पर बैंककटिंग का कार्य	4.50 कि.मी.	मा. डा., गोवर्धनपुरा, जावरी एवं नन्दपुरा
5.	दोलाड़ा माइनर पर बैंककटिंग का कार्य	2 कि. मी.	दोलाड़ा एवं बलदेवपुरा
6.	पट रिपेयरिंग का कार्य अन्धेड़ डिस्ट्रीब्यूटरी	2 कि. मी.	नयाता रोड़ एवं गोदे-नाल
7.	लीलेड़ा माइनर पर बैंककटिंग का कार्य	2 कि. मी.	लीलेड़ा एवं चरणाना
8.	अन्धड़ा माइनर के बैंक रिपेयरिंग का कार्य	0.75 कि. मी.	अन्धड़ा
9.	बिनाइका माइनर की बैंक रिपेयर का कार्य	2 कि. मी.	बिनाइका
10.	रिपेयर आफ बैंक आफ चाम्दन हैली माइनर	0.75 कि. मी.	चाम्दन हैली
11.	रिपेयर आफ बैंक आफ कुल्हाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी	0.60 कि. मी.	मेहूराना
12.	सुवासा मैन ड्रेन की सफाई का कार्य	0.75 कि. मी.	सुवासा
13.	बाजड़ राजबहा की चैन 620 के सहीर ड्रेन सफाई का कार्य	0.75 कि. मी.	अन्धड़ा
14.	बड़ून्दा ग्राम की ड्रेन की सफाई का कार्य	0.10 कि.मी.	बड़ून्दा
15.	मैन्टीनन्स सीपेज ड्रेन पाटन ब्रांच चैन 204 से 235	1 कि.मी.	पाटन

1	2	3	4
16.	बैड कटिंग पाटन राजवाह चैन 0 से 235	8 कि.मी.	पाटन, लाखेरी, सूनगर
17.	चितावा राजवाह पर मिट्टी का कार्य	3 कि. मी.	चितावा
18.	मिवा माइनर की सफाई का कार्य	2 कि मी.	मिवा
19.	पाटन ब्रांच चैन 1070 से 1150 तक सफाई का कार्य	3 कि. मी,	अनन्तपुरा
20.	बाजड़ली माइनर की मरम्मत कार्य	1½ कि. मी.	बजड़ली
21.	गरजनी माइनर की मरम्मत कार्य	1 कि. मी.	गरजनी
22.	बलकासा राजवाह की मरम्मत कार्य	1½ कि. मी.	बलकासा
		45.70 कि. मी.	

परिशिष्ट--"ख"

LMC Area

Statement Showing progress of Special Repair/Desilting of Surface Drains during the year 1996-97 (Upto Dec.1996) : LMC

S. No.	Name of Drainage zone	Zone No.	Name of Drain	Length (Km)	Achieved	Balance
1	2	3	4	5	6	7
1.	Binayka Drainage Scheme	12 PI	MD	11	11	—
2.	-- do --	-- do --	MSD	3.5	2 59	—
3.	--do --	-- do --	SD	4	1.1	—
4.	Jamitpura Drainage Scheme	10	CD I	1.7	1.8	—
5.	Bhanwaria kua Drainage Scheme	3	MSD	4.8	2.46	—
6.	Gumanpura Drainage Scheme	4	MD	4.1	4.2	—

1	2	3	4	5	6	7
7.	Matunda Drainage Scheme	7	MSD	2.30	2.30	—
8.	– do –	-- do --	SD	2.0	2.00	—
9.	Malikpura Drainage Scheme	18	MSD5 & 6	10.5	2.00	5 Km.
10.	SitaPura Drainage Scheme	2	MSD2	2.00	1.00	....
11.	Bajar Drainage Scheme	11 PI	MSD4	2.8	2.8	...
12.	-- do --	-- do --	CD 1	1.5	" "	1.5km
					33.45Km.	6.5Km.

CATCHMENT AREA

1	2	3	4	5	6	7
1.	Samarba	8	S.D	7.0km	7.0km	....
			H.D./ MSD	1.8km	1.8km	....
2.	Rangpuria I	14	SD	3.96	3.96	....
			HD/MSD	2.88	2.88	—
3.	Balapura (A&B)	18	SD	9.9	9.9	....
			HD/MSD	8.0	8.0	....
4.	Nayagaon D	18	SD	0.96	0.96	....
5.	Hingonia (A&B)	18	SD	8.01	8.01	....
			HD/MSD	6.135	6.195	....
6.	Bagda	7	SD	2.13	2.13	....
			MSD	6.00	6.00	....
					56.775km	

राज्य में नये जिलों का गठन

3. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे :–

(1) क्या सरकार राज्य प्रशासन को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से मनोत समिति की सिफारिश के आधार पर नए जिले बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कौन-कौन से जिले किन-किन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाना विचाराधीन है ?

(2) क्या यह सही है कि माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति ने ब्यावर एवं प्रतापगढ़ को भी जिला बनाने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति कब तक कर दी जायेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मनोत समिति ने नये जिले बनाने के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं की है।

(2) जी, नहीं। माननीय अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में ब्यावर व प्रतापगढ़ मुख्यालय पर जिला सृजित करने हेतु पृथक से कमेटी गठित करने का सुझाव दिया है, ना कि उक्त स्थानों पर जिला बनाने की कोई सिफारिश की है।

लोक अदालतों का कार्य क्षेत्र

4. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) लोक अदालतों के माध्यम से राज्य में पिछले तीन वर्षों में कितने मुकदमों का निस्तारण किया गया ?

(2) क्या सरकार गरीब जनता को ज्यादा लाभान्वित करने के उद्देश्य से लोक अदालतों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार लोक अदालतें कार्यपालिका के न्यायालयों पर भी प्रारम्भ करने का विचार रखती है ताकि राजस्व तथा अन्य छोटे फौजदारी मुकदमों का निस्तारण इनके माध्यम से हो सके ?

उत्तर

(1) राज्य में पिछले तीन वर्षों में लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित हुए मुकदमे निम्न प्रकार से है :—

क्र.सं.	प्रकरणों की प्रकृति	लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित प्रकरणों की संख्या 1993	1994	1995	कुल प्रकरण
1	2	3	4	5	6
1.	दीवानी	6221	6285	6607	19113
2.	फौजदारी	87837	48283	40204	136324
3.	वैवाहिक 125 सीआरपीसी	1300	1472	1629	4401
4.	श्रम एवं औद्योगिक विवाद	731	472	112	1315
5.	एम. ए. सी. टी. प्रकरण	2975	3960	3269	10204
	अवार्ड	10,50,23,612–	16,50,41379–	17,01,20,566–	

1	2	3	4	5	6
6.	राजस्व मामले	2235	564	58	225
7.	अन्य प्रकरण (लघु मामलात)	18386	11467	4843	34696
	कुल	79685	72503	56722	208910

(2) राजस्थान विधिक सहायता नियम, 1984 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के तत्वाधान में वर्तमान में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थापित न्यायालयों द्वारा माह के आखिरी शनिवार को नियमित रूप से मासिक लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है व वर्ष में दो बार सेरेमोनियल लोक अदालत समारोह के रूप में करने का प्रावधान है। राज्य सरकार का गरीब जनता को ज्यादा लाभान्वित करने के उद्देश्य से लोक अदालत के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है तथा इसी क्रम में विधिक सेवा अधिनियम 1987 तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 1995 के प्रभाव में आ जाने पर अब लोक अदालतों को कानूनी जामा पहना दिया गया है जिसके तहत अब पूरे राज्य में इन कार्यों के संचालन हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं ताल्लुका विधिक सेवा समितियों का गठन किया जा रहा है जो प्रगति पर है। राज्य सरकार ने उक्त प्राधिकरणों व समितियों के कार्य संचालन हेतु आवश्यक पद व बजट की स्वीकृति भी दे दी है तथा इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही यह कार्य कर लिया जायेगा। उपरोक्त प्राधिकरणों/समितियों के गठन हो जाने के पश्चात लोक अदालत में और भी अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो सकेगा जिनमें न्यायालय में लम्बित मामलों के साथ-साथ ऐसे मामले भी होंगे जो अभी तक न्यायालय में नहीं आये हैं तथा जो विवाद का कारण बने हुए हैं उन्हें प्री-लीटिगेशन केसेज के रूप में आने पूर्व ही लोक अदालत के माध्यम से निपटा लिया जायेगा।

(राज्य मंत्री, विधि)

(3) राज्य सरकार का पूर्व से ही कार्यपालिका के न्यायालयों में लोक अदालत लगाने का विचार रहा है व इसी क्रम में न्यायिक अदालतों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की जाती है इन्हें और सफल करने के लिये राजस्व अधिकारियों से से न्यायिक अदालतों की तरह माह के आखरी शनिवार को नियमित रूप से मासिक लोक अदालतों का आयोजन करने के लिये आग्रह किया जाता है। अधिनियम व विनिर्मित नियमों के प्रावधान प्रभाव में आने से राजस्व मामलों में भी आवेदन पेश होने पर नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही की जावेगी।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसलमेर में नियुक्ति प्रकरण

5. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में जैसलमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक में नियुक्तियां की गई ? यदि हां, तो इसमें कितने पद भरे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों की चयन प्रक्रिया क्या थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें विभाग को मिलीं ? यदि हां, तो कितनी शिकायतें व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि जांच रिपोर्ट पर सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो जांच प्रगति सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 को आडिट रिपोर्ट में भी यह बात आई ? यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। बैंक द्वारा वर्ष 1995-96 में तीन अधिकारियों, चार लिपिक/कैशियर एवं दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति की गई। सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) बैंक द्वारा उक्त पदों हेतु अपनाई गई चयन प्रक्रिया का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। यह सही है कि नियुक्तियों में अनियमितताओं की 11 शिकायतें एवं उनके स्मरण पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अति. रजिस्ट्रार (प्रथम) से जांच करवाई गई।

(4) अति. रजिस्ट्रार (प्रथम) द्वारा की गई जांच की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई परन्तु बैंक में इन

(सहकारिता मंत्री)

नियुक्तियों के विरूद्ध दो रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन होने तथा मामला सब ज्यूडिस होने के कारण जांच अधिकारी से अपनी रिपोर्ट में कोई निष्कर्ष दिया जाना उचित नहीं समझा ।

(5) जी हां, चूंकि उक्त नियुक्तियों के संबंध में रिट याचिकायें माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन हैं । अतः उक्त याचिकाओं पर निर्णय उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

परिशिष्ट—(अ)

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 जैसलमेर द्वारा वर्ष 1995-96 में की गई नियुक्तियों की सूची :-

"डी" श्रेणी अधिकारी :

1. श्री विजेन्द्र सिंह
2. श्री सज्जनसिंह भाटी
3. श्री प्रहलादराम मेघवाल (अनु. जाति)

लिपिक वर्ग :

1. श्री अमृत राम (अनु. जाति)
2. श्री हनुमानसहाय मीणा (अनु.जन-जाति)
3. श्री कर्णी सिंह जोधा
4. श्री मनोजकुमार शर्मा

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी :

1. श्री छोगाराम (अनु.जाति)
2. श्री कान दान

परिशिष्ट—"ब"

नियुक्तियां हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया व कार्यवाही विवरण निम्न प्रकार है:—

1. बैंक की निर्धारित स्टाफ स्ट्रेन्ज के अनुसार समाचार पत्र में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु को अभ्यार्थियों के लिये आने का निर्णय किया गया।

2. अधिकारियों के रिक्त पदों हेतु राजस्थान पत्रिका जोधपुर संस्करण एवं स्थानीय दैनिक में बैंक को विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी गई।

3. रोजगार कार्यालय से रिक्त पदों को भरने हेतु पत्रांक 1152 दिनांक 22.7.95 से पंजीकृत बेरोजगारों की सूची मांगने हेतु पत्र लिया गया था। जिसके क्रम में नियोजन कार्यालय द्वारा अपने पत्रांक 2193 दिनांक 5.8.95 द्वारा रिक्त पदों पर वांछित योग्यताधारी अभ्यार्थियों की सूचि अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण दिनांक 7.8.95 तकभेजी जाना संभव नहीं होने की बात लिखी।

4. प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रत्याशियों की लिखत एवं साक्षात्कार हेतु बुलाया गया।

5. लिखित परीक्षा संचालित करने हेतु जोधपुर विश्व विद्यालय से सहायक प्रोफसरों की सेवायें ली गई। तत्पश्चात् स्थानीय राजकीय विद्यालय में लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई। पुस्तिकाओं की जांच हेतु स्थानीय सहायक प्रोफसरों की सेवायें प्राप्त की गई।

6. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 80 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा एवं 20 प्रतिशत अंक साक्षात्कार हेतु निर्धारित किये गये। लिखित परीक्षा ली गई व साक्षात्कार लिये गये।

7. साक्षात्कार व लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर व्यक्तिवार योग्यता सूची बनाई गई। योग्यता सूची के आधार पर विभिन्न वर्गों के आशार्थियों का चयन किया गया।

8. उक्त चयन प्रक्रिया अनुसार सफल अभ्यार्थियों के चयन के पश्चात् बैंक द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई।

जनजाति क्षेत्र में नौकरियों हेतु आरक्षण

6. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

जनजाति क्षेत्र में किन-किन नौकरियों हेतु कितना-कितना आरक्षण कब से लागू किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में वन संरक्षक, पुलिस कान्स्टेबिल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, कनिष्ठ लिपिक तथा सहायक अध्यापक की नौकरियों में 45% पद जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने के आदेश वर्ष 1995 में जारी किये गये थे, तत्पश्चात् वर्ष 1996 में ए. एन. एन. एम. पी. डब्ल्यू, वार्ड वाय, आयुर्वेद कम्पाउण्डर/नर्स कनिष्ठ ग्रेड, पशुधन सहायक, शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड–III आदि पदों के लिए भी यह आदेश लागू कर दिया गया है ।

जिला सवाई माधोपुर के पर्यटन स्थल

7. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर में कितने स्थानों को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पर्यटन स्थलों के लिए सरकार द्वारा क्या सुविधायें उपलब्ध कराई जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार तहसील नादौती जिला सवाई माधोपुर के गढ़मोरा क्षेत्र को पर्यटन स्थल मानती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्य अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा पर्यटक स्थल घोषित नहीं किये जाते हैं ।

(2) पर्यटकों की सुविधा हेतु विभाग राजस्थान पर्यटन विकास निगम के माध्यम से आवास एवं भोजन सुविधा आदि उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त स्थल विशेष की आवश्यकतानुसार पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु विकास कार्य कराये जाते हैं ।

(3) जी, नहीं । चूंकि गढमोरा अभी तक पर्यटन क्षेत्र में अपनी पहचान नहीं बना पाया है ।

ग्राम उंतीरामपुरा (जयपुर) में ग्रिड सब स्टेशन

8. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम उंतीरामपुरा जिला जयपुर में बिजली की लाइन लम्बी

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

होने के कारण ग्रिड सब स्टेशन स्वीकृत किया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त कार्य अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। उंतीरामपुरा में बिजली की लाइन लम्बी होने के कारण एक नया 33/11 के.वी. सब स्टेशन उंतीरामपुरा में निर्माण हेतु वर्ष 1996-97 के 33 के.वी. वार्षिक कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु ठेकेदारों से तीन बार निविदाएँ मांगी गई, लेकिन निविदाएँ प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। पुनः निविदाएँ मांगी जा रही हैं तथा निविदाएँ प्राप्त होने के पश्चात् सामान की उपलब्धता के अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

आश्वासित रोजगार योजनान्तर्गत जिलों को आबंटित राशि

9. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किस-किस जिले में भारत सरकार की आश्वासित रोजगार योजना लागू है ? इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा मुख्यतया क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? दिशा-निर्देश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अनुसार सन् 1995-96 में किस-किस जिले को कितनी-कितनी राशि आवंटन की गई तथा उसमें से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न जिलों द्वारा आवंटन राशि से कम राशि व्यय की गई है ? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की गई है कि आवंटन से कम राशि क्यों खर्च की गई ? यदि हां, तो किस प्रकार और इसके लिए किसको दोषी पाया गया ? दोषियों के विरुद्ध कब एवं क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्य के समस्त 31 जिलों में आश्वासित रोजगार योजना लागू है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 1995-96 में उपलब्ध कराई गई एवं व्यय की गई राशि का जिलेवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत वर्षवार निश्चित आबंटन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक सतत् योजना है जिसके अन्तर्गत पंचायत समि-

(राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन)

तियों को उनके द्वारा किये गये खर्चों के आधार पर आगामी किश्त की राशि उपलब्ध होती है।

(4) यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर योजना की समीक्षा की जाती है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिलों द्वारा राशि का व्यय मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जावे। योजना के प्रावधानों के अनुसार जिलों द्वारा कुछ उपलब्ध राशि का 50 प्रतिशत व्यय होने पर आगामी किश्त के प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं एवं भारत सरकार से जिलों को राशि जारी करवाई जाती है। आगामी किश्तें खर्चे की प्रगति के आधार पर प्राप्त होती है। वर्ष 1995-96 में अधिकत्तम जिलों की आगामी किश्तों की राशि माह जनवरी से मार्च तक भारत सरकार से प्राप्त हुई थी, जिसके कारण जिलों के पास वर्ष के अंत में राशि अवशेष रहना स्वाभाविक था। अतः इस सम्बन्ध में न तो कोई दोषी होता है एवं न ही कोई कार्यवाही वांछित है।

(प्रति एवं विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बांसवाड़ा में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद

10. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में पशु चिकित्सकों, सहायक पशुपालकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में शल्य पशु चिकित्सकों के 9, पशु चिकित्सा सहायकों के 3 एवं पशुधन सहायकों के 2 पद रिक्त हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी हां। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(56)

बांसवाड़ा जिले में रिक्त पदों की सूची :—

1. पशु शल्य चिकित्सक (वी.एस.)

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदों की संख्या	कब से
1.	बहुद्देशीय पशु चिकित्सालय	3	4/96
2.	उप जिला पशु पालन अधिकारी	1	4/96
3.	जिला रोग निदान केन्द्र	1	4/96
4.	सबडिवीजनल मोबाईल यूनिट, गढ़ी	1	4/96
5.	सबडिवीजनल मोबाईल यूनिट, कुशलगढ़	1	4/96
6.	ग्राम आधार योजना, सांगवाड़ा/बांसवाड़ा	2	
	कुल	9	

2. पशु चिकित्सा सहायक (वी.ए.)

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदों की संख्या	कब से
1.	पशु चिकित्सालय, छोटा डूंगरा	1	11/95
2.	पशु चिकित्सालय, अकोला	1	6/95
3.	पशु चिकित्सालय, पीपलखूंट	1	10/96
	कुल	3	

3. पशु धन सहायक

क्र.सं.	संस्था का नाम	पदों की संख्या	कब से
1.	ग्राम आधार योजना, बांसवाड़ा	1	5/96
2.	पशु चिकित्सालय, बम्बोरी	1	3/96
	कुल	2	

जिला डूंगरपुर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

11. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 1995-96 में कितने प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ? पंचायत समिति के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। इनमें से कितने विद्यालयों को प्रारम्भ कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्कूलों को क्रमोन्नत करने के बाद पंचायत में पहले से उच्च प्राथमिक विद्यालय होने एवं एक किलोमीटर के अन्दर विद्यालय होने पर विद्यालय क्रमोन्नत करने पर रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये गये हैं उनकी दूरी वर्तमान विद्यालयों से 2 से 4 किलोमीटर की है, फिर भी उन्हें क्रमोन्नत नहीं किया गया है ? जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत करने से रोका गया है ? उनकी वर्तमान विद्यालय से कितनी दूरी है विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 95-96 में निम्न प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया :—

(शिक्षा मंत्री)

क्र. सं.	पं स. का नाम	क्रमोन्नत विद्यालय का नाम
1.	डूंगरपुर	सीमवड़, पाडली गुजरेश्वर
2.	सागवाड़ा	पारडासरोडा, रणोली, थोड़ापल
3.	सीमलवाड़ा	झरनी, साबिया
4.	आसपुर	नादलीसागोर, पचलासाबड़ा, खेड़ाआसपुर
5.	बिछीवाड़ा	काकरादरा, रायसर मेवाड़, छामोड़

उपरोक्त सभी विद्यालय सत्र 95-96 से प्रारम्भ कर दिये गये।

(2) जी नहीं।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

कृषि गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

12. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1996-97 में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं कृषकों तक योजनाओं को पहुंचाने की दृष्टि से कब-कब, क्या-क्या प्रशिक्षण आयोजित किये गये एवं उनमें किन-किन की भागीदारी रही ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषि एवं भू-संरक्षण कार्यों से जुड़े अन्य संगठनों एवं कृषकों का कृषि, कृषिवानिकी, उद्यान, पौध संरक्षण, चारागाह, पशुपालन, भू-संरक्षण व अन्य संचालित गतिविधियों की तकनीकी जानकारी देने हेतु सामूहिक प्रशिक्षण शिविर आयोजन करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक एवं राज्य स्तरीय अथवा जिलेवार ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 1996-97 में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एवं कृषकों तक विभिन्न योजनाओं में नवीनतम तकनिक पहुंचाने के लिये विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं, जिनका इकजाई विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, तथा जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है, जो सदन की

(राज्य मंत्री, कृषि)

मेज पर रख दिया गया है ।

(2) कृषि एवं भू-संरक्षण कार्यों से जुड़े अन्य संगठनों एवं कृषकों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के अनुरूप प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं, जिनमें सम्बन्धित विषयों पर सामूहिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है । उदाहरणार्थ कृषि विभाग कृसि विकास परियोजना में खरीफ एवं रबी फसल के समय एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करता है, जिसमें प्रत्येक शिविर में 40 कृषक महिलाओं को क्षेत्र विशेष के अनुसार खरीफ/रबी फसल उत्पादन की नवीनतम तकनीकी जानकारी दी जाती है । इसी प्रकार जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम में आयोजित किये जाते है । जिनमें कृषकों को सामुहिक रूप से कृषि, कृषिवानिकी, उद्यान, पौध संरक्षण, चारागाह, पशुपालन एवं भू-संरक्षण सम्बन्धी तकनीकी एवं योजना सम्बन्धी जानकारी दी जाती हैं ।

सभी विषयों के विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग कर काश्तकारों के लाभार्थ जिलेवार प्रशिक्षण शिविर नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आयोजित करने का सुझाव राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

शंकर सामूहिक कृषि सहकारी समिति, बागरा (जालोर) की भूमि पर अतिक्रमण-प्रकरण

13. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर तहसील के बागरा ग्राम स्थित शंकर सामूहिक कृषि सहकारी समिति की भूमि पर भूतपूर्व अमीन द्वारा कब्जा किये जाने एवं कुछ जमीन अपनी पत्नी के नाम कर दिये जाने के बारे में विभाग द्वारा जांच करवाई गई थी ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा ? जांच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त जमीन पर अब भी भूतपूर्व अमीन का कब्जा है ? यदि हां, तो उक्त कब्जा अभी तक क्यों नहीं हटाया गया तथा अब कब तक हटा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां । जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । भूपपूर्व अमीन द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती रामकंवर पत्नी बजरंगसिंह के नाम शंकर सामूहिक कृषि सहकारी समिति से लगती 1.62 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह से क्रय की थी । मौके पर भी श्रीमती रामकंवर पत्नी बजरंगसिंह के पास 1.62 हैक्टेयर भूमि है । सैटलमेन्ट से पूर्व एवं

(राजस्व मंत्री)

सैटलमेन्ट के बाद की जमाबन्दियों में रकबा समान है किन्तु सैटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे एवं सैटलमेन्ट के बाद के नक्शों में आकृति परिवर्तित कर दी गई है। मौके पर परिवर्तित आकृति के अनुसार भूतपूर्व अमीन की पत्नी का कब्जा है।

(2) नक्शे में दुरुस्ती बाबत राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत तहसीलदार जालोर ने उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मामला सब-ज्यूडिस है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के बाद ही नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम सेवा सहकारी समिति, बोरदा (कोटा) की धारा 70 के अन्तर्गत जांच प्रकरण

14. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति बोरदा जिला कोटा में धारा 70 के अन्तर्गत जांच चल रही है ?

(2) यदि हां, तो धारा 70 के अन्तर्गत की जा रही जांच पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा कब तक इस जांच को पूर्ण कर उचित कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 1994 में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत एक जांच कराई गई थी, जो पूर्ण हो चुकी है।

(2) खण्ड एक के उत्तर के अनुसार धारा 70 की जांच पूर्ण हो चुकी है। इस जांच के आधार पर तत्कालीन व्यवस्थापक के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 (2) के अन्तर्गत निर्णय में आरोपित राशि वसूल की जा चुकी है।

आदिवासी विकास क्षेत्रान्तर्गत योजनायें

15. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या यह सही है कि अभी तक आदिवासी विकास क्षेत्र अन्य मंत्रालयों एवं विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का निष्पादन करा रहा है ? यदि हां, तो सरकार ने इस विभाग को प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र में चलाई

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाता है, सभी कार्यों की स्वीकृतियां जनजाति विकास विभाग द्वारा ही जारी होती है। तथा क्षेत्र में विभाग द्वारा तथा अन्य विभागों के माध्यम से कार्यक्रम एवं योजनाओं का उचित क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता है।

विभाग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने पर विचार किया जा रहा है जिसमें उपयोजना क्षेत्र के लिए सैक्टरवाईज प्राथमिकताएं निर्धारित करने के पश्चात् समस्त धनराशि का आबंटन विभाग द्वारा किया जावेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–16

(स्थगित)

जिला झुन्झुनू के उद्योगों में विद्युत बकाया

17. श्री सुन्दर लाल (सूरजगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जिला झुन्झुनू के उद्योगों में विद्युत राशि बकाया है? यदि हां, तो किस-किस उद्योग में कब से कितनी कितनी राशि? सरकार द्वारा उक्त बकाया की वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी, हां। झुन्झुनू जिले में उद्योगों पर विद्युत राशि की बकाया की सूची मय औद्योगिक इकाई के नाम सहित संलग्न है। मण्डल द्वारा बकाया राशि वसूली के हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। कोई भी विद्युत उपभोक्ता भुगतान की निश्चित तिथि तक विद्युत राशि जमा नहीं कराता है तो उसे सात दिवस का नोटिस बकाया जमा कराने हेतु दिया जाता है। इसके पश्चात भी जमा नहीं कराने पर विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये जाते हैं और ई. यू. डी. आर. एक्ट के तहत बकाया वसूली की कार्यवाही की जाती है। कुछ औद्योगिक इकाईयों के मामले न्यायालय में विचाराधान होने के कारण वसूली की कार्यवाही नही हो पाती है। ऐसे मामलों को समय पर निपटाने हेतु मण्डल के प्रभारी अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जाते हैं। औद्योगिक इकाईयां यदि चाहें तो समझौता समिति के द्वारा भी अपना मामला निपटाने हेतु आवेदन कर सकती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पंचायत समितियों की विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के मानदण्ड

18. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(62)

(श्री रतनलाल ताम्बी) :

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा आवास, जीवन धारा, डीजल पम्पिंग सैटों की स्वीकृति के मानदन्ड, निर्देश/नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन योजनाओं में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार, घपलेबाजी तथा नियमों के विरुद्ध प्रस्ताव और स्वीकृतियां जारी होने की जांच के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में समाचार आने पर जांच कराने की कोई प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96, 1996-97 में पंचायत समिति, जहाजपुर की इंदिरा आवास, जीवन धारा, डीजल पम्पिंग सेट योजनाओं की स्वीकृतियां दी गई हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृतियां मानदण्ड एवं निर्देशों के अनुसार है ?

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) पंचायत समिति जहाजपुर में वर्ष 1996-97 में इन योजनाओं के अन्तर्गत किन-किन पंचायतों में कार्य स्वीकृत किये गये तथा वे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को कब-कब भेजे गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 की स्वीकृत राशि का पूरा उपयोग किया जाकर उनका सत्यापन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? सत्यापन प्रतिवेदन का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इन्दिरा आवास, जीवन-धारा, डीजल पम्पसैट स्वीकृत करने के मापदण्ड निर्देश/नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की क्रियान्विति में अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा घपलेबाजी की शिकायत, प्राप्त होने पर प्राथमिक जांच जिला स्तर के अधिकारियों से कराई जाती है। जांच रिपोर्ट में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है। भ्रष्टाचार अथवा गबन के मामले में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी कानून के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज कराई जाती है तथा उनसे राशि वसूलने का प्रयत्न भी किया जाता है। गम्भीर अनियमितताए पाये जाने पर मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को विस्तृत जांच हेतु भी भेजा जाता है।

(3) जी हां। यह सही है कि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 पंचायत समिति जाहजपुर में इन्दिरा आवास,

(राज्य मंत्री, विशिष्ठ योजना संगठन)

जीवनधा व मैसिव योजना में डीजल पंपिंग सेट की स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृतियां योजना अन्तर्गत निर्धारित मापदन्ड एवं नीति निर्देशों के अनुसार दी गई है।

(4) उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का टेस्ट चेकिंग करवाया गया है जिसकी प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) पंचायत समिति जाहजपुर में वर्ष 96-97 में इन योजनाओं के अन्तर्गत जिन-जिन पंचायतों में कार्य स्वीकृत किये गये तथा वे जब-जब जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भेजे गये, उनका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(6) वर्ष 95-96 एवं 96-97 में स्वीकृत राशि का उपयोग किया जा रहा है। लाभार्थियों को स्वीकृत कार्यों पर किश्तों का भुगतान उनके द्वारा किये गये कार्य के सत्यापन के आधार पर किया जाता है। सिर्फ मैसिव योजनान्तर्गत अनुदान राशि का भुगतान बैंक से लोन लेने पर व पम्पसेट के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही सम्बन्धित ऐजेन्सी द्वारा किया जाता है। विभिन्न निर्माण कार्यो पर किये गये कार्य के सत्यापन के आधार पर अग्रिम किश्त की राशि देने का प्रावधान है। सत्यापन किये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट-4 पर सलग्न है।

(प्रति एव विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

19. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद में 1 जनवरी, 1997 को कितने सीनियर उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्कूल है एवं उनमें किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उसके विरुद्ध कितने अध्यापक लगे हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस निर्वाचन क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों के स्कूलों की अपेक्षा ग्रामीणो क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद 1 जनवरी, 1997 को कब से रिक्त हैं ? ग्रामीण अंचल में रिक्त पदो की श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें। ये रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

(3) नसीराबाद क्षेत्र के ग्रामीण अंचल के पद पर पद स्थापित कितने अध्यापक शहरों में या कार्यालयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 1-1-1997 को काम कर रहे थे ? सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर मय कारणों के रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र नसीराबाद में 1-1-97 को 07 सीनियर माध्यमिक

(शिक्षा मंत्री)

विद्यालय (6 छात्र एवं 1 छात्रा) तथा 13 माध्यमिक (12 छात्र एवं 1 छात्रा) विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में श्रेणीवार स्वीकृत एवं कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में 01 प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) तथा 03 पद व्याख्याताओं के रिक्त हैं। विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(3) शून्य।

स्वकृत पद विवरण ।—

क्र. सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य	उप-प्राचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	II ग्रेड अध्यापक	III ग्रेड अध्यापक	शारीरिक शिक्षक I ग्रेड	शारीरिक शिक्षक II ग्रेड	शारीरिक शिक्षक III ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रा. सी. मा. वि. नसीराबाद	1	1	....	15	17	9	....	1	....
2.	,, बागसुरी	1	....	....	5	6	3	....	1	....
3.	,, जेठाना	1	....	....	8	6	4	....	1	....
4.	,, लिढी	1	....	....	4	6	3	....	1	....
5.	,, श्रीनगर	1	....	....	14	9	2	....	1	....
6.	,, रामसर	1	....	....	10	8	5	....	1	....
7.	रा. बा. मा. वि., नसीराबाद	1	1	....	15	15	8	....	1	....
8.	रा. मा. वि., बाकुपुरा, अजमेर	....	....	1	....	6	7	....	....	1
9.	,, केन्ट एरिया, नसीराबाद	....	....	1	....	6	3	—	....	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	रा. मा. वि. निहारी	....	....	1	....	6	2	....	....	1
11.	" बीर	....	....	1	....	6	4	....	....	1
12.	" कानुपुरा	....	....	1	....	5	3	....	....	1
13.	" मुडोल	....	....	1	....	6	3	....	....	1
14.	" भवानीखेड़ा	....	....	1	....	6	3	....	....	1
15.	" मांगलियावास	....	....	1	71	16-2	2	....	....	1
16.	" मकरेड़ा	....	....	1	....	6	4	....	....	1
17.	" ब्यारा	....	....	1	....	6	3	....	....	1
18.	" झडवासा	....	....	1	....	6	3	....	....	1
19.	" बिकरनियावास	....	....	1	....	6	3	....	....	1
20.	रा. बा. मा. वि., श्रीनगर	....	....	1	....	6	3	....	....	1
	योग :—	7	2	13	71	144	77	—	07	13

रिक्त पदों का विवरण :—

क.सं.	विद्यालय का नाम	प्रधानाचार्य	उप-चार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	अध्यापक II ग्रेड	अध्यापक III ग्रेड	शारीरिक शिक्षक I	शारीरिक शिक्षक II	शारीरिक शिक्षक III	कब से रिक्त है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	रा.सी.मा.वि., नसीराबाद	....	....	....	1	....	....	....	....	....	12/95
2.	,, बागसुरी	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
3.	,, जेठाना	....	....	....	1	....	....	....	....	....	1/94
4.	,, लिडी	....	....	....	1	...	....	....	....	....	7/96
6.	,, श्रीनगर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
6.	,, रामसर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
7.	रा.बा.सी.मा.वि, नसीराबाद	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
8.	रा.मा.वि, माकुमपुरा (अजमेर)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
9.	,, केन्टऐरिया, (अजमेर)	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
10.	,, निहारी	....	....	....	....	....	....	....	....	....	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	रा.मा. वि. बीर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
12.	,, कानपुरा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
13.	,, मुडोला	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
14.	,, भवानीखेड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
15.	,, मागलियावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
16.	मकरेड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
17.	,, म्यारा	....	....	1	....	....	....	....	....	....	1/97
18.	,, झडवासा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
19.	,, बिकरचियावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
20.	रा.बा.मा.वि, श्रीनगर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
	योग :—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	

भीलवाड़ा में सहायक कलक्टर का पद स्थापन

20. श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या भीलवाड़ा मुख्यालय पर सहायक कलक्टर का पद सृजित है ? यदि हां, तो वहां कितने समय से प्रशासनिक अधिकारी पदस्थापित नहीं है ? सरकार कब तक इस पद को भरने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों व हां, तो कितने समय में सहायक कलक्टर (मुख्यालय) का पद सृजित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

जी, हां। भीलवाड़ा मुख्यालय पर सहायक कलक्टर का एक पद सृजित है। यह पद दिनांक 30-1-96 से रिक्त चला आ रहा है।

कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के प्रशासनिक अधिकारी उपलब्ध होते ही इस पद को शीघ्र ही भर दिया जावेगा। जब भीलवाड़ा मुख्यालय पर सहायक जिला कलक्टर का पद पूर्व से ही सृजित है इस कारण पद सृजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन एवं आई.टी.सी. अनुबन्ध प्रकरण

21. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन के उत्पाद पूरे देश में बिक्री किये जाने की दृष्टि से आई.टी.सी. से कोई अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ?

(2) क्या यह सही है कि आई. टी.सी. से समझौते की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष बीस करोड़ रुपये की राशि का कारोबार करना तय हुआ था ? यदि हां, तो उसने समझौता लागू होने की अवधि से कार्यावधि तक कितनी राशि का माल डेयरी फैडरेशन से उठाया और कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि समझौते को शर्तों के अनुसार बिक्री की पूरी राशि आई.टी.सी. द्वारा शीघ्र डेयरी फैडरेशन को लौटाई जानी थी और उसके पश्चात् कमीशन का भुगतान होना था ?

(4) क्या यह सही है कि समझौते की शर्तों के तहत डेयरी उत्पादों के विज्ञापनों के लिए कोई राशि निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो एक वर्ष के लिए कितनी और वास्तव में उसे कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा आई. टी. सी. ने विज्ञापन की राशि का उपयोग किस तरह किया ?

(5) क्या यह सही है कि आई. टी. सी. से समझौता किये जाते समय नियमित प्रक्रिया नहीं अपनाये जाने तथा गड़बड़ियों आदि के सम्बन्ध में कोई जांच करवायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच उपरांत किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह अनुबन्ध दिनांक, 23-2-1985 को किया गया था । अनुबन्ध की प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(2) जी, नहीं ।

(3) जी, नहीं ।

(4) जी, नहीं । अनुबन्ध की धारा-11 के तहत विज्ञापन एवं बिक्री प्रोत्साहन पर व्यय की जाने वाली राशि का निर्धारण आरसीडीएफ एवं आई. टी. सी. द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाना था । यह लागू नहीं होता ।

(5) आरसीडीएफ द्वारा आई.टी.सी. से किये गये समझौते व कारोबार के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के अंकेक्षकों द्वारा आक्षेप लगाये गये थे तथा इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय रखी में गयी ।)

बिक्री कर से प्राप्त आय

22. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में बिक्री कर से कुल कितनी कितनी राजस्व प्राप्त हुई ?

(2) 31 दिसम्बर, 1996 तक सरकार पर कुल कितना ऋण भार था ? संख्यावार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 में ऋण पर ब्याज की कितनी-कितनी राशि का चुकारा किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि राजकोष पर ब्याज राशि के चुकारे का निरन्तर भार बढ़ता जा रहा है तथा वर्तमान बजट अनुमानों से राजस्व व्यय के मुकाबले ब्याज अदायगी 22 फीसदी के आसपास रहने की संभावना है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह स्थिति वित्तीय प्रबन्धन के लिए ठीक नहीं है ? यदि हां, तो राजकोष पर बढ़ते जा रहे वित्तीय भार को नियंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

उत्तर

(1) बिक्री कर से प्राप्त राजस्व की वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्राप्त राशि	(रु. करोड़ों में)
1993-94	10,58.14	(अक्षरे दस अरब अठावन करोड़ चौदह लाख रुपये)
1994-95	11,84.71	(अक्षरे ग्यारह अरब चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख रुपये)
1995-96	13,99.66	(अक्षरे तेरह अरब निन्यानवे करोड़ छियासठ लाख रुपये)

(2) 30 नवम्बर, 96 तक राज्य सरकार पर कुल ऋण भार 101,42.40 करोड़ रुपये था। माह दिसम्बर, 96 के लेखे माह लेखाकार, राजस्थान से संकलित होकर अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। संस्थावार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋणों पर ब्याज की चुकाई गई राशि की वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	चुकाया गया ब्याज	(रु. करोड़ों में)
1993-94	8,85.41	(अक्षरे आठ अरब पिच्चासी करोड़ इकतालीस लाख रुपये
1994-95	10,35.93	(अक्षरे दस अरब पैंतीस करोड़ तिरान्वे लाख रुपये
1995-96	12,33.78	(अक्षरे बारह अरब तैंतीस करोड़ अठहत्तर लाख रुपये

(4) जी, हां। राजकोष पर ब्याज राशि के चुकारे का भार बढ़ रहा है। वर्ष 1996-97 के बजट अनुमानों के अनुसार ब्याज अदायगी राजस्व व्यय का 19.28 प्रतिशत है न कि 22 प्रतिशत। राजकोष पर बढ़ते वित्तीय भार को नियन्त्रित किये जाने हेतु राजस्व व्यय (आयोजना भिन्न) में 5 प्रतिशत बचत हेतु मितव्ययता बरतने के लिए निर्देश जारी किये हैं व राजस्व में बढ़ोतरी भी की है तथा राज्य सरकार केन्द्र सरकार के माध्यम से अधिक से अधिक बाह्य सहायता लेने का प्रयास कर रही है, जिसका ब्याज का भार अन्य ऋणों से कम है। उदाहरणार्थ 7वीं पंचवर्षीय योजना में इस स्त्रोत से रुपये 95.60 करोड़ प्राप्त किये गये थे जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रुपये 1000.00 करोड़ अनुमानित है।

परिशिष्ट-"अ"

30 नवम्बर, 96 तक राज्य सरकार पर कुल ऋण भार का संस्थावार विवरण

(रु. करोड़ों में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	30 नवम्बर, 96 तक ऋण भार
1	2	3
1.	केन्द्रीय सरकार से प्राप्त ऋण	67,98.57 (अक्षरे सठसठ अरब अठ्यान्वे करोड़ सतावन लाख रुपये)
2.	स्वायत निगमों से ऋण	
	(क) भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्ज	57.45 (अक्षरे सतावन करोड़ पैंतालीस लाख रुपये)
	(ख) भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	20.26 (अक्षरे बीस करोड़ छब्बीस लाख रुपये)
	(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कर्ज	1,11.66 (अक्षरे एक अरब ग्यारह करोड़ छासठ लाख रुपये)
	(घ) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	85.58 (अक्षरे पिच्यासी करोड़ अठावन लाख रुपये)
	(ङ) अन्य संस्थाओं से कर्ज	2,45.50 (अक्षरे दो अरब पैंतालीस करोड़ पचास लाख रुपये)
	(भारतीय रिजर्व बैंक से अग्र्युपाय अग्रिम,	

1	2	3
	हाउसिंग डवलपमेंट फायनेन्स कार्पोरेशन लि0, राज0 जागीर पुनंग्रहण क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास बाण्ड, खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन से उधार, राष्ट्रीय वेयर हाउसिंग विकास निगम से उधार, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, हुडकों से उधार इत्यादि)	
3.	बाजार कर्ज	28,23.38 (अक्षरे अठाइस अरब तेवीस करोड़ अड़तीस लाख रुपये)
	योग --	1,01,42.40 (अक्षरे एक सौ एक अरब बयालीस करोड़ चालीस लाख रुपये)

पंचायत समिति आहोर (जालौर) को हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

23. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की पंचायत समिति आहोर के कई ग्रामों की हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव विद्युत मंडल के स्थानीय कार्यालय में भेजे हुए हैं ?

(2) यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण करने के प्रस्ताव स्थानीय विद्युत कार्यालय में विचाराधीन हैं और अब तक इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार इन हरिजन बस्तियों का शीघ्र विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति आहोर के ग्रामों को निम्नलिखित हरिजन बस्तियों के विद्युतिकरण हेतु प्रस्ताव उप खण्ड आहोर कार्यालय में वर्ष 1996-97 में प्राप्त हुये हैं :-

अ. आईपुरा ब. साडन स. थूम्बा द. चरली इ. काम्बा फ. भाद्राजून ज. चांदराई च. राजथल इ. सराणा।

(2) व (3) ग्राम आईपुरा, साडन व थूम्बा ग्रामों की हरिजन बस्तियों को विद्युतिकृत कर दिया गया है। ग्राम चरली काम्बा, भाद्राजून, चांदराई, रायथल व सराणा के सरपंचों द्वारा मण्डल के वर्तमान नियमानुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रस्ताव नहीं दिये गये हैं। इसलिए अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं। हाल ही में इन प्रावधानों का सरलीकरण किया गया है। निर्धारित माप दण्ड के अनुसार हरिजन बस्तियों का चयन हो जाने पर उनका विद्युतीकरण शीघ्र कर दिया जावेगा।

बीसलपुर बांध के विस्थापितों को भू-आबण्टन

24. श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में निर्माणाधीन बीसलपुर बांध के विस्थापितों को बसाने के लिये सरकार ने टोंक जिले की विभिन्न तहसीलों में से चारागाह भूमि को सवाई चक में परिवर्तित किया है ? यदि हां, तो ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विस्थापितों को भू-आबंटन के लिए क्या मानदण्ड तय किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विस्थापितों को कौन से ग्रामों में से कितनी भूमि आबंटित की गई तथा शेष कितनी भूमि अभी तक आवंटित करना बाकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गांववार विवरण (परिशिष्ट—1) सलग्न है।

(76)

(राजस्व मंत्री)

(2) विस्थापितों को भू-आवंटन के लिये राज्य मन्त्री मण्डल द्वारा दिनांक 25-1-91 को अनुमोदित मान दण्ड की प्रति (परिशिष्ट-2) संलग्न है।

(3) विस्थापितों को जिन गांवों में भूमि अवंटित की गई तथा आवंटित शेष भूमि का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम 5 एवं 6 में क्रमशः दिया गया है।

(प्रति एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को प्राप्त उपहार

25. श्री अर्जुनवास मवान (लाडपुरा) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989-90 से 1994-95 की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं तथा भारत जर्मन द्विपाक्षिक (द्विपक्षीय) परियोजना से उपहार के रूप में कुल कितने मूल्य के उपकरण प्राप्त हुए ?

(2) क्या इन उपकरणों को मण्डल के वार्षिक लेखों में अंकित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) यदि लेखों में अंकित नहीं किया गया तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 की अवधि में जर्मन की एक संस्था जी. टी. जेड. द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मंडल को 23.8 लाख रुपये उपकरण उपहार स्वरूप दिये गये। मैसर्स मोदी अलकालीज एण्ड कैमिकल्स, अलवर द्वारा वर्ष 1994-95 में लगभग 0.30 लाख रुपये के उपकरण दिये गये।

(2) मण्डल के वार्षिक लेखे अब तक वर्ष 1992-93 के अंकेक्षित हुए हैं। शेष वर्षों के लेखे अंकेक्षित करने हेतु सी. ए. जी. को लिखा गया है। 1991-92 में प्राप्त उपकरणों का वार्षिक लेखों में अंकन नहीं किया गया है। क्योंकि उपकरणों हेतु उपहार राशि मंडल को प्राप्त नहीं हुई थी। अतः उपकरणों के प्राप्त होने पर इनका इंद्राज मडल के स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

(3) इस विषय में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि भूमि विक्रय पर मुद्रांक शुल्क

1. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

नगरपालिका डूंगरपुर क्षेत्र के आस-

(श्री नाथूराम महारी)

पास की पंचायतों में आधा बीघा से कम कृषि भूमि को विक्रय करने पर स्टाम्प ड्यूटी किस दर से लगाई जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका डूंगरपुर क्षेत्र के आस-पास की पंचायतों में कृषि भूमि को आधे बीघे से कम विक्रय-क्रय करने पर महा-निरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर के परिपत्र क्रमांक 19279-660 दिनांक 17-9-94 के निर्देशानुसार यदि 1000 वर्ग गज से कम पर खसरा नम्बर कृषि उपयोग हेतु विक्रय-क्रय होता है तो अंतिम खसरा गिरदावरी एवं मौके की स्थिति के अनुसार जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दर एवं इन्डैक्स में से अधिकतम दर को आधार मानते हुए कृषि भूमि की दर से मूल्यांकन किया जाकर 10% मुद्रांक कर लिया जाता है। तथा यदि आधे बीघा से कम विक्रय-क्रय की जाने वाली भूमि कृषि उपयोग में नहीं ली जाती है तो आवासीय दर से मूल्यांकन किया जाकर 10% मुद्रांक कर लिया जाता है।

सेवा निवृत्त राज्य कर्मियों को चिकित्सा व्यवस्था

2. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की दुकानों पर पेंशनरों को अधिकतम दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं। यदि हां, तो क्या सरकार दवाइयां उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार सेवारत कर्मचारियों की भांति पेंशनरों को उपभोक्ता भण्डार की दुकान से दवाई उपलब्ध नहीं होने पर एन. ए. सी. जारी कर प्राइवेट दुकान से दवाई क्रय करने पर पुनर्भरण करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य कर्मी व पेंशनर्स को राजकीय अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट की मशीनें खराब होने की दशा में एन.ए.सी प्राप्त करने से तत्पश्चात् प्राइवेट दुकानों पर कराई गई जांचों की राशि के पुनर्भरण करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उपभोक्ता भण्डार की दुकानों से ही पेंशनरों को दवाइयां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

(3) जी नहीं। पेंशनरों को राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल टेस्ट की सुविधा योजना के प्रावधानुसार चिकित्सालय में उपलब्ध होने पर ही देय है। सेवारत राजकीय कर्मचारियों हेतु मशीनें खराब होने की दशा में एन. ओ. सी. प्राप्त कर प्राईवेट दुकानों से जांच की राशि के पुनर्भरण की नियमानुसार व्यवस्था है।

(78)

चिकित्सालय में भर्ती पेंशनर्स को चिकित्सा पुनर्भरण व्यवस्था

3. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सालय में भर्ती होने पर सेवा निवृत्त राज्य कर्मचारी को सभी औषधियां राजस्थान पेन्शनर चिकित्सा कोष से उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है ? क्या औषधियों की सूची बनाई गई है ? यदि हां, तो औषधियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सूची में निर्धारित औषधियां चिकित्सालय में उपलब्ध न होने पर चिकित्सालय में भर्ती पेन्शनर द्वारा क्रय किये जाने पर क्या इस राशि का पुनर्भरण किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है ?

(3) क्या यह व्यवहारिक रूप से सम्भव है कि चिकित्सालय में भर्ती पेन्शनर को आवश्यकता पड़ने पर रात्रि या आपात काल में औषधियां वर्तमान प्रक्रिया द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती हैं ? यदि नहीं, तो क्या इस प्रक्रिया में सुधार किये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चिकित्सालय में भर्ती होने पर सेवानिवृत राज्य कर्मचारी को वही दवाईयां देय है जो सेवारत कर्मचारी को देय है। दवाईयों की संख्या अधिक होने के कारण केवल अप्रतिपूर्ति योग्य औषधियों की सूची बनाई गई है।

(2) जी नहीं। अंतरंग रोगियों को सरकारी अस्पतालों में सामान्यतः अनुपलब्ध एलोपेथिक औषधियां इत्यादि की व्यवस्था सरकारी अस्पताल के प्रमुख द्वारा सरकारी निधि में से किये जाने का प्रावधान है।

(3) चिकित्सालय में भर्ती पेंशनर को चिकित्सालय द्वारा ही रात्रि या आपातकाल में दवाइयां उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। यदि किसी कारणवश कोई दवा चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसी दवाइयां पेंशनर की मेडिकल डायरी में प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक द्वारा लिखे जाने पर उसे बहिरंग रोगी की भांति योजना के कोष से प्राधिकृत दवा की दुकान से उपलब्ध कराई जाती है।

मितव्ययता हेतु जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना

4. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वित्तीय संकट के बढ़ते स्वरूप के कारण मितव्ययता के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और उसकी समीक्षा की क्या

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्थिति रही ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिये भी इस सन्दर्भ में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव रहा ? यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कार्यवाही किस स्तर पर की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि दरों की वृद्धि से मंत्रियों के टी. ए. डी. ए. तथा कारों एवं टेलीफोन के खर्चों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में मंत्रिमण्डल के सदस्यों पर उक्त मदों में कितनी-कितनी राशि का व्यय किया गया ? मंत्रिमण्डल के सदस्यवार खर्चों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा मितव्ययता के लिए जारी दिशा-निर्देश की पालना नहीं करने पर कोई जांच एवं कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी का दायित्व निर्धारित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जारी किये गये दिशा-निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"क")

(2) राज्य सरकार द्वारा मितव्ययता बरती जा रही है। मंत्रिमण्डल के सदस्यों को मुख्यालय से बाहर दौरे सीमित करने के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा परिपत्र दिनांक 6-6-94, 13-3-95, 25--7--95, 28--9--95 जारी किये गये हैं। सम्बन्धित आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट--"ख", "ग", "घ" एवं "ङ" पर उपलब्ध है।

(3) मंत्रियों पर हुए टी. ए., डी. ए. तथा कारों व टेलीफोन के खर्चों का वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 सदस्यवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट "च" "छ" एवं "ज")संलग्न है।

(4) राज्य सरकार समस्त सम्बन्धित अधिकारियों से उक्त निर्देशों को कठोरता से पालन करने की अपेक्षा रखती है। इन दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने सम्बन्धी कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(प्रति एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विकलांगों को राज्य सेवा में नियुक्ति

5. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाडा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शारीरिक रूप से अक्षम (विकलांगों) व्यक्तियों को राज्य सेवा में नियुक्त करने के लिए क्या सरकार द्वारा कोई नियम बनाये

(श्री रामपाल उपाध्याय)

गये हैं ? यदि हां, तो इन नियमों की अब तक संशोधित प्रतियां एवं इन नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर प्रसारित की गई आज्ञाए/परिपत्र की प्रतियों सहित सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(2) विकलांगों को नियुक्ति देने के लिए क्या राज्य सरकार/राजकीय उपक्रमों/निगमों के विभिन्न सेवा नियमों में कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो इनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इन विकलांगों को आरक्षण सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कौन-कौन से पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं ? इन पदों से सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) राज्य सेवा/राजकीय उपक्रम/निगम में उक्त विकलांगों की नियुक्ति होने पर क्या सुविधाएं दी जाती हैं ? इन सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रसारित आज्ञा/परिपत्र की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान एम्पलायमेंट ऑफ दी फिजीकल हेन्डीकेप्ड रूल्स, 1976 प्रख्यापित किए हुए हैं । इन नियमों की अद्यतन प्रति एवं इन नियमों से संबंधित परिपत्र/आज्ञाएं संलग्न हैं । (परिशिष्ट-क) एवं (परिशिष्ट-ख से भ)

(2) राज्य सरकार द्वारा विकलांगों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए कुछ सेवा नियमों में प्रावधान किया हुआ है । प्रतियां (परिशिष्ट-ज से ठ तक) संलग्न है ।

राजकीय उपक्रम विभाग द्वारा परिपत्र सं. 2 (23) बीपीएफ/87/507 दिनांक 19.2.88 जारी कर सभी राजकीय उपक्रमों/निगमों की विभिन्न सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है । प्रति (परिशिष्ट-ड) संलग्न है ।

(3) राजस्थान एम्पलायमेंट ऑफ दी फिजीकली हेन्डीकेप्ड रूल्स, 1976 के प्रावधानों के अनुसार अधिनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं के कुछ चिन्हित पदों के लिए निर्धारित कोटे अर्थात 3% (1% अंधों के लिए, 1% मूक व बधिर के लिए एवं 1% शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए) के प्रति विकलांग व्यक्तियों को चिन्हित पदों पर नियुक्ति अनुज्ञेय है । यथा वांछित सूची (परिशिष्ट-च संलग्न है ।

(4) राजकीय सेवाओं के अन्तर्गत नियुक्त विकलांगों को सीमित वाहन सुविधा/यात्रा भत्ता की सुविधाएं अनुज्ञेय हैं । इन सुविधाओं के संबंध में प्रचलित आज्ञा/परिपत्र की प्रतियां संलग्न हैं । (परिशिष्ट-ड-1, 2, 3, 4) (ब X 3)

राजकीय उपक्रमों/निगमों द्वारा दी जा रही सुविधाओं के संबंध में सूचना बाद में दी जावेगी ।

(प्रति एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मृत राज्य कर्मियों के आश्रितों को देय सुविधाएं

6. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सेवाकाल के दौरान मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्ति देने के लिए क्या कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो अद्यावधि संशोधित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त नियमों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रसारित किये गये परिपत्र/आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या इन नियमों के अन्तर्गत कोई मार्गदर्शक सिद्धांत भी है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों/विधवाओं को सेवा नियमों के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सेवाकाल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सरकार में नियुक्ति देने के लिए "राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996" विरचित किये हुए हैं । प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त नियमों से सम्बन्धित कोई परिपत्र/आदेश पृथक से जारी नहीं किये गए हैं ।

(3) जी नहीं ।

(4) मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों/विधवाओं को सेवा नियमों के अन्तर्गत जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. प्रथम सात वर्ष तक निर्धारित पारिवारिक पेंशन से दुगनी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है । तत्पश्चात सामान्य दर से पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत एवं अंतरिम राहत भी देय है ।
2. मृत्यु ग्रेच्युटी प्रति 6 माह की पेंशन योग्य सेवा अवधि के लिए आधे माह की परिलब्धियों के बराबर दी जाती है । कर्त्तव्य निष्पादन के दौरान मृत्यु की अवस्था में अनुग्रह राशि स्वीकृत की जाती है ।
3. बकाया उपार्जित अवकाश का अधिकतम 240 दिवस का नकद भुगतान देय है ।
4. सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए 10,000/- रुपये की सहायता अनुकम्पा निधि से स्वीकार की जाती है ।
5. परिवार के किसी भी एक बेरोजगार सदस्य को राजकीय सेवा

[मुख्य (कार्मिक) मंत्री]

में लिया जाता है बशर्ते कि उसके परिवार में पहले से कोई भी व्यक्ति राजकीय सेवा/अर्द्ध-राजकीय सेवा में नहीं हो।

यह उत्तर राज्य सरकार के विभागों/कार्यालयों से ही सम्बन्धित है। राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित सूचना पृथक से दी जावेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजपत्रित अधिकारियों के निलंबन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश

7. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या मुख्य (कार्मिक) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजपत्रित अधिकारियों के निलम्बन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कार्मिक विभाग ने दिनांक 18 अप्रेल, 1995 को परिपत्र जारी किया है? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, अलवर द्वारा आदेश क्रमांक पी. ए./जांच/1996/716--721 दिनांक 1-8-1996 से विकास अधिकारी, कठूमर (अलवर) को निलम्बित कर दिया गया है? यदि हां, तो कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18 अप्रेल, 1995 के स्पष्ट उल्लंघन के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर, अलवर द्वारा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 26-3-1980 के अनुसार विकास अधिकारी, कठूमर (अलवर) के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच में पाये गये तथ्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किये बिना ही मनमाना, अवैध व बिना किसी क्षेत्राधिकार के, पद का दुरुपयोग करते हुए दिनांक 1-8-1996 को निलम्बन आदेश प्रसारित किये हैं? यदि हां, तो इसके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला कलक्टर, अलवर की उक्त नियम विरुद्ध अवैध कार्यवाही किये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र दिनांक 18 अप्रेल, 1995 की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। निदेशक महोदय से मौखिक अनुमति लेकर ही विकास अधिकारी, पं.स. कठूमर को जिला कलक्टर, अलवर द्वारा निलम्बित किया गया है।

(3) पंचायत समिति, कठूमर (अलवर) क्षेत्र में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत हुई गंभीर अनियमितताओं के कारण निदेशक महोदय को मौखिक अनुमति प्राप्ति करने के पश्चात् ही जिला कलक्टर, अलवर द्वारा विकास अधिकारी कठूमर (अलवर) को निलम्बन आदेश जारी किये गये।

[मुख्य (कार्मिक) मंत्री]

(4) जी नहीं। जांच रिपोर्ट के परीक्षण पश्चात् विकास अधिकारी पंचायत समिति, कठूमर को आदेश दिनांक 16-1-97 के द्वारा निलम्बन से बहाल कर दिया गया है।

परिशिष्ट–"अ"

राजस्थान सरकार

कार्मिक (क--3) विभाग

क्रमांक :--पं.1(311)का/क-3/94 जयपुर दिनांक 18 अप्रेल, 1995

परिपत्र

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 9 (48) कार्मिक/क-3/76 दिनांक 25-8-1976 में विभिन्न प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है कि राज्य सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित मामलों में निलम्बन सम्बन्धी कार्यवाही करने से पूर्व यह सावधानी पूर्वक जांच कर ली जावे कि वे इस प्रकार के आदेश जारी करने के लिए सक्षम है अथवा नहीं। शासन के ध्यान में कतिपय ऐसे मामले आये हैं जहां सम्बन्धित जिला कलक्टर्स द्वारा ऐसे राज्य सेवा के अधिकारियों को निलम्बित कर दिया जाता है जिसके सम्बन्ध में वे उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। राजपत्रित अधिकारियों का निलम्बन विभागीय मंत्रीजी व मुख्य मंत्रीजी के अनुमोदन के बाद किया जाता है।

अतः समस्त जिला कलक्टर्स को जिन्हें इस प्रकार निलम्बन आदेश जारी करने की शक्तियां नहीं दी गई, का भविष्य के लिये ध्यानाकर्षण किया जाता है कि वे ऐसे राज्य सेवा के अधिकारियों के निलम्बन सम्बन्धी आदेश जारी नहीं करें।

एस. डी./--
(मिट्ठा लाल मेहता)
मुख्य सचिव

(84)

11 विकास अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

8. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (राज्य अन्वेषण ब्यूरो) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के विरुद्ध विभाग में मामले दर्ज हुए हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1994-95 से 1996-97 में कौन-कौन से विकास अधिकारियों के खिलाफ कौन-कौन से मामले कब-कब दर्ज हुये ?

(2) उक्त मामलों में क्या-क्या कार्यवाही हुई तथा किस-किस में चालान कब-कब पेश हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त मामलों में से कई मामले अभी भी विभाग में विचाराधीन है ? यदि हां, तो कौन-कौन से कब-कब से और क्यों तथा अब इनका चालान कब तक पेश कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि अत्यधिक देरी होने के कारण मामलों में सबूत नष्ट होने का खतरा बना रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के विरुद्ध ब्यूरो में वर्ष 1994-95 में 6, 1995-96 मे 2 व 1996-97 में 52 अभियोग पंजीबद्ध किये गये। विस्तृत सूचना परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) विकास अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में से एक में अंतिम प्रतिवेदन और एक में चालान किया जा चुका है। तीन प्रकरणों में विकास अधिकारियों के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने पर अन्य मुल्जिमों के विरुद्ध चालान का निर्णय लिया गया। शेष प्रकरण (55) अन्वेषणाधीन है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) जी हां, वर्ष 1994-95 के 2, 1995-96 का एक एवं 1996-97 के 52 अन्वेषणाधीन हैं, जिनका अनुसंधान पूर्ण होने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। अन्वेषणाधीन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर है।

(4) जी नहीं, ब्यूरो द्वारा दर्ज प्रकरणों में समय पर अभिलेख प्राप्त कर लिए जाते हैं, ताकि सबूत नष्ट न हो।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जालोर जिले के प्रस्तावित राजस्व ग्राम

9. श्री मंगराज चौधरी (आहोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले की आहोर तहसील के ग्राम थूंबा का गोलीया (मादड़ा) जोगणी खेड़ा, (जोगणी) नोसरा की ढाणी (नोसरा) गोपालबाड़ी (बरवा) लाखेटा की ढाणी (थाणा) अपने-2 मूल राजस्व ग्राम से 4 कि. मी. से भी

(श्री मगराज चौधरी)

अधिक दूरी पर स्थित होने और प्रत्येक की मौजूदा जनसंख्या 500 से भी अधिक होने के बावजूद इन्हें अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित ग्राम सरकार द्वारा नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं ?

(3) यदि हां, तो इन्हें अब कब तक राजस्व ग्राम घोषित कर दिया जाएगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्णित ग्राम थूंबा का गोलीया एवं जोगणी खेड़ा को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने बाबत कार्यवाही विचाराधीन है ?

(5) यदि हां, तो इनके बाबत अब तक क्या-क्या कार्यवाही कर ली गई है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ढाणी नोसरा की ढाणी (नोसरा) ढाणी गोपालनाडी (बरवा) एवं लाखेटा की ढाणी की आबादी 250 से कम है तथा इन तीनों ढाणियों की आबादी केवल 200-200 की है।

जोगणी खेड़ा एवं थूम्बा का गोलिया को राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना दिनांक 7-9-96 को जारी की जा चुकी है।

(2) जी, नहीं, केवल जोगणी खेड़ा एवं थूम्बा का गोलिया मापदण्डों को पूरा करते थे इस कारण इन्हें नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया जा चुका है।

(3) नोसरा की ढाणी नोसरा (गोपाल-नाडी) (बरवा) एवं लाखेटा की ढाणी (घाणा) की आबादी निर्धारित नार्म्स से कम होने के कारण इन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी, नहीं, जोगणी खेड़ा एवं थूम्बा का गोलिया को राजस्व ग्राम घोषित कर अधिसूचना दिनांक 7-9-96 को जारी की जा चुकी है।

(5) अधिसूचना दिनांक 7-9-96 को जारी हो चुकी है अब इस पर कोई कार्यवाही राज्य स्तर पर अपेक्षित नहीं हैं।

सादड़ी (पाली) से रणकपुर मार्ग पर अतिक्रमण

10. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सादड़ी जिला पाली से रणकपुर पर्यटक स्थल जाने के लिये कितनी व कौन-कौन-सी सड़कें व कच्चे ग्राम रास्ते हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्व नक्शे के अनुसार इन रास्तों का सीमांकन किया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन ग्राम रास्तों के आस-पास स्थित राजस्व भूमि पर लोगों ने गैर कानूनी रूप से अतिक्रमण कर रखा है ? यदि हां, तो अतिक्रमियों की

(श्री मीठराज भाटी)

नामवार सूची मय खसरा नम्बर व रकबा सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्यवाही कर इन्हें बेदखल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि सादड़ी से रणकपुर जाने वाली पक्की सड़क के पास स्थित होटलों के मालिकों के आदिवासियों की जमीनों पर अतिक्रमण कर होज आदि बना रखें हैं ? यदि हां, तो इन अतिक्रमियों की नामवार सूची सदन की मेज पर रखें। क्या सरकार इन अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सादड़ी जिला पाली के रणकपुर पर्यटक स्थल जाने के लिए सादड़ी से पक्की सड़क है जिसके ख. नं. 3371, 4838, 4681 व 4574 है जो सादड़ी-बांसवाड़ा राज्य मार्ग सं. 32 है। कच्चे ग्राम रास्ते नहीं है।

(2) ग्राम रास्ता नहीं है राजस्व रेकार्ड में पक्की सड़क जो पर्यटक स्थल को जोड़ती है का सीमांकन राजस्व रेकार्ड में गत भू-प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान किया गया है।

(3) ग्राम रास्तों पर अतिक्रमण नहीं होकर, राजकीय सिवायचक भूमि पर एवं सड़क सीमा में गैर कानूनी अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों की नामवार सूची ख. नं. एवं रकबा सहित संलग्न प्रेषित है।

(4) निम्न अतिक्रमियों के प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है विवरण निम्न प्रकार है :—

1. श्री किशनसिंह पुत्र शम्भूसिंह राजपूत नि. सेला होटल मालिक ख. नं. 4514, 4682, 4518, 4516, 4517 रकबा क्रमश: 0.12, 0.64, 0.69, 0.01, 0.02 है। कुल 1.48 है. के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या-1319/96 दर्ज किया गया। जिसका निर्णय 30-12-96 को किया जाकर जुर्माना आरोपित कर बेदखली के आदेश दिये गये हैं।

हाल ही में इसी व्यक्ति द्वारा ख. नं 4519 रकबा 0.32 है. ख. नं. 4682 रकबा 0.42 है. कुल रकबा 0.74 है, पर अतिक्रमण बढाये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने से मु. सं. 1488/97 दिनांक 6-1-97 अन्तर्गत धारा 91 रा. भू. रा. अ. दर्ज किया गया व नोटिस जारी किया गया।

2. श्री चन्दनसिंह पुत्र हिम्मतसिंह राजपूत नि. मालारी मालिक रूपम रेस्टोरेन्ट रणकपुर रोड़ द्वारा ख. नं. 4540, 4538, 4539, 4541 रकबा क्रमश: 0.12, 0.20, 0.19, 0.16 है,

(राजस्व मंत्री)

कुल रकबा 0.67 है0 पर अवैध अतिक्रमण करने से प्रकरण संख्या 470/96 दर्ज किया जाकर दिनांक 6-1-97 को जुर्माना आरोपित कर बेदखली के आदेश दिये गये हैं।

3. श्री देवलाल पुत्र शंकरलाल जाति ब्राह्मण नि. रणकपुर का ख. नं.4563 रकबा 0.07 है. गै. मु. पर रेस्टोरेन्ट का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया। जिसका प्रकरण संख्या 132/96 दर्ज किया गया। इस प्रकरण में राजस्व मण्डल से स्थगन आदेश होने से कार्यवाही लम्बित है।

(5) यह सही है कि सादड़ी से रणकपुर जाने वाली सड़क के पास स्थित ख. नं. 4546 रकबा 0.98 है. भूमि मावला पुत्र केरा भील की खातेदारी भूमि है। इस पर श्री देवीसिंह पुत्र माधोसिंह राजपूत नि. भैंसवाड़ा जिला जालोर रेस्टोरेंट "शिवीका": का निर्माण कर रखा है जो वर्तमान में बन्द पड़ा है। अनु. जनजाति की भूमि पर स्वर्ण को सबलेट किये जाने से खातेदार एवं श्री देवीसिंह के विरूद्ध धारा 175 रा. का. अ. के अन्तर्गत प्रकरण बनाकर सहायक कलक्टर देसूरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अन्य किसी होटल मालिक के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर होज का निर्माण नहीं कराया है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्व ग्राम गठन के मानदण्ड

11. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि नवीन राजस्व ग्रामों के गठन में क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, दूरी, फैलाव आदि बातों का ध्यान रखा गया है? यदि नहीं, तो मानदण्ड में कौन-कौन सी बातों को सम्मिलित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन में केवल क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों दूरी, फैलाव आदि बातों का ही ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि मानदण्डों में जिन बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 4-10-96 की प्रति संलग्न हैं।

(88)

राजस्व-(ग्रुप 1) विभाग

प्रेषिति:

1. निबन्धक,
राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त
3. समस्त जिला कलक्टर।

क्रमांक: प09 (1) राज/ग्रुप-1/84 जयपुर, दिनांक: 4-10-96

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 1-4-84 एवं 23-2-94 के द्वारा नये राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इसी क्रम में लेख है कि राजस्व ग्राम न केवल राजस्व प्रशासन बल्कि समस्त प्रशासन की मूल इकाई है, तथा जलप्रदाय योजना/औषधालय/चिकित्सालय/विद्युत/विद्यालय डाक घर/यातायात/रेलवे स्टेशन एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भी मूल इकाई एवं आधार बिन्दु है, लेकिन कहीं कहीं बड़ी आबादी या मूल गांव से सुदूर बसी ढाणियां अलग से राजस्व गांव घोषित नहीं होने के कारण विकास की सुविधाओं से वंचित रह जाती है। अतः इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक है कि मूल राजस्व ग्राम में दूर बसे आबादी क्षेत्र एवं सुदूर ढाणियों को भी राजस्व ग्राम घोषित किये जावे। इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि नया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि वहां के निवासियों की इस आशय की मांग हो, बल्कि यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि ऐसे गांव जिनकी आबादी ढाणियों में बसी है, और उनका क्षेत्र काफी फैला हुआ है या मूल गांव से दूर आबादी है, तो उन्हें अपने स्तर से भी ये प्रस्ताव जिलाधीश/राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को भिजवाने चाहिए। ऐसे प्रस्ताव भेजते समय यह ध्यान रखा जावे कि प्रस्तावित नये गांव की आबादी 250 से कम नहीं हो, लेकिन यह आवश्यक है कि नया राजस्व ग्राम घोषित होने पर मूल गांव की आबादी 250 से कम न रहे। जहां प्रस्तावित नये राजस्व गांव की आबादी टुकडों में बिखरी हुई, ढाणियों अथवा मजरों में बसती हुई हो उस प्रस्तावित गांव के लिए सुविधाजनक स्थान पर एक

केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिया जावे, ताकि वहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके। यह भी ध्यान रखना चाहिये कि गांव के केन्द्र बिन्दु के लिए आबादी विस्तार एवं आधारभूत सुविधाओं के लिए भूमि की क्या उपलब्धता है। राजकीय सिवायचक या चारागाह इत्यादि भूमि उपलब्ध होने पर ऐसी भूमि को खसरा नम्बर का विवरण देकर नये प्रस्तावित गांव की आधारभूत सुविधाओं/आबादी विस्तार के लिए आरक्षित की जानी चाहिये। जहां उपरोक्त राजकीय/चारागाह भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां यदि ग्रामीणजन भूमि उपलब्ध कराने के लिए तैयार हो तो उसको भी नियमानुसार आधारभूत सुविधाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए।

नये राजस्व ग्राम के प्रस्ताव भेजते समय निम्न सूचना आवश्यक रूप से भिजवाई जावे :—

1. जिले का नाम :—
2. मूल गांव का नाम
3. नये प्रस्तावित गांव की आबादी/ढाणी/मजरे का प्रचलित नाम मय ख. नम्बर
4. प्रस्तावित नये गांव का नाम :—
   (1) प्रस्तावित नाम
   (2) क्षेत्रफल
   (3) आबादी का क्षेत्रफल
   (4) रकबा-एक फसली
   (5) रकबा-दो फसली
   (6) भू-राजस्व
5. प्रस्तावित ग्राम में आधारभूत सुविधाएं हैं अथवा नहीं—
   (1) डाक घर
   (2) विद्युतीकरण
   (3) जल प्रदाय

(4) रेल्वे स्टेशन

(5) सड़क

(6) औषधालय/चिकित्सालय

(7) अन्य

6. प्रस्तावित गांव की रेल्वे स्टेशन तथा डाक घर से दूरी

7. नया राजस्व ग्राम बनाया जाने के पश्चात् रेल्वे स्टेशन, डाक घर इत्यादि का नाम बदलना आवश्यक हो तो बताया जावे।

8. नया राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के फलस्वरूप पंचायत/पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक के मुख्यालय में कोई प्रस्तावित परिवर्तन।

9. प्रस्तावित गांव की मुख्य आबादी /केन्द्र बिन्दु की वर्तमान गांव से दूरी

10. प्रस्तावित गांव का मुख्य केन्द्र बिन्दु जहां आधारभूत सुविधाएं प्रस्तावित है।

अतः नये गांव का प्रस्ताव भेजते समय उपरोक्त सभी सूचना सहित प्रस्ताव राजस्व मण्डल के माध्यम से राज्य सरकार को भिजवायें, ताकि उन पर विचार कर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व गांव घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जा सकें।

ह0/
प्रमुख राजस्व सचिव

तहसील पाली में भू-रूपान्तरण अधिकारी का रिक्त पद

12. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पाली में भू-रूपान्तरण अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) उक्त रिक्त पद पर नये अधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि भू-रूपान्तरण अधिकारी के अभाव में पाली तहसील में भू-रूपान्तरण का काम ठप्प पड़ा है ? यदि हां, तो यह काम कब से शुरू करने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) पाली में भूमि रूपान्तरण अधिकारी का पद केवल पाली तहसील के लिये नहीं होकर पूरे पाली जिले के लिये है। यह पद 20-12-95 से रिक्त है।

(2) कार्मिक विभाग के अनुसार राज्य में कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के और भी पद रिक्त हैं जिनमें से एक उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) पाली का पद भी हैं। कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में अधिकारियों की कमी के कारण अभी तक यह पद नहीं भरा जा सका है। प्रशासनिक आवश्यकता व अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर इस पद को शीघ्र भरने के प्रयास किये जाएंगे।

(3) यह सही नहीं है कि भूमि रूपान्तरण अधिकारी के अभाव में पाली तहसील में भूमि रूपान्तरण का काम ठप्प पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रूपान्तरण का कार्य तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी तथा अन्य क्षेत्रों के लिये उपखण्ड अधिकारी (भूमि रूपान्तरण) के अलावा नियमित रूप से पदस्थापित प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी को भी भूमि रूपान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया हुआ है। अतः अपने-अपने उपखण्ड के लिये प्रत्येक उपखण्ड अधिकारी शहरी क्षेत्रों में भूमि रूपान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारी हैं। अतः उपखण्ड अधिकारी (भू. रू.) के अभाव में जिला कलक्टर को यह निर्देश दिये गये हैकि वे यथासम्भव यह कार्य नियमित रूप से पद स्थापित उपखण्ड अधिकारियों से शिविर आयोजित कर निष्पादित करावे।

ग्राम धोरेटावास (बीकानेर) की कृषि भूमि का नामान्तरण

13. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत बड़ाबास पंचायत समिति बीकानेर के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धोरेटाबास में वर्ष 1978 में अन्त्योदय द्वितीय चरण में किस-किस व्यक्ति को कितनी भूमि आबंटित की गई ?

(2) क्या उन सभी आबंटियों के नाम

(श्री भीमसेन चौधरी)

कृषि भूमि का नामान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रूणिया बड़ा बास पंचायत समिति बीकानेर के क्षेत्रान्तर्गत गांव धोरेटा बास में सन् 1978 में अन्त्योदय द्वितीय चरण में जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई उनकी सूची परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) इन आवंटियों के नाम कृषि भूमि का नामान्तरकरण नहीं किया गया है। नामान्तरकरण दर्ज नहीं करने के कारणों की जांच करने हेतु उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) बीकानेर द्वारा जांच कराई जा रही है।

परिशिष्ट--"क"

पंचायत रूणियाबड़ावास क्षेत्र में प्रावंटित भूमियों का विवरण (अन्त्योदय II चरण वर्ष 1978) P. S. बीकानेर

क्रम सं.	नाम व्यक्ति	अन्त्योदय में चयनित व्यक्ति की ग्राम पंचायत	अन्त्योदय में चयनित व्यक्ति का गांव	अन्त्योदय में II चरण में चयन का विवरण पंजीयन क्रमांक	कार्ड नं.	विकल्प मांगी गई भूमि के प्राबंटन का विवरण नाम ग्राम पंचायत	नाम गांव	खसरा नं.	रकबा	राजस्व रिकार्ड में अंकन का विवरण दिनांक प्राबंटन	इन्त-काल नं.	दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	किशनाराम S/o धूड़ाराम लाहोर	शेरेरा	शेरेरा	221	1142	रूणिया-	घीरेरा-	230/59	42।)3	16-12-78			
2.	मंगतू S/o साधाराराम नायक	,,	,,	222	1143	बड़ावास	वास	1	53)2	,,			
3.	जीयाराम S/o अमरा नायक	,,	,,	223	1144	,,	,,	1	53)3	,,			
4.	रेवतराम S/o लाधूराम मेघवाल	,,	,,	224	1145	,,	,,	278/97	47)	,,			

(93)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	मनदाराम S/o जैसाराम नायक	शेरेरा	शेरेरा	226	1147	"	"	16	50)	16-12-78			
6.	सुखाराम S/o जैसाराम नायक	"	"	227	1148	"	"	16	50)	"			
7.	हिम्मताराम S/o जैसाराम नायक	"	"	228	1149	"	"	16	50)	"			
8.	कालूराम S/o जैसाराम नायक	"	"	229	1150	"	"	16	50)	"			

ह./—
विकास अधिकारी
पंचायत समिति, बीकानेर

आयुक्त देवस्थान द्वारा नियम विरुद्ध उठाई गई राशि

14. श्री महावीर मगोरा (गोगुन्दा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान देवस्थान आयुक्त द्वारा निजी कार्य के लिए राजकीय निधि से अग्रिम राशि उठाई जाती है ? यदि हां, तो उनके द्वारा अब तक किस-किस कार्यालय से कब-कब व कितनी-कितनी राशि उठाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि देवस्थान आयुक्त एवं उनकी परिवार की यात्राओं के लिए निरीक्षकों या अन्य कर्मचारियों के नाम टिकिट रिजर्वेशन के लिए राशि विभागीय कार्यालय से अग्रिम ली जाती है व उसका समायोजन नहीं किया जाता ? यदि हां, तो किस प्रकार राशि कब-कब व कहां से ली गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। देवस्थान आयुक्त द्वारा निजी कार्य के लिए राजकीय निधि से कोई अग्रिम राशि नहीं उठाई जाती है। आयुक्त तथा उनके स्टाफ द्वारा राजकीय कार्य हेतु वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 में उदयपुर मुख्यालय से उठाई गई तथा समायोजित की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "क" एवं "ख" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। परिवार की यात्राओं के लिए कोई राशि नही उठाई गई। उदयपुर मुख्यावास से अग्रिम ली गई राशि का विवरण प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के साथ संलग्न कर दिया गया है। अन्य स्थानों से ली गई अग्रिम राशि का विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 1995-96

दिनांक	वाहन चालक	आयुक्त	निजी सहायक	समायोजन दि.
1	2	3	4	5
18.4.95	3000	....	....	25.7.95
18.5.95	....	....	2300	30.5.95
26.6.95	300	....	....	25.7.95

1	2	3	4	5
7.7.95	—	....	2400	19.7.95
24.7.95	3000	....	....	4.10.95
4.9.95	....	....	1800	1.11.95
6.9.95	....	....	600	1.11.95
4.10.95	5000	....	....	16.10.95
1.11.95	2000	....	....	16.11.95
1.11.95	....	....	2000	4.1.96
23.11.95	....	....	3000	4.1.96
24.11.95	1000	....	....	30.3.96
7.12.95	4000	....	....	30.3.96
19.12.95	....	....	8000	13.3.96
11.1.96	500	....	....	30.3.96
19.1.96	2000	....	....	30.3.96
25.1.96	....	3000	....	14.3.96
9.2.96	8000	....	....	30.3.96
20.2.96	3000	....	....	30.3.96
	34500	3000	20100	

परिशिष्ट "ख"

वर्ष 1996-97

दिनांक	वाहन चालक	आयुक्त	निजी सहायक	समायोजन दि.
1	2	3	4	5
12.4.96	....	....	433	17.5.96
12.4.96	1000	....	....	27.12.96
17.4.96	700	....	....	27.12.96
2.5.96	....	20000	....	27.9.96
8.5.96	....	2500	....	24.12.96
13.6.96	1200	....	....	27.12.96
3.8.96	4000	....	....	27.12.96
4.9.96	3000	....	....	27.12.96
5.10.96	4500	....	....	27.12.96
24.12.96	....	25000	....	....
	14400	47500	433	

कीटनाशक रसायन एवं उर्वरकों के नमूनों की जांच

15. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दौसा जिले तथा उसके समीपस्थ कस्बों में अवैध तथा अमानक कीटनाशक रसायन एवं उर्वरकों के लिए व्यापारियों एवं विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के सम्बन्ध में काश्तकारों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किन-किन से और कब-कब ?

(2) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में कीटनाशक रसायन एवं उर्वरकों के नमूने लेकर जांच की गई थी ? यदि हां, तो किन किन फर्मों से कितने-कितने नमूने लिए गये और उनमें से किन-किन फर्मों/संस्थानों के नमूने अमानक पाये गये ? फर्म आदि के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में विभागीय जांच कार्यवाही भी की गई है ? यदि हां, तो जांच उपरान्त किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दौसा जिले के काश्तकारों से अवैध तथा अमानक कीटनाशक रसायन तथा उर्वरकों के लिए व्यापारियों तथा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बेचे जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जयपुर से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र में अमानक कीटनाशकों की बिक्री संबंधी समाचार प्रकाशित होने के बाद में माह सितम्बर, 96 से दिसम्बर, 96 तक किटनाशकों के 24 नमूने तथा उर्वरकों के 66 नमूने विश्लेषण के लिये गये जिनमें से कीटनाशक रसायन के 5 एवं उर्वरक के 3 नमूने जांच के बाद अमानक पाये गये। कीटनाशकों के 4 एवं उर्वरकों के 23 नमूनों की जांच रिपोर्ट आना शेष है। फर्मवार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र0.सं0	फर्म का नाम	लिये गये नमूने उर्वरक	लिये गये नमूने कीटनाशी	अमानक नमूने उर्वरक	अमानक नमूने कीटनाशी	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7
1.	खण्डेलवाल खाद बीज मण्डार, दौसा	....	4	....	3	
2.	क्रय-विक्रय सह0समिती,बादींकुई	....	2	....	1	
3.	प्रेम एग्रो सर्विस सेन्टर, दौसा	....	4	....	....	
4.	झालानी ट्रेडिंग कम्पनी, सिकन्दरा	....	1	....	....	
5.	गुप्ता सेल्स कार्पोरेशन, मण्डावर	2	....	1	....	
6.	बंसल एण्ड कम्पनी, मण्डावर	2	....	....	....	
7.	कृषि सेवा केन्द्र, महुआ	1	....	....	....	
8.	अभिनव ट्रेडर्स, लालसोट	6	....	1	....	
9.	महेश खाद बीज मण्डार, सिकराय	3	....	....	....	
10.	किसान खाद बीज भण्डार मानपुर-चौरायी	2	....	....	परिणाम आने शेष	

1	2	3	4	5	6	7
11.	अशोक खाद बीज भण्डार, मानपुर—चौराया	1	....	....	....	परिणाम आने शेष
12.	मिश्रा एजेन्सी, नागला राजावतान	3	....	....	....	" " "
13.	मोतीलाल हंसराज, लालसोट	4	2	....	....	
14.	खण्डेलवाल ट्रेडर्स, सिकन्दरा	3	....	....	....	2 के परिणाम प्राप्त नहीं
15.	रमेशचन्द्र हुकमचंद, सिकन्दरा	2	....	....	....	" " "
16.	अग्रवाल एजेन्सी, सिकन्दरा	3	....	....	....	
17.	खण्डेलवाल एजेन्सी, सिकन्दरा	2	....	....	....	
18.	मनीष खाद बीज भण्डार, महुआ	3	....	....	....	
19.	मुरारीलाल अग्रवाल, सिकराय	5	....	....	....	
20.	अग्रवाल ट्रेडर्स, सिकराय	4	....	....	....	1 का परिणाम शेष
21.	मीणा खाद बीज भण्डार, बालाजीमोड़	4	....	....	....	
22.	रामजीलाल बडाया, लालसोट	1	1	....	....	परिणाम शेष है ।

(101)

1	2	3	4	5	6	7
23.	बड़ाया ब्रदर्स, लालसोट	1	....	....	....	परिणाम शेष हैं ।
24.	हंसराज एण्ड कम्पनी, लालसोट	3	....	....	....	,, ,, ,,
25.	दिनेश चन्द एण्ड कम्पनी महुवा	3	....	....	....	,, ,, ,,
26.	गौरव खाद बीज मण्डार, खैरला	3	1	....	1	,, ,, ,,
27.	दाधीच एग्रो सेन्टर, सिकन्दरा	1	....	....	....	,, ,, ,,
28.	शर्मा बीज मण्डार, बसवा	1	....	....	....	,, ,, ,,
29.	बंसल सेल कारपोरेशन, बांदीकुई	2	....	....	....	एक का परिणाम शेष
30.	क्रय-विक्रय सह0 समिति, मण्डावर	1	....	1	....	
31.	वैष बीज मण्डार, लालसोट	....	1	....	....	
32.	बनेड़ा ब्रदर्स, लालसोट	....	1	....	....	परिणाम शेष
33.	किसान मण्डार, बांदीकुई	....	1	....	....	

1	2	3	4	5	6	7
34.	क्रय-विक्रय सह0 समिति, दौसा	....	1	....	....	
35.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, डीडवाना	....	1	....	....	
36.	क्रय विक्रय सह0 समिति, लालसोट	....	1	....	....	
37.	ग्राम सेवा सह0 समिति, राहुवास	....	1	....	....	
38.	मिश्रा खाद बीज भण्डार, बसुवा	....	1	....	....	परिणाम शेष
39.	बाबूलाल रमेश चन्द, बसुवा	....	1	....	....	,, ,, ,,
	योग :	66	24	3	5	

(राज्य मंत्री, कृषि)

(3) इस सम्बन्ध में विभागीय जांच कार्यवाही नहीं की गयी है। संयुक्त निदेशक, कृषि, जयपुर खण्ड, जयपुर ने इस सम्बन्ध में हुई प्रथम दृष्टया अनियमितताओं की जानकारी निदेशक, कृषि, को दी। प्रशासनिक दृष्टि से तीन अधिकारियों उप निदेशक, कृषि, दौसा, सहायक निदेशक, कृषि, (वि0) दौसा और कृषि अधिकारी (सामान्य) कार्यालय उप निदेशक, कृषि (वि0) दौसा का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 16

(स्थगित)

जिला रोजगार अधिकारी जैसलमेर के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

17. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1992 में जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा जिला रोजगार अधिकारी जैसलमेर के खिलाफ गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट रोजगार निदेशालय को प्रेषित की गई थी? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट पर विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा वर्ष 1992 में प्रेषित जांच रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित जिला रोजगार अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जांच रिपोर्ट पर निदेशालय द्वारा तत्कालीन सहायक निदेशक, जोधपुर को निदेशालय के आदेश क्रमांक 4574 दिनांक : 7-4-93 द्वारा प्राथमिक जांच करने के लिये लिखा गया था। (आदेश की प्रति संलग्न है)

(2) जिला कलक्टर, जैसलमेर द्वारा वर्ष 1992 में प्रेषित जांच रिपोर्ट पर तत्कालीन सहायक निदेशक, जोधपुर से प्राप्त प्रारम्भिक जांच का निदेशालय स्तर पर परीक्षण करने के पश्चात् तत्कालीन जिला रोजगार अधिकारी श्री भागीरथ सोनी को भविष्य में पंजीयन के समय बहुत ही अधिक सतर्कता बरतने की हिदायत देते हुये निदेशालय के पत्र संख्या 2093-95 दिनांक : 31-1-95 द्वारा इस जांच प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

राजस्थान सरकार

रोजगार सेवा निदेशालय,

क्रमांक : 1(13) सतर्कता/90/4574 जयपुर, दिनांक : 7/4/93

आदेश

जिला रोजगार अधिकारी एवं जिला रोजगार कार्यालय, जैसलमेर के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें इस निदेशालय को प्राप्त हुई हैं :—

1. जिला कलक्टर, जैसलमेर के पत्र संख्या/सतर्कता/एफ 40(2) परि/जी/1857 दिनांक : 31-8-92 एवं इसके साथ संलग्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव, जिला परिषद, जैसलमेर की जांच रिपोर्ट।

2. अनुभागाधिकारी, श्रम तथा नियोजन विभाग, जयपुर के पत्र संख्या : 9(7)श्रनि/92 दिनांक 28-9-92 एवं इसके साथ संलग्न पत्र।

अतः श्री बी. एस. जैन, सहायक, उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जोधपुर को उक्त दोनों शिकायतों की फोटो प्रतियां संलग्न कर इन पर प्राथमिक जांच करने के निर्देश दिये जाते है। यह प्राथमिक जांच रिपोर्ट 30 दिवस के अन्दर-अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर दी जाय।

प्राथमिक जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि जिला रोजगार अधिकारी, जैसलमेर द्वारा जो कार्यवाही शिकायतों के बिन्दुओं पर की गई है वह विभागीय निर्देशों के अनुकूल की गई है अथवा नहीं। जहां-जहां कार्यवाही प्रतिकूल की गई हो; उसके मूल अभिलेख प्राप्त किये जाय तथा उनके स्थान पर उनकी प्रतियां रखवाने की व्यवस्था की जाय। पाई गई त्रुटियों पर यदि आरोप गम्भीर प्रकृति के है तो आरोप पत्र एवं आरोप अभिकथन विवरण पत्र के प्रारूप भी प्राथमिक जांच रिपोर्ट के साथ ही संलग्न किए जाय।

ह0/—
(आर. पी. तिवाड़ी)
निदेशक,

राजस्थान सरकार
रोजगार सेवा निदेशालय

क्रमांक/एफ. 1 (13) 9/सर्तकता/2093 दिनांक, जयपुर 31 जनवरी, 93

प्रेषितिः—

श्री भागीरथ सोनी,
सहायक निदेशक,
उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय,
बीकानेर।

विषय :—शिकायत के सम्बन्ध में।
प्रसंग :—आपका पत्रांक 194 दिनांक 28-1-95

आपके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को मध्यनजर रखते हुये आपको हिदायत दी जाती कि है भविष्य में पंजीयन के समय बहुत ही अधिक सतंकता बरते और जब तक पुष्ट प्रमाण निवास के न हो तब तक अन्य जिलों के प्रार्थियों का पंजीयन नहीं किया जावे।

ह0
(डी. डी. सूद)
निदेशक

ग्राम गुडली (सवाई माधोपुर) के बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

18. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या सरकार जिला सवाई माधोपुर की तहसील नादोती के ग्राम गुडली की बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु ग्राम की जनसंख्या, निकटतम शिक्षा सुविधा की उपलब्धता आदि के मानदण्ड निर्धारित है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, बुडली, जिला सवाई माधोपुर पर विभागीय मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण उक्त विद्यालय को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया जाना सम्भव नहीं हो सका है।

जिला नागौर में साक्षरता कार्यक्रम

19. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि तहसील लाडनूं जिला नागौर में साक्षरता कार्यक्रम जैन विश्व भारती द्वारा चलाया गया ? यदि हां, तो कब से कब तक तथा इसमें किस-किस गांव में कितने-कितने व्यक्तियों को साक्षर किया गया ?

(2) उपरोक्त कार्यक्रम पर कुल कितना खर्चा किया गया जिसमें भारत सरकार व राज्य सरकार तथा संस्था की ओर से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

(3) इस योजना में कुल कितने लोग साक्षर हो गये और कितने साक्षर होने से वंचित रहे ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस समय भी इसी क्षेत्र में साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है ? यदि हां, तो क्या पहले शिक्षित हो गये उन्हीं को शिक्षित किया जा रहा है या जो वंचित रह गये हैं उनको शिक्षित किया जा रहा है, जिसकी संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि तहसील लाडनूं जिला नागौर में प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम जैन विश्व भारती, लाडनूं द्वारा चलाया गया था। इस संस्था द्वारा यह कार्यक्रम अगस्त 89 से फरवरी 92 तक चलाया गया था। संस्था द्वारा लाडनूं तहसील में कुल मिलाकर 10, 126 व्यक्तियों को साक्षर किया गया। गांववार मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा नहीं कराया गया था।

(2) उपरोक्त कार्यक्रम पर संस्था

(शिक्षा मंत्री)

द्वारा 6,33,489 रुपये व्यय किये गये। यह व्यय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत शत-प्रतिशत अनुदान में से किया गया है।

(3) इस योजना में 15-35 आयुवर्ग के कुल 10,126 व्यक्ति साक्षर किये गये थे। अब यह योजना समाप्त हो गयी है और सम्पूर्ण नागौर जिले में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान प्रारम्भ हो गया है। लाडनू के भी सभी निरक्षरों को इसी अभियान के अन्तर्गत साक्षर किया जा रहा है। जी हां, पूर्व में शिक्षित हुए व्यक्तियों को भी वर्तमान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम से जोड़ा गया है ताकि उनका साक्षरता कौशल स्तर सतत् रूप में बनाये रखा जा सके एवं बढ़ाया जा सके।

(4) वर्तमान सर्वे के अनुसार यहां निरक्षरों की संख्या निम्नानुसार है :--

पुरुष	महिला	योग
9855	19281	29135

इन सभी को साक्षर बनाया जा रहा है।

ग्राम बिछोछ (बामनवास) के माध्यमिक विद्यालय का क्रमोन्नयन

20. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

क्या सरकार तहसील बामनवास के ग्राम बिछोछ माध्यमिक स्कूल को उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं। माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु विभाग द्वारा मानदण्ड निर्धारित हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बिछोछ तहसील बामनवास (स. माधोपुर) विभागीय मानदण्डों की पूर्ति नहीं करने तथा सीमित बजट की उपलब्धता के कारण उक्त विद्यालय को क्रमोन्नत किया जाना संभव नहीं हो सका है।

जिला बूंदी में साक्षरता कार्यक्रम के लक्ष्य

21. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले को सरकार द्वारा साक्षरता में लिया गया है ? यदि हां, तो 1 जनवरी 1996 से

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

31 जनवरी, 1996 तक क्या-क्या कार्यक्रम किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या साक्षरता अभियान के तहत प्रत्येक पचायत समिति, प्रत्येक पंचायत एवं प्रत्येक गांव में कार्य सुचारु रूप से चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

उत्तर

(1) जी हां, बूंदी जिले के सम्पूर्ण साक्षरता प्रस्तावों को भारत सरकार (राष्ट्रीय साक्षरता मिशन) प्राधिकरण की स्वीकृति पश्चात् राज्य सरकार द्वारा जिले को सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत जोडा गया है। 1-1-96 से 31-1-96 तक जिले में साक्षरता अभियान की समीक्षा की गयी। 8 जनवरी, 96 को जिला साक्षरता समिति की बैठक की गयी। समाज के विभिन्न वर्ग एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठकें आयोजित कर अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए अपील की गयी। प्रवेशिका के शीघ्र प्रकाशन हेतु राज्य संदर्भ केन्द्र से आग्रह किया गया एवं वातावरण निर्माण के प्रयास किये गये।

(2) जी हां। सभी पंचायत समितियों एवं गांवों में वातावरण निर्माण का कार्य किया जा चुका है। साक्षरता सर्वे भी किया जा चुका है। जिसमें 0-35 आयु समूह के 2,32,761 निरक्षर चिन्हित किये गये हैं। सन्दर्भ व्यक्तियों, मास्टर ट्रेनर्स एवं स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण कार्य होने के पश्चात् विभिन्न चरणों में कक्षाएं प्रारम्भ की जा चुकी है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांथू (जालौर) का फर्जी त्याग-पत्र प्रकरण

22. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या श्री हुक्ताराम सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांथू (जालौर) को दिनांक 26 जनवरी, 1978 को उनके त्याग-पत्र के आधार पर कार्यमुक्त कर दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस प्रकरण की विभाग एवं पुलिस द्वारा जांच होने पर यह पाया गया कि श्री हुक्ताराम का त्याग-पत्र फर्जी था तथा उन्होंने कोई त्याग-पत्र दिया ही नहीं था ?

(3) क्या यह भी सही है कि जांच के उपरान्त सरकार ने श्री हुक्ताराम को डेढ़ वर्ष पश्चात् पुनः सेवा में ले लिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के वेतन का भुगतान उन्हें किया गया था ?

(4) क्या यह भी सही है कि सरकार ने एक विशेष आदेश क्रमांक. प/8(71) शिक्षा/ग्रुप-2/79, दिनांक 29-9-79 जारी कर उन्हें पुनः सेवा में लिया तथा दूसरे विशेष आदेश (क्र. एफ. 10 (65) शिक्षा/ग्रुप-2/80, दिनांक 8-12-80) जारी कर उक्त डेढ़ वर्ष के कार्यकाल को भविष्य में

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वेतनवृद्धि एवं पेंशन के लिये योग्य माना था ?

(5) क्या श्री हस्तारा म को उपरोक्त आदेशानुसार वेतन वृद्धियां जारी की गई तथा क्या उन्हें सेवा निवृत्ति के पश्चात पेंशन का भुगतान कर दिया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां ।

(3) जी, हां । श्री हस्तारा म, सहायक अध्यापक को 27 1.78 से 5.9.79 तक 587 दिनों में से उनके अवकाश खाते में अवशेष 80 दिन का अर्द्ध-वेतन तथा 507 दिन का अवैतनिक अवकाश राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 10 (65) शिक्षण /ग्रुप-2/80 दिनांक 8.12.80 की पालना में स्वीकृत किया जाकर 80 दिन के अर्द्ध-वेतन अवकाश का भुगतान किया जा चुका है ।

(4) जी, हां । श्री हस्तारा म को पुन: राज्य सेवा में लिया गया । राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 10 (65) शिक्षा/ग्रुप-2/80 दिनांक 8.12.80 के अनुसार अनुपस्थिति अवधि को पेंशन योग्य तथा वार्षिक वेतनवृद्धि की गणना हेतु मान्य माना गया ।

(5) श्री हस्तारा म, सहायक अध्यापक 1986 तक शिक्षा विभाग में कार्यरत रहे । सन् 1986 तक नियमानुसार देय वार्षिक वेतन-वृद्धियां स्वीकृत की गई तथा 1986 में ही पचायत समिति, जालोर में स्थानान्तरित हुए । स्वेच्छा से सेवा निवृति के पश्चात श्री हस्तारा म द्वारा आज दिनांक तक अपना पेंशन प्रकरण विभाग को प्रस्तुत नहीं किया है । जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें पेंशन का भुगतान नहीं किया जा सका है ।

व्यावसायिक शिक्षा में कार्यरत अंशकालीन व्याख्याताओं का नियमितिकरण

23. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के राजकीय व अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत व्याख्याता स्कूल शिक्षा के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) उक्त पदों में से व्याख्याता आशुलिपिक के कितने पद, कहां-कहां स्वीकृत हैं ? विद्यालय वार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) व्याख्याता (आशुलिपि) पद पर नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं, अनुभव व वेतनमान निर्धारित हैं ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(4) उक्त स्वीकृत पदों में से व्याख्याता (आशुलिपि) के कितने पद भरे हुए हैं तथा कब-कब से किस-किस विद्यालय में कितने पद रिक्त चले आ रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

(5) क्या सरकार व्याख्याता (आशुलिपि) पद पर गत तीन वर्षों से कार्य कर रहे अंशकालीन व्याख्याताओं को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय एवं गैर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत पाठ्यक्रम संचालित होता है, लेकिन राजकीय एव गैर राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षण के अन्तर्गत व्याख्याता स्कूल शिक्षक के पदों का आवंटन किये जाने का प्रावधान नहीं है ।-

(2) प्रश्न के भाग सं. 01 के अनुसार प्रावधान नहीं है ।

(3) व्याख्याता (आशुलिपि) पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता का निर्धारण नियमों में नहीं किया हुआ है ।

(4) प्रश्न के भाग संख्या-01 के अनुसार है।

(5) गत तीन वर्षों से एक भी अंशकालीन व्याख्याता अनवरत कार्यरत नहीं है ।

जिला अजमेर में परित्यक्ता महिलाओं की नियुक्ति के विचाराधीन प्रकरण

24. श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 11 व 22 के तहत विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को बिना प्रक्रिया अपनाए अध्यापिका पद पर नियुक्ति प्रदान करने के नियम के तहत जिला अजमेर में वर्ष 1995-96 से अब तक कितनी अध्यापिकाओं को नियुक्ति दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में कितने अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र नियुक्ति हेतु विचाराधीन हैं एवं उन्हें किन कारणों से अब तक नियुक्तियां नहीं दी गई है ? अजमेर जिले की सूचना सदन की मेज पर रखें साथ ही रिक्त पदों की सूचना भी श्रेणीवार उपलब्ध कराई जावे ।

(3) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नियम वेतन) 1989 में विधवा एवं परित्यक्ता महिला को अध्यापिका पद पर नियुक्ति पर एस.टी.सी./बी.एड. प्रशिक्षण करने तक स्थिर वेतन देने सम्बन्धी वित्त विभाग के आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 11 व 22 के तहत वर्ष 1995-96 से अब तक विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को अध्यापिकाओं के पद पर निम्न प्रकार से नियुक्ति प्रदान की गई है :–

(शिक्षा मंत्री)

सत्र	II-ग्रेड अध्यापक	III-ग्रेड अध्यापक
1995-96	01	29
1996-97 10-1-97 तक	04	11
	05	40

सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में अजमेर जिले में 01 वरिष्ठ अध्यापिका तथा 44 तृतीय श्रेणी अध्यापिका के पद हेतु विधवा एवं परित्यक्ता महिलायें वर्ष 1996-97 हेतु निर्मित वरियता सूची में नियुक्ति दिया जाना शेष है। वर्तमान में अजमेर जिले में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी का एक भी पद रिक्त नहीं है।

(3) राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान 1989 में विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को बिना प्रशिक्षण के नियुक्ति के परिणामस्वरूप वेतन निर्धारण हेतु अलग से कोई प्रावधान नहीं है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् ही वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाती है।

वर्ष 1995-96 में नियुक्ति की सूची :— ग्रेड II

क्र सं	नाम आशार्थी व पिता/पति का नाम	विषय
1.	श्रीमती उमा शर्मा	अंग्रेजी
	III ग्रेड	
1.	सुनिता माटी/सूर्यनारायण	"
2.	निवेदितता शर्मा/जानकीदास	"
3.	रेखा राव/हीरालाल	"
4.	उमाशर्मा/श्रीकिशन शर्मा	"
5.	भंवरी जागड़ा/राजगोपाल	"
6.	देवी मोटवानी/मुकेशकुमार	"
7.	सावित्री शर्मा/ओमप्रकाश	"
8.	मन्जु/भवरलाल	"
9.	शारदा देवी/भंवरलाल	"

(112)

1	2	3
10.	सरबजीतकौर/रविन्द्रसिंह	अंग्रेजी
11.	अर्चना शर्मा/जगतस्वरूप	"
12.	डोली चतुर्वेदी/जगदीश चन्द्र	"
13.	सविता शर्मा/स्वदशरथ कुमार	"
14.	स्नेहलता जैन/स्व. चिरंजीलाल	"
15.	मैना जैन/महेन्द्र कुमार	"
16.	अन्जना शर्मा/स्व.वीरेन्द्र कुमार	"
17.	वन्दना शर्मा/बद्रीनारायण	"
18.	बिदाम देवी/कन्हैयालाल	"
19.	मागेश्वरी/मूलचंद	"
20.	सुशीला आचार्य/हरिप्रसाद	"
21.	रामकौर/स्वरूप सिंह	"
22.	पूनमलता चौहान/स्व. सुरेश चौहान	"
23.	सिद्धेश्वरी पारीक/हरि प्रसाद	"
24.	गुलाब देवी/पन्नालाल	"
25.	शकुन्तला देवी/बाबूलाल	"
26.	सन्तोष/निहाल चंद	"
27.	सीमा अग्रवाल/सुरेश चंद	"
28.	उषा जैन/सुल्तानमल	"
29.	शांति कुमारी/स्व. नवल किशोर	"

वर्ष 1996-97 में नियुक्ति की सूची :—

(II ग्रेड)

1.	श्रीमती ऋतु कपूर	"
2.	निर्मला जोटोलिया	जीवविज्ञान
3.	हेमलता चौहान/भंवरलाल	"
4.	सरोज करेल/अशोक करेल	"

III ग्रेड

1	2	3
1.	रितु कपूर/पी0एस0कपूर	अंग्रेजी
2.	सरिता/मनोज कुमार	जीवविज्ञान
3.	शशि झिडवानिया/ज्ञानचंद	,,
4.	संगीता शर्मा/राम नाथ	,,
5.	संगीता वर्मा/गुरूदत्त	,,
6.	प्रमिला/खेम सिंह	,,
7.	वीना लालवानी/सुशील कुमार	,,
8.	हेमन्त गुप्ता/शिवचरण लाल	,,
9.	प्रेमलताअग्रवाल/प्रेम नारायण	,,
10.	सुशीला शर्मा/सूरजू मल	,,
11.	इप्सिता दत्ता/प्रियातोष दत्ता	,,

तहसील टोडाभीम एवं गंगापुर (सवाई माधोपुर) के मंत्रालयिक कर्मचारियों के बकाया वेतन भत्तों का भुगतान

25. श्री हंसराम (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम एवं गंगापुर में कितने मंत्रालयिक कर्मचारियों को जनवरी, 1989 से मार्च, 1990 तक निरन्तर सेवा में रहते हुए भी वेतन एवं अन्य भत्तों आदि का भुगतान नहीं किया गया ? कारणों व नाम, पद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के रोके गये वेतन एवं अन्य भत्तों आदि का भुगतान करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त कर्मियों के वेतन, भत्ते एवं अन्य भुगतान को रोके जाने के कारणों की जांच करवाने एवं इसमें लिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर की तहसील टोडाभीम एवं गंगापुर में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के जनवरी, 1989 से मार्च, 1990 तक के भुगतान से बकाया वेतन/भत्तों की सूचना निम्न प्रकार है :--

(i) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) सवाई माधोपुर के अधीनस्त कर्मचारियों का बकाया वेतन/भत्ते-शून्य।

(ii) जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) सवाई माधोपुर के अधीनस्त कर्मचारियों का बकाया वेतन/भत्ते-शून्य।

(iii) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) करोली के अधीनस्त कर्मचारियों का बकाया वेतन/भत्ते सूचना संकलित की जा रही है जो शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जावेगी।

(2) जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) करोली से प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर वांछित कार्यवाही तुरंत कर दी जावेगी।

(3) उपरोक्तानुसार।

जिला भीलवाड़ा के विद्यालय विहीन पंचायत मुख्यालय

26. श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में सभी पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं ? यदि हां, तो किन-किन पंचायत मुख्यालयों पर नहीं खोले गये एवं अब उक्त स्थानों पर कितने समय में विद्यालय खोल दिए जायेंगे ?

(2) भीलवाड़ा जिले में सीनियर हायर सैकण्डरी व सैकण्डरी स्कूलों में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं और सरकार कब तक इन पदों को भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भीलवाड़ा जिले की निम्न पंचायत परिक्षेत्र में उच्च प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है :-

क.सं.	ग्राम पंचायत का नाम
1.	बारेल
2.	भोजपुर (शाहपुरा)
3.	इटमारिया (शाहपुरा)
4.	अपगाटी
5.	डाबला कावरा
6.	कोटा का खेड़ा माण्डल

उच्च प्राथमिक विद्यालय विहिन उपरोक्त ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा सुविधा बजट उपलब्ध होने पर आगामी वर्षों में उपलब्ध कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) भीलवाड़ा जिले के सीनियर माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में निम्नानुसार रिक्त पद हैं :—

(शिक्षा मंत्री)

1.	प्रधानाचार्य	1
2.	प्रधानाध्यापक	13
3.	व्याख्याता	78
4.	अध्यापक ग्रेड-II	18
5.	अध्यापक ग्रेड-III	6
6.	शा. शि. ग्रेड-II	2

व.अ. एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रधानाध्यापक एवं व्याख्याताओं के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय चयन समिति के द्वारा चयनित आशार्थियों के उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न के भाग संख्या. 2 की सूची :—

रिक्त पदों का विवरण :—

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	प्रधाना-ध्यापक	व्याख्याता संख्या	II-ग्रेड संख्या	III-ग्रेड संख्या	शारीरिक II-ग्रेड	शिक्षक III-ग्रेड
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रासीमा.वि, बड़लियास	....	01 02	....	....	....	
2.	रासीमा.वि, बागोर	....	01 01 03 01	....	....	....	
3.	रासीमा.वि, करेड़ा	....	02	....	....	....	
4.	रासीमा.वि, शम्भूगढ़	....	01	....	....	01	....
5.	रासीमा.वि, कोशीथल	....	03	....	01	....	....
6.	रासीमा.वि, बरसनी	....	03	....	....	....	....
7.	रासीमा.वि, बोगोद	....	02	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	रासीमा.वि, हुरड़ा	....	01	....	....	....	....
9.	रासीमा.वि, प्रतापनगर	....	02	....	....	....	....
10.	रासीमा.वि, आसीन्द	....	04	....	....	....	....
11.	रासीमा.वि, गंगापुर	....	03	....	....	....	....
12.	रासीमा.वि, माण्डलगढ़	....	04	....	01	....	....
13.	रासीमा.वि, पण्डर	....	04	....	....	....	....
14.	रासीमा.वि, रायपुर	—	02	....	....	....	....
15.	रासीमा.वि, शक्करगढ़	—	05	....	....	....	....
16.	रासीमा.वि, बनेडा	....	02	....	....	....	....
17.	रासीमा.वि, बिजोलिया	....	07	....	....	....	....
18.	रासीमा.वि, जहाजपुर	....	02	....	....	....	....
19.	रासीमा. वि, कोटड़ी	....	02	....	....	....	....
20.	रासीमा. वि, काछोल	....	02	01	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	रासीमा.वि, कोठिया	....	01	....	....	....	....
22.	रासीमा.वि, हमीरगढ	....	01	....	....	....	....
23.	रासीमा.वि, दौलतगढ	....	02	....	....	....	....
24.	रासीमा.वि, माण्डल	....	01	....	....	....	....
25.	रासीमा.वि, सहाड़ा	....	01	....	....	....	....
26.	रासीमा.वि, बदनोर	....	02	....	....	....	....
27.	रासीमा.वि, फूलियाकलां	....	01	....	....	....	....
28.	रासीमा.वि, रायला	....	01	....	....	....	....
29.	रासीमा.वि, शाहपुरा	....	02	....	....	....	....
30.	रासीमा.वि, बरडोद	....	शून्य	....	....	....	....
31.	राबासीमा.वि, भीलवाड़ा	....	02	....	....	....	....
32.	राबासीमा.वि, बनेड़ा	01	01	....	....	....	....
33.	राबासीमा.वि, शाहपुरा	....	शून्य	01	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	राबासीमा. वि, भ्रासोन्द	....	10	....	01	....	....
35.	राबासीमा. वि, गुलाबपुरा	....	01	....	....	....	....
36.	राबासीमा. वि, कोटड़ी	....	01	....	....	....	....
37.	राबासीमा. वि, माण्डल	....	शून्य	01	....	....	....
38.	राबामा. वि, रायपुर	....	शून्य	03	....	....	....
39.	राबामा. वि, पोटला	....	शून्य	....	01	....	....
40.	रामा. वि, ज्ञानगढ़	01	....	....	....	....	....
41.	रामा. वि, घौंद	01	....	....	....	....	....
42.	रामा. वि, ऊमरो	01	....	....	....	....	....
43.	रामा. वि, भ्रटूण्डा	01	....	....	....	....	....
44.	रामा. वि, चितोम्बा	01	....	01	....	....	....
45.	रामा. वि, खाखला	01	....	....	....	—	....

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	रामा. वि, पादन	01	....	....	....	....	....
47.	रामा. वि, झामोर	01	....	....	....	....	....
48.	रामा. वि, कंकरोलिया घाटी	01	....	....	....	....	....
49.	रामा. वि, भादसी	01	....	....	....	....	....
50.	रामा. वि, जोनग	01	....	....	....	....	....
51.	रामा. वि, नान्द्रशानोमोर	01	....	....	....	....	....
52.	रामा. वि, मुण्डियाकलां	01	....	....	....	....	....
53.	रामा. वि, झबोल	....	....	01	....	....	....
54.	रामा. वि, नाहरो	....	....	01(02)	....	....	....
55.	रामा. वि, टोकड़	....	....	01	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	रामा वि, छोटी बिजोलिया	....	....	02	....	....	....
57.	रामा वि, कोट	....	....	01	....	....	....
58.	रामा वि. गोरख्या	....	—	01	....	....	....
59.	रामा वि, पीपलून्द	....	....	01	....	....	....
60.	रामा वि, मोडाका नि	....	....	....	01	....	....

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव

27. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विश्व बैंक के सुझाव पर उर्जा क्षेत्र में सुधार किए जाने की दृष्टि से मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस, वाशिंगटन की सेवाएं ली गई है ? यदि हां, तो उक्त फर्म का चयन किस आधार पर किया गया तथा इसे कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने कार्य शालाएं आयोजित कर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं तथा प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र सुधार नीति प्रपत्र तैयार किया है ? यदि हां, तो प्रपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार मण्डल को निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में कानून बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कि स्वरूप में और कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां । यह सही है कि विश्व बैंक के सुझाव पर ऊर्जा क्षेत्र में सुधार किये जाने की दृष्टि से मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस की सेवायें सलाहकार के रूप में ली गई हैं । राजस्थान द्वारा विश्व बैंक से ऋण के लिये अनुरोध के सन्दर्भ में विश्व बैंक द्वारा सलाह दी गई है । इस फर्म का चयन विश्व बैंक द्वारा सुझाये गये 12 तकनीकी सलाहकारों की सूची में से योग्यता, दक्षता एवं अनुभव के आधार पर किया था । मैसर्स प्राइस वाटर हाऊस से किये गये अनुबन्ध के अनुसार अब तक उनको 75000 अमेरिका डालर का भुगतान किया जा चुका है ।

(2) जी, हां । समय-समय पर चर्चा हुई है । प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र सुधार नीति के बारे में प्रपत्र तैयार किया जा रहा है ।

(3) जी, हां । निकट भविष्य में आर. एस. एम. एम./रीको आदि की तरह राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को भी कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगम बनाने का प्रस्ताव है ।

विद्युत व्यवस्था में सुधार

28. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार किसानों को कितने घण्टे बिजली देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य में विद्युत उपलब्धि मांग की तुलना में कम है । इस अन्तर को राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के हिस्से के केन्द्रीय विद्युत गृहों एवं

(ऊर्जा मंत्री)

स्वयं के स्रोतों से मिलने वाली विद्युत के अलावा उत्तरी ग्रिड से यथा सम्भव ओवरड्रा कर तथा समय-समय पर पंजाब व हिमाचल प्रदेश से जिस अवधि में उनके यहां सरप्लस बिजली होती है महंगी दर से विद्युत खरीद कर मांग व आपूर्ति में सन्तुलन बना रखा जा रहा था लेकिन 26 नवम्बर, 1996 से कुछ विद्युत गृहों की इकाइयों तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केन्द्रीय गैस उत्पादन गृहों से गैस की आपूर्ति कम किये जाने के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है। गैस चालित उत्पादन गृहों में अन्य वैकल्पिक ईंधनों का प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये विद्युत मण्डल द्वारा अतिरिक्त खर्चा भी वहन करना स्वीकार कर लिया गया है तथा पड़ौसी राज्यों हिमाचल प्रदेश व पंजाब से भी द्विपक्षीय आधार पर विद्युत क्रय सम्बन्धित समझौते करके अतिरिक्त विद्युत 25 से 50 लाख यूनिट प्रतिदिन प्राप्त की जा रही है।

अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ने निम्न कदम भी उठाये हैं :—

1. कोटा तापीय विद्युत गृह से पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन करना।

2. सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना चरण-1 को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करना। प्रथम 250 मेगावाट यूनिट के इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है।

3. विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र के निवेश की नीति के अन्तर्गत कम समय में विद्युत उत्पादन देने वाली तरल ईंधन आधारित परियोजनाओं के लिये विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 3684.50 मेगावाट की योजनाओं के आशय-पत्र दिये गये हैं। इनमें से 3434.50 मेगावाट के लिए अनुबन्ध भी किये जा चुके हैं।

4. इसके अतिरिक्त लिग्नाईट आधारित परियोजनाओं व अपारम्परिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों को कुल 2000 मेगावट की योजनाओं के आशय-पत्र दिये गये हैं, जिनमें लिग्नाईट आधारित बरसिंगसर (500 मे. वा.) जालिपा (600 मेगावाट), कपूरडी (600 मेगावाट) तथा सौर आधारित विद्युत परियोजनाएं (300 मेगावाट) शामिल हैं : इनमें से 600 मेगावाट के लिये अनुबन्ध भी किये जा चुके हैं। (जिनमें बरसिंगसर 500 मेगावाट व सौर आधारित 100 मे. वा. परियोजनाएं शामिल हैं।)

5. पवन ऊर्जा के केप्टीव प्लान्ट के लिये 50 मेगावाट का आशय-पत्र भी जारी किया जा चुका है। मथानिया में सौर व द्रव ईंधन की मिश्रित प्रणाली पर आधारित विद्युत गृह की स्थापना के प्रयत्न।

6. कन्सोलिडेटेड इलेक्ट्रिक पावर ऐशिया के हिरमा (उड़ीसा) में प्रस्तावित

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत गृह से 1200 मेगावाट विद्युत प्राप्त करने के लिये प्रयत्न।

7. हिमाचल प्रदेश में पार्वती विद्युत परियोजना चरण–II व III के सर्वेक्षण में व उसके उत्पादन में 40 प्रतिशत भागीदारी के लिये एम.ओ.यू।

8. कोटा में 210 मेगावाट (छटी इकाई) व चम्बल कस्केट परियोजना की स्वीकृति के प्रयत्न।

(2) राज्य सरकार की घोषणा की पालना में किसानों को कृषि कार्य हेतु निर्धारित 8 घन्टे प्रतिदिन ब्लाक्स में विद्युत यथा संभव उपलब्ध करवाई जा रही थी, लेकिन चालू वर्ष में 26 नवम्बर, 1996 से समस्त उत्तरी भारत में विद्युत उपलब्धि में कमी आने के कारण औद्योगिक इकाइयों में 100 प्रतिशत कटौती कर तथा शहरों में लोड शेडिंग कर किसानों को वर्तमान में पांच घन्टे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की जाने के पूर्ण प्रयास किये गये हैं। दिनांक 19 जनवरी से सभी प्रकार की कटौतियों को हटा लिया गया है तथा कृषकों को पुनः प्रतिदिन 8 घन्टे बिजली दी जाने लगी है।

यह उल्लेखनीय है कि पिछले कई वर्षों से खपत निरंतर बढ़ रही है जबकि उसके अनुपात में उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल प्रति वर्ष औसतन 25,000 कुओं समेता करीब दो लाख नये कनेक्शन दे देता है। इस वर्ष भी नवम्बर तक विद्युत पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 3% अधिक उपलब्ध कराई गई परन्तु खपत बढ़ने से विद्युत की कमी अनुभव की गई। विद्युत निरंतर 8 घन्टे मिले इसके लिये नये पावर प्लान्ट्स लगाना आवश्यक है और नये पावर प्लान्ट्स लगाने के लिये उचित वातावरण की आवश्यकता है।

कृषि कुओं के लिए सामान्य श्रेणी के विद्युत कनेक्शन

29. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) इस वर्ष कृषि कुओं के लिए जनरल श्रेणी के कितने कनेक्शन किस प्रकार से दिये जायेंगे? जिलेवार व पंचायत समितिवार आवंटित लक्ष्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले वर्ष के इस श्रेणी के कितने कनेक्शन डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा होने के बाद भी लम्बित रहे थे, जिनके कनेक्शन इस वर्ष करना है? जिलेवार व पंचायत समितिवार सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस सम्बन्ध में इस वर्ष व गत वर्ष में बोर्ड द्वारा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 में सामान्य श्रेणी के तहत 10,000 कृषि कुओं को ऊर्जीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलेवार/पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" में संलग्न है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) 31 मार्च, 1996 तक 2147 आवेदकों के कनेक्शन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मांग पत्र की राशि जमा होने के बाद लम्बित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "स" में संलग्न है।

(3) कृषि कनेक्शन के सम्बन्ध में मण्डल द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट "द" में संलग्न है।

(विवरण एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या 30

(स्थगित)

क्रय-विक्रय सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के उपाय

31. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की अधिकांश क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से इनको पुनर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो किस समिति के लिए क्या ? क्रय-विक्रय सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति के मुताबिक किए गये वर्गीकरण की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बून्दी क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड तथा उसमें कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक कठिनाई के समाधान के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां' तो प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा आगे क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त समिति को पुनर्जीवित करने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में कार्यरत क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में से आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति वाली समितियों को सुधारने के लिए विभाग द्वारा समितियों के व्यवसायिक लक्ष्य निर्धारित कर व्यवसाय बढ़ाने; अनावश्यक खर्चों में कमी करने के निर्देश दिये गये हैं एवं राज्य योजनाएं व केन्द्रीय प्रतिपादित योजनाओं के माध्यम से कमजोर समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति के अनुसार समितियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है।

(2) बूंदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. की आर्थिक स्थिति व कठिनाई के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ प्रतिवेदन पर कार्यवाही समिति स्तर से ही की जानी है। समिति की आर्थिक स्थिति अत्यन्त कमजोर होने के कारण कठिनाईयों पर कार्यवाही सम्भव नहीं हो

(सहकारिता मंत्री)

पा रही है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत समिति को अवसायन में लाये जाने का मामला विचाराधीन है।

(3) समिति की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण समिति का अवसायन में लाने का मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन है।

संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता के पद पर पदोन्नति

32. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारिता के पद हैं व उनमें से कितने व्यक्तियों को गत पांच वर्षों में 26 जनवरी/15 अगस्त को राज्य स्तर पर प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया गया है ?

(2) संयुक्त रजिस्ट्रार खण्ड के लिये मुख्य कार्य बिन्दु क्या हैं।

(3) क्या यह सही है कि प्रशस्ति-पत्र प्राप्त करने वाले किसी संयुक्त रजिस्ट्रार को पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो किसे ?

उत्तर

(1) राजस्थान में संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारिता के 30 पद है। गत पांच वर्षों में 15 अगस्त, 1995 को एक अधिकारी को मैरिट प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।

(2) संयुक्त रजिस्ट्रार खण्ड के लिए मुख्य कार्य बिन्दु परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट—"ए"

मुख्य कार्य बिन्दु

1. निर्धारित दिन दौरे रात्रि विश्राम एवं निरीक्षण करना।

2. खण्ड में स्थित केन्द्रीय सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों व नागरिक सहकारी बैंकों व अन्य संस्थाओं की बकाया वसूली और ऋण वितरण हेतु ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था करना ताकि कम से कम मांग की 75% ऋण वसूली तथा लक्ष्यानुसार ऋण वितरण हो सकें।

3. स्वयं के कार्यालय में चल रहे राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धाराओं

32,36,74 व 75 के प्रतिमाह 6 मामलों तथा विभागीय प्राथमिक जांच तथा शिकायत के 80% मामलों का निपटारा करना ।

4. योजनान्तर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना एवं 5 वर्ष से अधिक अवधि की अवसायनाधीन समितियों के समस्त मामलों तथा अन्य अवसायनाधीन समितियों के कम से कम 72 मामलों का निपटारा करना ।

5. खण्ड में स्थित समस्त सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पद प्रभावी नियंत्रण रखना तथा उनके कार्य का सिंहावलोकन करना मार्ग दर्शन करना तथा अपेक्षित कार्यवाही करना ।

6. सहकारी आन्दोलन को गति देने हेतु निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम बनाना तथा कार्यक्रम की क्रियान्विति हेतु कार्य करना ।

7. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में चाहेनुसार अपने क्षेत्र से प्रशिक्षणार्थियों को भेजना तथा आदेशों की अवहेलना करने पर अनुशासात्मक कार्यवाही करना ।

अन्य बिन्दु :

1. राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, नियम एवं क्षेत्र की संस्थाओं के उप नियमों के अनुसार कार्यवाही करना ।

2. रजिस्ट्रार एवं राज्य सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अन्य कार्य करना ।

पंचायत समिति बांदीकुई के आंगनबाड़ी केन्द्र

33. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, बांदीकुई में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां एवं कब-कब से संचालित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत ग्रामानेरी के लिये उक्त केन्द्र की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो कब ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र पर विभाग द्वारा केन्द्रों को दी जाने वाली सामग्री भी भेजी गई है ? यदि हां, तो कब-कब एवं कितनी-कितनी मात्रा में ? प्राप्तकर्ता की रसीद सहित विवरण मय सामग्री के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायक के रूप में कौन-कौन व्यक्ति कब से कार्यरत है ? यदि नहीं, तो क्यों कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में कुल 190 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं 125 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। इनकी सूची मय संचालन तिथि के सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी हां। ग्रामानेरी में आंगनबाड़ी केन्द्र का अनुमोदन विभाग द्वारा जुलाई, 95 में किया गया था और केन्द्र संचालन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति आदेश दिनांक 27-3-96 को जारी किये गये थे। दोनों आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट- "ब" एवं "स")

(3) जी नहीं। इस केन्द्र पर विभाग द्वारा दी जाने वाली सामग्री नहीं भेजी गई है, क्योंकि दिनांक 27-3-96 के आदेश द्वारा नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कार्य ग्रहण कर केन्द्र का संचालन ही प्रारम्भ नहीं किया।

(4) इस केन्द्र पर कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर चयनित महिला ने स्वेच्छा से कार्यग्रहण नहीं किया है। कार्यकर्ता के न होने के होने के कारण सहायिका का चयन नहीं किया जा सका है।

(सूची एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र दौसा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों का बकाया प्रकरण

34. श्री कन्हैयलाल मीणा (बस्सी) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत जसोता जिला दौसा में भी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है ? यदि हां, तो कब से ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो विधवा एवं गरीब औरत है को वर्ष 1996 से उसका वेतन, ईंधन भत्ता, मकान किराया भत्ता, टी. ए. भत्ता आदि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन एवं अन्य भुगतान में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है, सरकार उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र अभी तक पूर्व में लिए गए किराये के मकान में चल रहा है ? क्या सरकार ने उक्त केन्द्र को किसी अन्य जगह पर हस्तान्तरित करने के आदेश प्रसारित किये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि इस केन्द्र की सुपरवाईजर द्वारा बिना विभाग के आदेश या निर्देशों के दिनांक 6-1-1997 को बिना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को उपस्थिति के दूसरे मकान पर उक्त केन्द्र का सम्पूर्ण सामान मय रिकार्ड के ले जाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सुपरवाइजर द्वारा गैर कानूनी कृत्य के लिए सरकार कोई विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ?

(5) क्या यह भी सही है कि इस संदर्भ में उक्त केन्द्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने दिनांक 7-1-1997 को निदेशक महोदय को पत्र प्रेषित कर सूचित किया था ? यदि हां, तो उस पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(6) इस केन्द्र पर वर्ष 1996 से अब तक कितनी-कितनी सामग्री का विवरण विभाग द्वारा किया गया ? ब्यौरा एवं सामग्री प्राप्ति की रसीद सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्तमान में कुल 156 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी, हां। ग्राम जसोता में दिनांक 11-1-93 से आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है। (परिशिष्ट-ब)

(3) जी, हां। ग्राम जसोता में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विधवा औरत है। उन्हें दिनांक 5-1-96 से 20-7-96 तक की अवधि का मानदेय राशि का

(राज्य मंत्री; महिला एवं बाल विकास)

भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इस अवधि में वे अनुपस्थित रही है। जुलाई से सितम्बर, 96 तक के मानदेय का भुगतान उनके बैंक खाते में जमा करवा दिया गया है तथा अक्टूबर से दिसम्बर, 96 के मानदेय के बिल कोष कार्यालय, दौसा में पारित करने हेतु भिजवा दिये गये हैं। अतः इस राशि का भुगतान उन्हें शीघ्र ही कर दिया जावेगा। ईंधन बिल की राशि माह जनवरी से मई, 96 तक की अवधि की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बैंक खाते में जमा करवादी गई है। शेष अवधि के ईंधन भत्ते के कोई बिल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। जिसके कारण भुगतान नहीं किये है। आंगनबाड़ी केन्द्र का किराया जनवरी, 96 से जुलाई, 96 तक का आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में जमा करवा दिया गया है। शेष अवधि की राशि के भुगतान हेतु बिल कोष कार्यालय में भिजवा दिये गये हैं। जिसका भुगतान शीघ्र ही कर दिया जावेगा। ग्राम जसोता सेक्टर मुख्यालय खुरीखुर्द से 8 कि. मी. की परिधि में स्थित है। अतः आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को टी. ए. भत्ता देय नहीं है। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब कार्यालय स्तर पर नहीं हुआ है। अतः किसी के खिलाफ कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(4) जी, हां। यह केन्द्र दि. 5-1-97 तक किराये के भवन में चल रहा था। ग्राम जसोता में विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण हो जाने से उक्त केन्द्र को विभागीय आदेशानुसार इस भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-स)

(5) जी, हां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने निदेशक महोदय को दिनांक 7-1-97 को पत्र प्रेषित किया था। जिसके अनुसरण में विभाग द्वारा कार्यकर्ता के सभी लम्बित भुगतान तुरन्त किये जाने हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी, दौसा को निर्देशित किया गया।

(6) इस केन्द्र पर वर्ष 1996 के दौरान बाल विकास परियोजना कार्यालय दौसा द्वारा जारी खाद्य सामग्री का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	प्राप्ति दिनांक	जारी खाद्य सामग्री		
		सीए. सबी.	एस. आयल	गुड़
1	2	3	4	5
1.	10-4-96	—	—	23 कि. ग्रा.
2.	23-4-96	175 किग्रा	37 किग्रा	—

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

1	2	3	4	5
3.	27-7-96	200 किग्रा	—	—
4.	23-12-96	300 किग्रा	37 किग्रा	—

सामग्री प्राप्ति की रसीद की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट-द)

(सूची एवं प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस-संघ सहकारी समिति, के अध्यक्ष का रिक्त पद

35. श्री नाथूराम अहारी (चौरासी) : क्या जन-जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस-संघ सहकारी समिति के अध्यक्ष का पद खाली है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ? क्या सरकार इस पद को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) राजस-संघ सहकारी समिति के कितने तथा कौन-कौन सदस्य हैं ? क्या यह सदस्य भी चुने हुए हैं ? यदि हां, तो ये चुनाव कब करवाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) नहीं, वर्तमान में राजस संघ सहकारी समिति के अध्यक्ष का पद खाली नहीं है ।

(2) राजससंघ सहकारी समिति के कुल 17 सदस्य हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-"भ" पर संलग्न है । इनमें से कोई भी सदस्य चुना हुआ नहीं है सभी सदस्यों को मनोनीत किया गया है ।

परिशिष्ट "अ"

1.	आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर	अध्यक्ष
2.	आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, जयपुर	सदस्य
3.	शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, जयपुर अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4.	शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
5.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	सदस्य
6.	निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7.	निदेशक, मत्स्य विभाग, राजस्थान जयपुर	सदस्य
8.	प्रशासक, राजस्थान राज्य सह0 बैंक लि0 जयपुर	सदस्य
9.	पंजीयक, सहकारी समितियां, राज0 जयपुर अथवा प्रतिनिधि	सदस्य
10.	निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर	सदस्य
11.	जिला कलक्टर, उदयपुर	सदस्य
12.	जिला कलक्ट, डूंगरपुर	सदस्य
13.	जिला कलक्टर, चित्तोड़गढ़	सदस्य

14.	जिला कलक्टर बांसवाड़ा	सदस्य
15.	जिला कलक्टर, सिरोही	सदस्य
16.	जिला कलक्टर, बारां	सदस्य
17.	प्रबन्ध निदेशक, राजससंघ, उदयपुर	सदयस्य सचिव

जनजाति क्षेत्र में संचालित योजनायें

36. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति क्षेत्र विकास की क्या-क्या योजनाएं चल रही है ? इन योजनाओं के तहत कितने-कितने जनजाति के लोग लाभान्वित हो रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) जनजाति क्षेत्र में कितनी एवं कौन-कौनसी स्वयं सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं तथा उन्हें विभाग की तरफ से कितनी-कितनी राशि वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में दी गयी एवं देना प्रस्तावित है और किस कार्य हेतु ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र, माडा तथा सहरिया क्षेत्र में चल रही योजनाओं की सूची परिशिष्ट-- I संलग्न है । वर्ष 1997-96 में व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के अन्तर्गत 72000 जनजाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया जवेगा जिसका विवरण परिशिष्ट-II पर संलग्न है ।

(2) जनजाति क्षेत्र में 52 स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य कर रही हैं जिसकी सूची परिशिष्ट-III पर संलग्न है । वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को जिन प्रयोजनों हेतु वित्तीय सहायता दी है उनका विवरण परिशिष्ट-IV पर संलग्न है ।

(सूची एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

डी. आर. डी. ए. टोंक के तहत स्वीकृत कार्य

37. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

टोंक जिले में मार्च 1995 से नवम्बर, 1996 तक डी.आर.डी.ए. के माध्यम से कौन-कौन से विकास कार्य मंजूर किये गये

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुऐ और कितने कार्य अधूरे रहे ? अब अधूरे कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

टोंक जिले में मार्च 1995 से नवम्बर-96 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण टोंक द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 591 विकास कार्य स्वीकृत किये गये है। जिनमें से 234 कार्य पूर्ण हो गये है, तथा 318 प्रगति पर है। कार्यों की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :—

योजना का नाम	स्वीकृत कार्य	पूर्ण	प्रगति पर	निरस्त	चालू नहीं	बंद
जवाहर रोजगार योजना(रक्षित)	236	112	99	—	18	7
ए0पी0ए0के0	39	08	21	1	9	—
तीस जिला तीस काम	48	28	20	—	—	—
सु0रो0यो0	111	2	109	—	—	—
निर्बन्ध राशि	95	46	45	—	2	2
सांसद स्थानीय क्षेत्र क्षेत्र विकास कार्यक्रम	62	38	24	—	—	—
योग :—	591	234	318	1	29	9

योजनावार कार्यों की नवीनतम स्थिति का विवरण परिशिष्ट—1 पर

(विवरणविधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र पाली में सुनिश्चित रोजगार योजना के लम्बित कार्य

38. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र, पाली में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत सिंचाई संभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायत समिति रोहट एवं पाली और अन्य कार्यकारी एजेन्सियों के द्वारा करवाये जाने जाने वाले 1 दिसम्बर, 1993 से 31 दिसम्बर, 1996 तक के स्वीकृत कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और उन पर कितना-कितना व्यय हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से वर्तमान में किन-किन कार्यों पर निर्माण कार्य चालू है एवं हर कार्य पर कितने-कितने मजदूर कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन–कौन से कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये ? कार्य प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं? अब कब तक कार्य चालू कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत सिंचाई विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायत समिति रोहट व पाली के द्वारा करवाए जाने वाले 1 दिसम्बर, 1993 से 31 दिसम्बर 1996 तक के कुल स्वीकृति 191 कार्यों की सूची परिशिष्ट....1 पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त स्वीकृत 191 कार्यों में से 134 कार्य पूर्ण हो चुके हैं और उन पर 168.985 लाख का व्यय हो चुका है। कार्यवार सूची संलग्न है।

(3) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में जिन 49 कार्यों पर वर्तमान में निर्माण कार्य चालू है उनकी सूची तथा हर कार्य पर वर्तमान में कितने-2 मजदूर कार्यरत हैं, की सूची संलग्न है।

(4) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से 8 कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। प्रारम्भ न करने के कारण एवं प्रारम्भ करने का विवरण संलग्न है।

(सूची एवं विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आयुर्वेद विभाग में मृत राज्यकर्मी के आश्रित का नियुक्ति प्रकरण

39. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग के निदेशक द्वारा कार्मिक विभाग के पत्रांक: एफ. 12 (27) कार्मिक/ क-2/95 दिनांक 13-6-1996 की अनुपालना में मृतक कर्मचारियों के आश्रित को कनिष्ठ लिपिक के

(श्री रामनारायण मीणा)

पद पर नियुक्ति नहीं देकर दिनांक 3-7-1996 को कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद की पूर्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से करके जवाब पत्र क्रमांक: प्रति/4/आ/नि/लि पार्ट/96/35550-51 दिनांक 10-7-1996 से प्रेषित किया है ? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कार्मिक विभाग ने अपने पत्र दिनांक 13-6-96 द्वारा मृतक कर्मचारी श्री नन्दलाल के दत्तक-पुत्र श्री महावीर प्रसाद को कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र वापस लौटाकर यह लिखा था कि निर्धारित 20% आरक्षित कोटे की पूर्ति के पश्चात् भी यदि विभाग में पद रिक्त हो तो निर्धारित अभ्यांश को गौण रखते हुए नियमानुसार पात्रता की जांच पश्चात् कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति देने की सहमति प्रदान की जाती है। कार्मिक विभाग का यह पत्र निदेशालय आयुर्वेद विभाग के कार्यालय में दिनांक 14-6-96 को प्राप्त होकर 18-6-96 को आवक क्रमांक 2432 पर दर्ज हुआ। दिनांक 15-6-96 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति कनिष्ठ लिपिक पद पर करने की सिफारिश की गई एवं सिफारिश के आधार पर आदेश दिनांक 3-7-96 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति आदेश जारी कर दिये गये। किन्तु दिनांक 3-7-96 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कनिष्ठ लिपिक पद पदोन्नति से रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जाने के फलस्वरूप निदेशालय आयुर्वेद विभाग के पत्रांक 35550-51 दिनांक 17-7-96 द्वारा श्री महावीरप्रसाद दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री नन्दलाल का आवेदन पत्र कार्मिक विभाग, को, अन्य विभाग में जहां भी कनिष्ठ लिपिक का पद रिक्त हो, नियुक्ति देने हेतु भिजवाया गया है प्रकरण राज्य सरकार स्तर पर (कार्मिक विभाग) विचाराधीन है। मृतक कर्मचारी को नियुक्ति नहीं दिए जाने के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं जो दोषी पाया गया उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

(2) विभाग में रिक्त नहीं होने के कारण अग्रिम कार्यवाही अब कार्मिक विभाग द्वारा की जानी है। कार्मिक विभाग में शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही कराने हेतु विभाग प्रयासरत है।

आयुर्वेद विभाग में कार्यरत ए.एन.एम. का वेतनमान

40. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में कार्यरत ए. एन. एम. का वर्तमान में वेतनमान क्या है ?

(138)

(श्री कृपाराम)

(2) क्या यह सही है कि होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत एन. एन. एम. का वेतनमान आयुर्वेद विभाग में कार्यरत ए. एन. एम. के वेतनमान से भिन्न है ? यदि हां, तो कितना व क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा राज्य कर्मियों का वेतन संशोधित करते समय आयुर्वेद विभाग में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को अलग-अलग वेतन शृंखला स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो भिन्नता रखे जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज एसोसियेशन की मांग एवं निदेशक, आयुर्वेद विभाग की सिफारिश पर सरकार ने आयुर्वेद विभाग में कार्यरत नर्स/कम्पाउण्डर पद पर नियुक्त ए. एन. एम. योग्यताधारी कर्मचारियों को भी आयुर्वेद नर्स कम्पाउण्डर के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के समान वेतन शृंखला 1200–2050 स्वीकृत किये जाने के आदेश दिनांक 5-10-1993, 3-11-1993 एवं 5-3-1994 द्वारा जारी किये गये थे ? यदि हां, तो जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में चयनित वेतनमान का परिलाभ देने बाबत एक आदेश दिनांक 13-2-1996 को भी जारी किया है ? यदि हां, तो जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या सरकार अब आयुर्वेद विभाग में कार्यरत आयुर्वेद/होम्योपैथिक नर्स/कम्पाउण्डरों को आयुर्वेद प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की भांति समान वेतन मान एवं अन्य सभी लाभ अविलम्ब स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(7) आयुर्वेद विभाग में कार्यरत नर्स को 18 वर्ष बाद क्या वेतनमान दिया जा रहा है और उक्त विभाग के ही होम्योपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत ए. एन. एम. को 18 वर्ष बाद क्या वेतनमान दिया जा रहा है ? क्या सरकार इन सेवाओं में चल रही भिन्नता को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग में वर्तमान में कार्यरत ए. एम. को दिनांक 1-9-88 से प्रभावी वेतनमान 1200-2050 दिया जा रहा है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी, हां । यह भिन्नता पूर्व में वित्त विभाग के आदेशों से आयी थी, जिसका कारण राज्य सरकार (वित्त विभाग) स्तर से दिया जाना है । वित्त विभाग से जवाब प्राप्त कर भिजवा दिया जावेगा । अब यह भिन्नता 1-9-88 से प्रभावी वेतनमान देने से समाप्त हो गई है ।

(4) जी, हां । राज्यादेश क्रमांक 5-10-93, 3-11-93 एवं 5-3-94 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(5) जी, हां। राज्यादेश दिनांक 13-2-96 की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(6) आयुर्वेद विभागान्तर्गत कार्यरत आयुर्वेद प्रशिक्षण प्राप्त नर्सिंग कर्मचारियों एवं ए. एन. एम. योग्यताधारी नर्सिंग कर्मचारियों को वर्तमान में समान वेतनमान व अन्य लाभ दिए जा रहे हैं।

(7) आयुर्वेद विभागन्तर्गत कार्यरत सभी कनिष्ठ नर्सिंग कर्मचारियों को जिनमें होम्योपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में कार्यरत ए. ऐन. एम. भी सम्मिलित है, 18 वर्ष की सेवा पर 1640-2900 का चयनित वेतनमान दिया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला टोंक में मछली पालन के ठेके

41. **श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई):** क्या मत्स्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन कार्य बड़े पैमाने पर कराया जाना है? यदि हां, तो विभाग द्वारा टोंक जिले के कौन-कौन से तालाबों में मछली पालन का कार्य कराया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तालाबों में कौन-कौन-सी प्रजाति की मछलियां पाली जाती हैं?

(3) इस वित्तीय वर्ष में मछली के ठेके किस-किस पार्टी के साथ कितनी-कितनी राशि के छोड़े गए हैं?

(4) गत तीन वर्षों में मछली का उत्पादन कितना रहा?

(5) क्या ऐसे भी कोई तालाब हैं, जिनमें विभाग व ग्राम पंचायत के बीच विवाद है?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा टोंक जिले में मछली पालन/आखेट हेतु ठेके पर दिये गये जलाशयों की सूची परिशिष्ट-1 पर तथा मत्स्य पालक विकास अभिकरण, टोंक के माध्यम से मत्स्य कृषकों द्वारा मत्स्य पालन हेतु जलाशयों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विभाग द्वारा ठेके पर दिये गये जलाशयों में साधारणतय: भारतीय मेजर कार्प (रोहू, म्रिगल, कतला) प्रजाति की मछलियों का पालन किया जाता है। मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से मत्स्य कृषकों को आवंटित तालाबों में भारतीय मेजर कार्प मछलियों के अतिरिक्त सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कॉमन कार्प मछलिया भी पाली जाती है।

(3) वित्तीय वर्ष 1996-97 में दिये गये ठेकों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(राज्य मंत्री, मत्स्य)

(4) गत तीन वर्षों में मछली उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

1. वर्ष 1993–94 628.531 टन

2. वर्ष 1994–95 447.979 टन

3. वर्ष 1995–96 573.473 टन

---

(5) जी, हां। केवल एक बंध ढोढरिया शुष्क बन्ध (तालाब) ग्राम पंचायत काशीपुरा तहसील पीपलू के सम्बन्ध में विभाग व ग्राम पंचायत के बीच विवाद है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)